खण्ड-206, अंक-5
गुरूवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1881
(20 अगस्त, 1959 ई0)

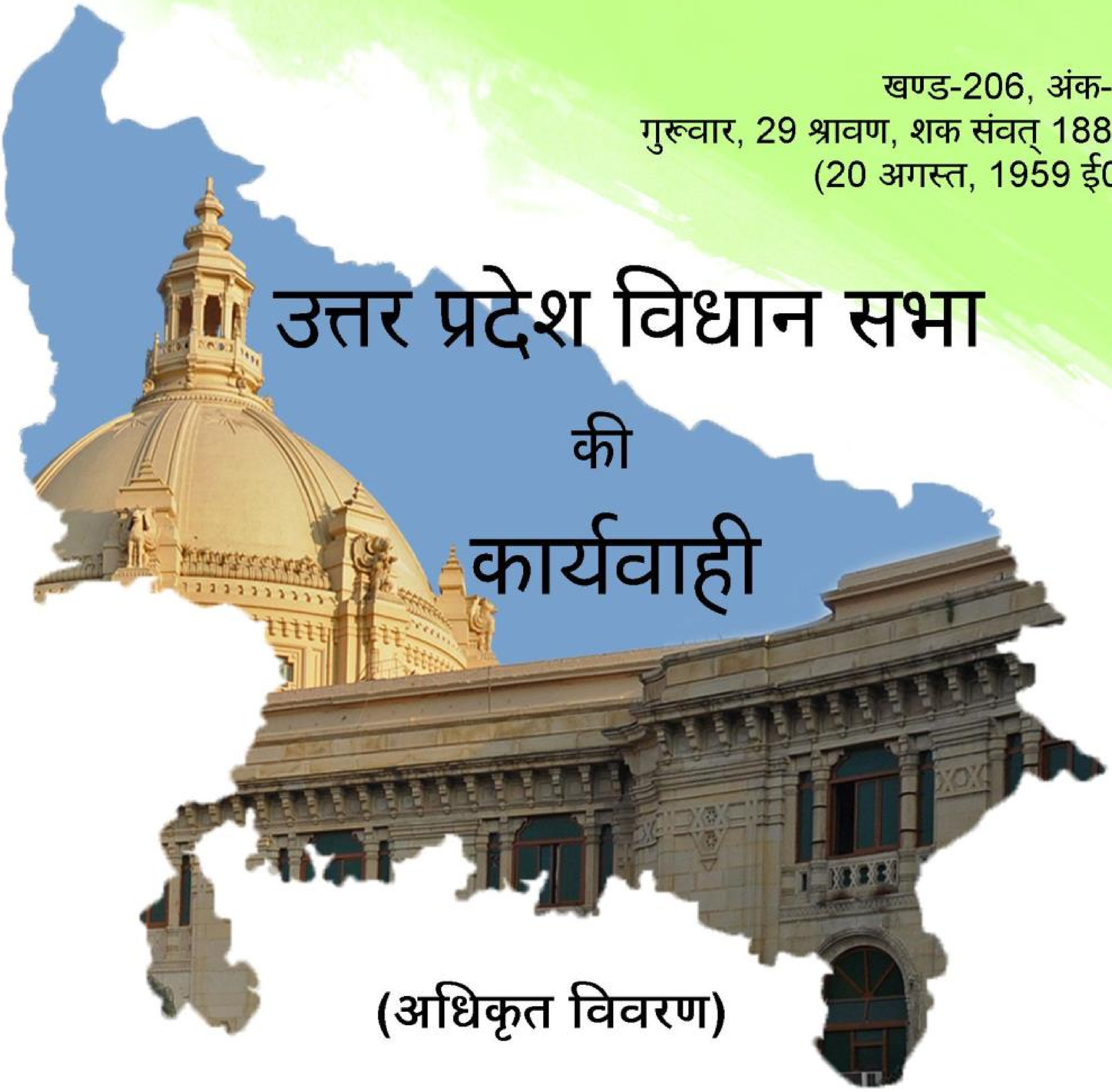

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार २० अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६१

अक्षवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर आचार्य, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराज, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्रीमती
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री,
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनारायण मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

इलाहाबाद और गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट तथा प्रदेशीय शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---पहले मुझे एक जरूरी सूचना देनी है। इलाहाबाद और गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट तथा प्रदेशीय शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये मतदान आज १२ बजे से होने वाला था। मैं इस मतदान को, कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक की प्रार्थना पर २४ अगस्त, १९५९ तक के लिये स्थगित करता हूं।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २० अगस्त, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के चुनाव पर आपत्ति

****१---**श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आजमगढ़ नगरपालिका ने अपने अधिशासी अधिकारी का चुनाव करके प्रदेश सरकार के पास इस वर्ष स्वीकृति के लिये भेजा था ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---नगरपालिका आजमगढ़ ने अधिशासी अधिकारी का चुनाव किया था और तत्पश्चात् सरकार से अपने चुनाव के अनुमोदन (approval) की प्रार्थना की थी।

****२---**श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को चुनाव के विरुद्ध कुछ लोगों ने प्रदेश सरकार के पास इस वर्ष रिप्रेजेन्टेशन भेजा था और सरकार द्वारा जिलाधीश आजमगढ़ से पूछताछ और रिपोर्ट मांगी गई थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां।

**३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जिलाधीश आजमगढ़ की रिपोर्ट आने के पहले ही प्रदेश सरकार ने उक्त पद की स्वीकृति भेज दिया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सरकार ने केवल नगरपालिका के चुनाव का अनुमोदन (approval) किया। इसमें सरकार की स्वीकृति (sanction) की आवश्यकता नहीं थी। यह सच है कि अनुमोदन जिलाधीश की रिपोर्ट का इन्तजार किये बगैर ही कर दिया गया।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के चुनाव के लिये कितने व्यक्तियों के आवेदन-पत्र आये थे और क्या नगरपालिका ने सम्बन्धित व्यक्तियों की कोई मेरिट लिस्ट बनायी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, ठीक संख्या तो मुझे याद नहीं है लेकिन शायद १८, १९ के करीब थे और उन्होंने उनकी एक लिस्ट बनायी थी।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई आदेश समस्त नगरपालिकाओं को भेजा था कि यदि उनके यहां अधिशासी अधिकारी का चुनाव कराया जाय तो उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा प्राप्त किया हो ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, उनसे ऐसा कहा गया था कि अगर ऐसे लोगों का चुनाव किया जाय तो ज्यादा वांछनीय होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकार के ऐसे आदेश थे कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाय तो जिन नगरपालिकाओं ने ऐसे उम्मीदवारों को जिनकी ऐसी योग्यतायें थीं, न चुन कर कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को चुना, उनके लिये सरकार ने क्यों स्वीकृति प्रदान की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो चुनाव करने वालों की इच्छा पर मुनहसिर करता है। सरकार तो सिर्फ इतना देखती है कि उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिये। वह अगर उसमें है तो सरकार आपत्ति नहीं करती है। यह तो उनको देखना है कि वे किसको चुनते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि जिस उम्मीदवार को चुना गया है उसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, इसीलिये सरकार ने उसका अनुमोदन किया है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के इस चुनाव के बारे में वहां के जिलाधीश से सरकार ने जो पूछ-ताछ की थी, वह क्या थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसी बाबत पूछा गया था कि वहां पर किस तरह से उनका चुनाव हुआ है। बाकी हमारे सामने यह चीज मौजूद थी कि जिसको उन्होंने चुना उसके अन्दर क्वालिफिकेशन पर्याप्त है, इसलिये स्वीकृति दे दी थी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी, कुछ लोगों की जो शिकायत थी चुनाव के बारे में, तो उसके संबंध में जिलाधीश आजमगढ़ की क्या रिपोर्ट थी, उसको संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस समय तो हमें याद नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ था।

कानपुर का लेनिन पार्क अथवा ऋषि दयानन्द उद्यान

**४---कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर नगर के शीशामऊ मुहल्ले के आर्य समाज के सामने वाला पार्क जिसका नाम ऋषी दयानन्द उद्यान था अब बदल कर लेनिन पार्क रख दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा ---कथित पार्क का नाम लेनिन पार्क पुराना चला आ रहा है, नया नाम कोई नहीं रखा गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नाम कब से चला आ रहा है और इसके लिये क्या म्युनिसिपल बोर्ड में कोई प्रस्ताव पास हुआ था? यदि हां, तो कब?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह नाम ऐसा है कि जिसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ बल्कि ऐसे ही लोग कहते चले आते हैं लेकिन जिस दिन पार्क का उद्घाटन हुआ था उस दिन वहां सैकड़ों हजारों आदमी उपस्थित थे और उस दिन भी उसका नाम लेनिन पार्क ही लिया गया और इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और उसके बाद आज तक यह प्रश्न हमारे सामने नहीं आया।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जब इस पार्क का उद्घाटन हुआ था तो वह किसी रूसी प्रतिनिधि के द्वारा हुआ था और उनके नाम की पटिया लगाई गई थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मेरे पास जो सूचना है वह केवल यह है कि वह वहां उपस्थित थे, अब वह उद्घाटन किसकी मारफत हुआ यह मुझे नहीं मालूम।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस पार्क का नाम इससे पहले कभी भी ऋषि दयानन्द पार्क रहा था?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---रहा होगा, मुझे ठीक नहीं मालूम। हो सकता है इसी वजह से कुछ लोग लेनिन पार्क कहते हैं और कुछ लोग दयानन्द पार्क कहते हैं, बाकी आफिशियली कोई ऐसा नाम नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या म्युनिसिपैलिटी द्वारा कोई जांच करा ली गई है कि उसके रिकार्ड्स में कोई नाम नहीं है? अगर कोई है तो वह क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं जो उत्तर दे रहा हूं वह म्युनिसिपल बोर्ड की सूचना के आधार पर ही दे रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि वह रूसी प्रतिनिधि किसी के निमंत्रण पर आया था या वह स्वयं अपने आप आया था?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर जरा खुलासा दें---गोल-मोल उत्तर न दें---कि यह उद्घाटन किस ने किया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सूचना की जरूरत है।

पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के पुनर्वासन के लिये अधिगृहीत भूमि

**५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वीय बंगाल के रिफ्यूजीज़ को बसाने की दृष्टि से अब तक जिला बहराइच, नैनीताल, पीलीभीत और बिजनौर में कितनी जमीन, कहां-कहां या किस दर पर सरकार ने खरीदी तथा जमीन खरीदने व एक्वायर करने में कितना रुपया खर्च हुआ ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—वांछित सूचना का विवरण-पत्र माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४१६-४१७ पर)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित प्रश्न]

*१-३—**श्री रामसूरत प्रसाद** (जिला गोरखपुर)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ३ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

[२० अगस्त, १९५९ के लिये निर्धारित प्रश्न]

एस० पी० अथवा डी० एस० पी० पुलिस के ड्यूटी पर मारे जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*१—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५७ से १५ मार्च, १९५९ तक सरकारी काम करते समय राज्य के कितने एस० पी० या डी० एस० पी० पुलिस मारे गये थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कोई नहीं।

भारत १९५८ प्रदर्शनी, नई दिल्ली, में यू० पी० हैण्डीक्राफट्स स्टाल पर क्रय मूल्य में छूट न मिलने की शिकायत

*२—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत १९५८ प्रदर्शनी, नई दिल्ली के गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के स्टाल में ग्राहकों द्वारा सामान खरीदने पर उन्हें कैशमीमों भी दिया जाता है ? यदि हां, तो Book No. 240 तथा २४१ के कैशमीमों नं० २० से २५ तक प्रत्येक में कितने-कितने मूल्य का सामान बिका है ?

श्रम उप-मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी हां। बुक नं० २४० तथा २४१ के कैशमीमों नं० २० से २५ तक जो बिक्री हुई है उसका विवरण इस प्रकार है :—

बुक नं०	कैशमीमों नं०	बिक्री (रु०)
२४०	२०	३६.२४
	२१	९.२२
	२२	११.८८
	२३	२.६७
	२४	३.७५
	२५	३१.६३
	योग ..	९५.३९

बुक नं०					कैश मीमों नं०	बिक्री (रु०)
२४१	..	..	..	..	२०	३.६३
					२१	१३.७५
					२२	१२.४४
					२३	११.६४
					२४	१३.२२
					२५	१२.४४
					योग	६७.१२

*३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त प्रदर्शनी में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स की ओर से ग्राहकों को आर्ट एवं टैक्स्टाइल की निर्मित वस्तुओं पर रिबेट भी दिया जाता था? यदि हां, तो इस प्रदर्शनी में कितना-कितना रिबेट आर्ट और टेक्सटाइल पर अलग-अलग दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हथकरघा की वस्तुओं पर पूरे प्रदर्शनी काल में (८–१०–५८ से ३–२–५९ तक) छूट दी गई जब कि हस्तकला निर्मित व तुओं पर छूट केवल भारतीय हस्तकला सप्ताह में (१३–१२–५८ से २०–१२–५८) तक ही दी गई। हथकरघा की वस्तुओं पर १,१०१.२२ रु० तथा हस्त कला निर्मित वस्तुओं पर ५२६·२७ रु० की कुल छूट दी गई।

*४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैण्डीक्रैफ्ट्स द्वारा दिये गये रिबेट की रकम सरकार से सहायता के रूप में प्राप्त होती है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त प्रदर्शनी में दिये गये रिबेट की रकम भारत सरकार से प्राप्त हुई या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। दी हुई छूट की इस धनराशि का पैसा प्राप्त करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो कैश मेमो नम्बर २० से २५ तक बुक नम्बर २४० और २४१ से दिये गये हैं उनमें से हर एक पर कितना रिबेट दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी सूचना, मान्यवर, मेरे सामने नहीं है और न मेरे सामने वह कैश मेमो ही है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह निश्चय रूप से बताने की कृपा करेंगे कि इन कैश मेमोज के ऊपर रिबेट दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जो सूचना मेरे पास विभाग से आई है उससे लगता है कि अगर कैश मेमो हैन्ड लूम के सम्बन्ध में दिया गया है तो छूट निश्चित ही मिली होगी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रश्न को सूचना मानकर कि मुझे यह जानकारी व्यक्तिगतरूप से है और मेरे पास ऐसे कैश मेमोज हैं जो उसी काल के हैं और टैक्सटाइल के संबंध में जिनमें रिबेट नहीं दिया गया है, जांच कराने की कृपा करेंगे और जांच के समय हमें भी मौजूद रखेंगे ?

श्री हेमवनीनन्दन बहुगुणा—ऐसे कैश मेमोज अगर माननीय सदस्य मेरे पास भेजेंगे तो जांच जरूर करा दूंगा।

रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स

*५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१-१-५९ को राज्य में विधिवत् पंजीकृत Trade Unions की कुल संख्या कितनी थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—९९८।

*६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार उपरोक्त Trade unions की districtwise सूची उनकी सदस्य संख्या सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—‡सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

गैरसरकारी मिलों में वर्क काउन्सिल बनाने की मांग

*७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार राज्य की प्राइवेट (गैर सरकारी) मिलों में Work Council बनाये जाने के विषय पर विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पर क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वर्क काउन्सिल के सम्बन्ध में इंडियन लेबर कांफ्रेन्स ने भी विचार अभी हाल में शुरू किया है। उनकी इस सम्मेलन की अन्तिम बात अभी हमारे पास नहीं आई है। यह राय आने के बाद हम अपनी निश्चित राय भविष्य के लिये बना सकेंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ समय पूर्व मिलों में वर्क्स काउन्सिल थीं ? और यदि थीं तो उनके तोड़े जाने के क्या कारण थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुझे अफसोस होता है मान्यवर, यह कहने में कि राजनीतिक अड़ंगेबाजी में वह वर्क्स काउन्सिल खत्म हो गईं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक अड़ंगेबाजी में आई० एन० टी० यू० सी० सब से पीछे रह गई थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, जहां तक इस सरकार की सूचना है, आई० एन० टी० यू० सी० अड़ंगेबाजी में कभी रही ही नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वर्क्स काउन्सिलें तोड़ दी गई हैं उसका कारण केवल इतना था कि आई० एन० टी० यू० सी० पनप जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह लांछन है जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि बार-बार सवाल उठाया जा रहा है इसलिये सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि वर्क्स काउन्सिल हमने चलाई थीं। चीनी मिल में एक विवाद उठा एक फेडरेशन की तरफ से। यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन ने कहा कि चीनी मिल के मजदूरों में हमारा प्रतिनिधित्व है, हमें हक होना चाहिये कि हम वर्क्स काउन्सिल में नामांकन करें। एक वोट हुआ, उसमें वह जीते भी। लेकिन जब उनको चिटठी भेजी गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि अब आप कृपया चीनी मिल की वर्क्स काउन्सिल का नामांकन करें। तो हमारी

‡सूची छापी नहीं गई।

बदकिस्मती यह हुई कि उनकी यूनिटी भंग हो गई और दो लिस्ट हमारे पास आयीं। एक थी श्री शिवनलाल सक्सेना की तरफ़ से और दूसरी श्री ब्रज किशोर शास्त्री की तरफ से और दावा इस बात का हुआ, दोनों साहब कहते थे कि हम ही हैं यूनाइडेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन। वह संगठन व्यक्तिगत इच्छाओं पर बना था। फिर भी हमने कोशिश की कि यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन की तरफ से कोई अधिकृत लिस्ट आवे। उसके न आने से हमने सोचा कि इस सारे काम में राजनीतिक दांव पेंच के फैलाव होने की आशंका है इसलिये इसको खत्म किया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार बतायेगी कि ऐसी मिलों के अन्दर जहां किसी कारणवश ट्रेड यूनियन्स नहीं काम करती हैं वहां सरकार इस प्रकार की वर्क्स काउन्सिल बनाने का विचार करेगी जैसी कि राजकीय कारखानों में है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सरकार के कारखानों का जहां तक ताल्लुक है उसमें हमने वर्क्स काउन्सिल बनायी हैं। वर्क्स कमेटी और वर्क्स काउन्सिल के कार्य क्षेत्र में भिन्नता है। सरकार के कारखानों में बना दी हैं उसको देख रहे हैं। अगर यहां का अनुभव हमारा अच्छा रहा तो उसी तरह की रूपरेखा पर हम और जगह भी ऐसी ही कायम करेंगे और अखिल भारतीय श्रम कांफ्रेन्स के सुझावों के आधार पर दोनों बातों को मिलाया जा सका तो निश्चय विचार करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को मालूम है कि चीनी मजदूरों का रेफ़रेंडम किया गया था और उसमें जब आई० एन० टी० यू० सी० से संबंधित संगठन को वोट नहीं हासिल हुआ तो उस समय के श्रम मंत्री ने हमसे इस बात को कबूल किया था कि हां जिसका रिप्रेन्जेंटेशन है, जिनके पक्ष में ज्यादा बहुमत आया है उन्हीं के जरिये कमेटीज़ बनायी जायंगी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने पहले ही कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि झगड़ा हो गया।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि यह मामला किस समय का है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, माननीय राजनारायण जी की सूचना के लिये इतना कहना चाहता हूं कि रेफ़रेंडम हुआ १९५० में, तिथि मुझे ठीक याद नहीं है। नवम्बर की बात है, हो सकता है महीने में कुछ ग़लती हो, लेकिन हम लोगों ने रेफ़रेंडम खत्म होने के १५ रोज के अन्दर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक पत्र दिया यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के प्रधान मन्त्री को, यह वह दल था जो जीता था और उसे कहा गया था कि आप नामांकन कीजिये। उस दल की ओर से दो व्यक्तियों ने कहा कि हम उस दल के प्रतिनिधि हैं।

*८--श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ३ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ रोडवेज क्षेत्र के सहायक जनरल मैनेजर

*९--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रोडवेज रीजन में इस समय कितने सहायक जनरल मैनेजर कहां-कहां काम करते हैं ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)--लखनऊ रोडवेज रीजन में चार सहायक जनरल मैनेजर हैं, जिनमें तीन लखनऊ में और एक रायबरेली में तैनात है।

*१०--श्री उग्रसेन--[हटा दिया गया।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के भट्ठे

*११—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सीमेंट कारखाना, राबर्ट्सगंज (चुर्क) का एक भट्ठा मई, १९५८ को और दोनों भट्ठे २ जून, १९५९ को बन्द हो गये थे? यदि हां, तो उक्त भट्ठों के बन्द होने का क्या कारण था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मई, १९५८ में कोई भट्टा बन्द नहीं हुआ परन्तु मई और जून, १९५९ में दोनों भट्टे कुछ दिनों के लिये बन्द हो गये थे। भट्टा नं० १ मई १, १९५९ से लेकर मई २४, १९५९ तक तथा जून २ और ३, १९५९ को बन्द रहा। भट्टा नं० २ मई २८, १९५९ से जून १, १९५९ तक बन्द रहा। भट्टा नं० १ अग्नि इष्ट (fire bricks) की तह डालने के लिये तथा चालक गाडारी के खराब हो जाने के कारण बन्द किया गया था। भट्टा नं० २ अग्नि इष्ट के तह को ठीक करने के लिए बन्द किया गया था।

*१२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त भट्ठे कितने दिनों बन्द रहे और उनके बन्द रहने से कितने सीमेंट के उत्पादन की हानि हुई और ठीक कराने में कितना धन व्यय हुआ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—दोनों भट्टे कुल ३१ दिन बन्द रहे जिससे उत्पादन की कुछ हानि अवश्य हुई परन्तु अग्नि इष्ट (Fire bricks) की नई तह डालने तथा भिन्न मरम्मत के कार्य के लिये किसी भी सीमेन्ट फैक्टरी के भट्ठों का कभी कभी बन्द किया जाना एक साधारण परिस्थिति है। भट्ठों को ठीक कराने का कार्य फैक्टरी की कार्यशाला द्वारा ही सम्पादित कर लिया गया।

*१३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कारखाने के सभी भट्ठे अब ठीक से काम कर रहे हैं अथवा नहीं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आजकल दो भट्ठे सुचारु रूप से काम कर रहे हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त भट्ठियों में से एक भट्ठी को कोल फायर फेन टूट जाने के कारण भी बन्द करना पड़ा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह सही है कि भट्ठी में ईंटों की तह बदलते वक्त कुछ न कुछ खराबियां भी उनको देखने को मिलीं और उनमें यह भी एक गलती थी कि जो पंखा होता है उसमें खराबी थी, उसे भी ठीक किया गया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—उक्त भट्ठियों के टूटने के कारण की जांच के लिये क्या बाहर से कोई इंजीनियर बुलाये गये थे और उन्होंने जांच की थी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिस फर्म ने ये भट्ठियां लगायी थीं उनसे आवश्यक परामर्श किया जा रहा है इतने दिनों के काम के अनुभव के आधार पर।

श्री देवनारायण भारतीय—जब दोनों भट्ठियां बन्द हो गयीं तो कितने मजदूर कितने दिन तक बेकार रहे और उससे कितनी हानि हुई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमने एक भी मजदूर को बेकार नहीं किया। नियमानुकूल प्ले-आफ कर सकते थे लेकिन ऐसा करना सार्वजनिक दृष्टि से उचित नहीं समझा गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—जब इस फैक्टरी के एक्सटेंशन का सवाल आया तो टेक्निशियंस की एक कमेटी बैठी थी यह रिपोर्ट देने के लिये कि क्यों ये भट्ठियां बिगड़ रही हैं और उसकी यह रिपोर्ट थी कि डिजाइन गलत होने के कारण ये भट्ठियां बन्द हो गयीं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--ऐसी कोई निश्चित राय डिजाइन के गलत होने के बारे में हमको बिलकुल नहीं मिली। भट्ठियां किस एंगिल पर बैठें इसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया लेकिन मैन्युफेक्चरिंग डिजाइन के बारे में कोई दो रायें नहीं हैं कि वह ठीक है।

श्री राजनारायण--किस कम्पनी ने वहां पर भट्ठियां लगाई थीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि किस फर्म ने इनको लगाया था; इतना जरूर है कि जिस फर्म ने भी लगाया हो उनके साथ परामर्श करने के लिये उनके इंजीनियर्स को बुलाया जा रहा है।

श्री राजनारायण--जिस फर्म को काम करने का ठेका दिया गया, क्या वह कोई विलायती फर्म थी और क्या उसके बारे में यहां के इंजीनियर्स की राय ठीक नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह सही नहीं है कि फैक्टरी के मैन्युफैक्चरर्स के बारे में किसी हिन्दुस्तानी या किसी दूसरे देश के इंजीनियर्स की राय खराब हो।

श्री राजनारायण--प्रश्न यह भी था कि फर्म देशी थी या विलायती थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैन्युफक्चरर्स बाहरी थे।

श्री चन्द्रजीत यादव--जो कमेटी बैठी उसने सरकार से यह भी कहा कि जब इस फर्म को आर्डर दिया गया तो समझौते में सरकार ने इस तरह का क्लाज नहीं रखा कि भट्ठे बिगड़ने पर उसका खर्चा फर्म बर्दाश्त करेगी जिसके कारण सरकार को खर्चा बर्दाश्त करना पड़ रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जहां तक समझौते का ताल्लुक है वह तो दो के बीच की बात होती है, अकेले गवर्नमेन्ट पर निर्भर नहीं करता। उसमें कोई कमी रह गयी ऐसा हम नहीं मानते। जितनी भट्ठियां, फैक्टरियां या विलन्स होते हैं उनमें बहुत हैवी मूवमेंट होता है और ईंटों का गलना बहुत मामूली चीज होती है, कोई विशेष बात इसमें नहीं है।

उद्योग विभाग से संबंधित सूत का स्टाक बेचने के लिये आदेश

*१४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५४ ई० के अगस्त माह में राज्य के संचालक उद्योग विभाग ने सरकार को सूत का स्टाक बेचे जाने के हेतु पत्र लिख कर अनुमति मांगी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*१५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि क्या संचालक उद्योग विभाग के उक्त पत्र के उत्तर में सरकार ने सूत का स्टाक बेचे जाने के हेतु कोई आदेश १२ मार्च, सन् १९५९ को दिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, सरकारी आदेश १२ मार्च, सन् १९५८ को दिया गया था।

*१६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो उक्त आदेश दिये जाने के बाद सूत का स्टाक जब बेचा गया उसकी कीमत क्या प्राप्त हुई और कितना स्टाक सूत का अभी भी शेष है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आदेश जाने के बाद अभी तक सूत नहीं बेचा गया है।

एलगिन और टैक्सटाइल मिल, कानपुर के अभिनवीकरण की योजना

*१७--श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि क्या एलगिन मिल और टैक्सटाइल मिल, कानपुर ने सन् १९५९ में सरकार के समक्ष कोई अभिनवीकरण योजना उपरोक्त मिलों में लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो उस योजना का विवरण क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां। एलगिन मिल की योजना वीवर्स, स्पिनिंग फ्रेम्स, डाफरों तथा हाई स्पीड बाइंडरों के अभिनवीकरण से संबंधित है और कानपुर टैक्सटाइल की योजना वीवर्स, रिंग फ्रेम पीसर्स तथा रिंग फ्रेम ड्राफरों के अभिनवीकरण से संबंधित हैं।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना मालिकों ने सबमिट की है वह माननीय बिन्दबासनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट के प्रतिकूल है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जो योजना मालिकों ने दी है उस पर विचार जारी है। यह सही है कि पूरे तौर से वह बिन्दबासनी कमेटी के अनुरूप नहीं है लेकिन उनकी जो सिफारिश है उसके सम्बन्ध में मालिक और मजदूरों के बीच में परामर्श कराने की कोशिश की गयी थी। श्रम सचिव और श्रमायुक्त दोनों ने बातचीत की है लेकिन अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं निकला।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार को जानकारी है कि मालिकों ने बगैर सरकार की रजामन्दी के रेशनलाइजेशन जारी कर दिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां, ऐसा सुना गया है। ऐसे मालिकों को और खासतौर से एलगिन मिल के मालिकों को नोटिस भी दिया गया है कि बिना सरकार की रजामन्दी के उन्होंने अभिनवीकरण कैसे शुरू किया।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों मिलों के मालिकों को यह नोटिस कब दिया गया है और उसका उन्होंने क्या उत्तर दिया और सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, नोटिस उनको किस तारीख को दी गयी यह मैं नहीं कह सकता। उनका क्या जवाब आया यह भी कहना मुश्किल है क्योंकि जहां तक मेरी सूचना है उनका कोई उत्तर अभी तक नहीं आया। लेकिन ज्यों ही उनका उत्तर आयेगा उस पर उचित कार्रवाई की जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मालिकों को यह नोटिस दी गयी तो यह भी स्पष्ट आदेश दे दिया गया था कि जब तक सरकार इस पर निर्णय नहीं कर लेती है तब तक उस योजना को स्थगित कर दिया जाय? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सरकार को केवल इतना अधिकार है कि लोगों को कह दे कि वे अनुचित काम न करें। अनुचित काम करने से रोकने की कोई सीधी दवाई तो हमारे पास है नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जानकारी हासिल करने का कष्ट किया है कि अभिनवीकरण योजना के लागू करने के कारण कुछ मजदूरों में कमी भी की गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--ऐसी कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है।

नैनी स्वदेशी काटन मिल के सम्बन्ध में पूछताछ

*१८--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) व श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या इलाहाबाद की नैनी स्वदेशी काटन मिल में ३ जुलाई, १९५९ से ताला बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा--श्रमिकों द्वारा ९ जून, १९५९ से की गई हड़ताल के कारण सेवा योजकों ने मिल में ३ जुलाई, १९५९ से तालाबन्दी कर दी थी परन्तु १ अगस्त, १९५९ से वह समाप्त हो गई है और मिल चल रही है ।

*१९--**श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या यह सही है कि नैनी स्वदेशी काटन मिल को सरकारी ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां । नैनी स्वदेशी काटन मिल (इलाहाबाद) को २५ लाख रुपये का ऋण वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में दिया गया है । इस ऋण को केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया था ।

*२०--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या यह सही है कि नैनी स्वदेशी काटन मिल में ९ जून, १९५९ में (st ike) चल रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस समय वहां कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हड़ताल होने के पहले मजदूरों ने कोई अपनी मांग रखी थी, यदि हां, तो उन मांगों में से किन किन मांगों को मान कर यह मिल खोली गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा--उस हड़ताल के सिलसिले में श्रमिकों की दो मुख्य मांगें थीं, एक तो काम करने के घंटों के सम्बन्ध में, पालियों की बाबत और दूसरे जो चार मजदूर उनके हटाये गये थे उनको वापस लेने के सम्बन्ध में । इनमें से समझौते के सम्बन्ध में जो बात हड़ताल के पहले कही जा रही थी सिर्फ उस पर समझौता हुआ है । चार मजदूरों का मामला एक आर्बिट्रेटर को दे दिया गया है और जहां तक पालियों का सम्बन्ध है वह आपस में बातचीत करके कुछ इसमें परिवर्तन कर दिया गया है ।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बतायेगी कि बाहर के लोगों ने कितनी दिलचस्पी ली ?

श्री अध्यक्ष--इलाहाबाद से बाहर वालों ने ?

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--जी नहीं । यूनियन से बाहर वालों ने ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--कुछ लोगों ने थोड़े दिन तक दिलचस्पी ली जब झगड़ा तेजी पर था लेकिन धीरे-धीरे सब ने साथ छोड़ दिया और काम चालू हो गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हड़ताल के उपलक्ष में लाठी चार्ज हुआ और उसमें कितने घायल हुये और किन पर मुकदमा चलाया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हड़ताल के सम्बन्ध में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तालाबन्दी से श्रमिकों को कितना नुकसान पहुंचा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, हमने हिसाब तो जोड़ा नहीं है लेकिन हजारों रुपयों में उनका वेतन गया और इतना मैं कह सकता हूं कि इलाहाबाद में जो औद्योगिक वातावरण बन रहा था, उसको भी ठेस पहुंची है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि काम के घंटों के सम्बन्ध में क्या मांग थी और उसमें क्या परिवर्तन किया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पहले जो काम की पाली थी वह इस तरह से चलती थी कि नौ नौ घंटे और पांच घंटे। श्रमिकों ने कहा था आठ-आठ घंटे कर दी जाय। लेकिन उनका कहना था कि हमें बिजली नहीं मिल रही है इसलिये हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अब साढ़े आठ आठ घंटे और पांच घंटे इस तरह से परिवर्तन किया गया है। लेकिन यह कोई विशेष बात नहीं थी जिससे झगड़ा होने की बात होती।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि यह हड़ताल आई०एन०टी०यू०सी० ने कराई थी और उसमें बड़ा हाथ एक सज्जन का था जो इस समय प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपके ऊपर आक्षेप है सीधा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि हड़ताल के रोकने और उसके सम्बन्ध में जितनी बातें थीं उनमें मेरा हाथ था। यह बिलकुल ठीक है, लेकिन उसके कराने में उनका हाथ था जो गौरीशंकर राय जी के पास बैठते हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितने दिन तक मिल बन्द रही मजदूरों को वेतन दिया गया या नहीं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इससे यह सवाल उठता नहीं है। यह तो ऋण का सवाल है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो २५ लाख रुपया स्वदेशी काटन मिल को दिया गया वह किस लिये दिया गया और उसमें क्या प्रगति हुई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार से पूछिये लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि यह रुपया मिल बनाने के लिये दिया गया था। मिल बन गई और चालू भी हो गई।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सीक्योरिटी ली गई है उसमें मौजूदा प्राइसेज फिक्स की गई है या डिप्रिसियेशन वगैरा लगाया गया है या कोई दूसरा मैथड एडाप्ट किया गया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुझे मालूम नहीं कि डिप्रिसियेशन इसमें कहां से आ गया। यह तो नई मिल बनी है और सब सामान नया है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि २५ लाख रुपया प्रदेशीय सरकार ने दिया या केन्द्रीय सरकार ने दिया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—केन्द्रीय सरकार ने।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने २५ लाख रुपया दिया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैं नहीं कह सकता कि सिफारिश के माने क्या होते हैं लकिन जो कागजों का प्रोसेस होता है उसमें किसी स्टेज पर उनका भी कागज हमारे जरिये गया होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस ऋण को अदा करने की कोई अवधि नियत की गयी है और यदि नियत की गयी है तो वह क्या है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कर्जा दस साल के अन्दर देना है। जिस तारीख में लोन दिया गया उसके तीसरे साल के बाद कर्जा देना शुरू होता है अर्थात् दस साल की अवधि उस दिन से शुरू होगी। साढ़ चार प्रति सैकड़ा का सूद है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो ऋण दिया गया है इसमें किस परसेंटेंज से सूद लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—साढ़े चार, अभी उन्होंने कहा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह मिल कुल कितने दिन बन्द रही ?

†**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—मान्यवर, यह कहा गया कि यह मिल ३ जुलाई से बन्द (लाक आउट से) थी। ३१ जुलाई को उसमें समझौता हो गया। १ अगस्त से वह चल पड़ी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसमें समझौते की कौन-कौन सी शर्तें हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सवाल के उत्तर में कहा था कि चार मजदरों का मामला आर्बिट्रेशन को दिया गया और काम करने के घंटों में थोड़ी हेर-फेर कर दी गयी।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस हड़ताल के सम्बन्ध में मजदूरों पर कुछ मुकदमे भी चलाये जा रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हड़ताल के उपलक्ष्य में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है।

न्योली शुगर मिल्स पर किसानों का बकाया

*२१—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्योली शुगर मिल्स, जिला एटा पर गन्ना उत्पादकों का कितना रुपया बाकी है, तथा सरकार उसे कब तक दिलायेगी जब कि आगामी सीजन आने वाला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१ जुलाई, १९५९ को इस मिल पर किसानों का केवल ३८ हजार बकाया था और इसके शीघ्र वसूल हो जाने की आशा की जाती है।

राज्य में खुलने वाले औद्योगिक आस्थान

*२२—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने तक अपने प्रदेश में आगरा तथा नैनी के अतिरिक्त किन-किन स्थानों पर औद्योगिक आस्थान और आरम्भ हो सकेंगे ? उक्त दोनों स्थानों में किस हद तक प्रगति हो चुकी है और अभी क्या करना शेष है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—(क) कानपुर, लोनी ब्लाक (मेरठ) काशी विद्यापीठ (वाराणसी), देवबन्द (सहारनपुर), भीमताल (नैनीताल) श्रीनगर (गढ़वाल) तथा टेहरी गढ़वाल में

(ख) वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४१८ पर)

---

†१० सितम्बर, १९५९ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय, मुख्य मंत्री महोदय माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये सुझाव पर कि प्रत्येक जिले में औद्योगिक आस्थान खोले जायं विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तीसरी पंचवाला योजना में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कहां कहां खोले जायं यह वर्किंग ग्रुप के विचाराधीन है। उनकी सिफारिश पर प्रदेशीय सरकार विचार करेगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को इमारतें बनाने का कार्य कब सौंप गया और यह इमारतें कब से उद्योगपतियों को एलाट होने लगेंगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—निश्चित तिथि बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है कि किस तारीख को यह काम दिया गया। आगरा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और पी०डब्ल्यू०डी० से हमारी दरख्वास्त है कि वे जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयत्न करें। मैं निश्चित तिथि नहीं बता सकता कि कब बिल्डिंग्ज को दे सकेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो औद्योगिक आस्थान खुलने वाले हैं इसमें केन्द्रीय सरकार भी किसी प्रकार की सहायता देने वाली है ? यदि हां, तो किस प्रकार की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमारे प्लान के अन्दर योजनाएं केन्द्रीय सरकार और हमारे दोनों के धन से बनती हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो खोले जाने वाले आस्थान हैं इन की रूपरेखा क्या होगी ? जनता की ओर से खोले जायेंगे या सरकार का ही एकाधिकार होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स महज इमारत बना देते हैं, बिजली, पानी का प्रबन्ध कर देते हैं और बाद में उस फैक्ट्रीशेड को जो तैयार रहती है, प्राइवेट लोगों को दे देते हैं। वह अपनी मशीन लगाते हैं, अपना धंधा करते हैं।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की विस्तार योजना

*२३—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के विस्तार (expansion) की कोई योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—फैक्ट्री की विस्तार योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। इस योजना का ध्येय फैक्ट्री के उत्पादन को दूना करना है और इस हेतु २७५ लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध है। नई प्लांट तथा मशीनरी जो जैकोस्लोवाकिया के स्कोडा नामक फर्म से खरीदी गई है, आनी शुरू हो गई है। नई मशीनरी के लगाने का ठेका दिया जा चुका है और नींव खोदने का काम शुरू हो गया है। इस योजना पर ३१ मार्च १९५९ तक ५३.१४ लाख रुपये की धनराशि खर्च हो चुकी है।

*२४—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त फैक्ट्री के कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी फैक्ट्री की ओर से इस समय विदेश गये हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन और क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां।

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४१९ पर)

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विस्तार के संबंध में जो सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी और उस कमेटी ने जो मशीन मंगाने के लिये टेंडर मंगाये थे उसमें जर्मनी के मोइगे कम्पनी का टेंडर सबसे कम था, फिर क्या वजह थी कि उसको न देकर जेकोस्लोवाकिया के सोडा कम्पनी से यह मशीने मंगाई जा रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त मैं ठीक ब्योरा तो नहीं दे सकता। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है हुआ यह था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से यह कहा गया कि किसी ऐसे फर्म को ठेका देना चाहिये जो कि जहां तक हो सके रुपये में पेमेंट ले और दूसरे वह कुछ लम्बा टर्म हमको दे ताकि दो तीन वर्ष के अन्दर रुपया ड्यू न हो जाय। इन सब बातों पर गौर करने के बाद यह सोडा कम्पनी को ही देना उचित मालूम पड़ा, क्योंकि फारेन एक्सचेंज की दृष्टि से उनके टर्म सबसे अच्छे थे।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फैक्ट्री के एक्सपेंशन के संबंध में जो अवधि पहले नियत थी, उसके अनुसार वह एक साल पहले ही काम प्रारम्भ हो जाना चाहिये था लेकिन इस आर्डर के देने में और टेंडर की जांच वगैरह करने में अनावश्यक रूप से जो देरी की गई है इससे फैक्ट्री की हानि हुई है, इसका कारण क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अनावश्यक कोई बात नहीं हुई। जहां पर इतने रुपये की बात होती है, बहुत कुछ देखना भालना पड़ता है, गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात करनी होती है, एक्सपर्ट्स से राय लेनी पड़ती है, कई बातों पर खतोकिताबत करनी होती है। अनावश्यक देरी कोई नहीं हुई।

सिंचाई विभाग के सचिव का तबादला

*२५--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २१ फरवरी से ७ मार्च, १९५९ के भीतर सिंचाई सचिवालय के बहुत से Gazetted Officers के छुट्टी जाने और दूसरे विभागों को बदली किये जाने के क्या कोई विशेष कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२१ फरवरी से ७ मार्च, १९५९, की अवधि में सिंचाई विभाग के केवल एक ही अफसर छुट्टी गये थे और उसके बाद उनका तबादला हो गया था। उनके छुट्टी जाने के और उनके तबादला होने के कोई विशेष कारण नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह कौन अफसर थे और इन्होंने छुट्टी के लिये कब एप्लाई किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्री सिद्दीकी, जो कि उस विभाग के सचिव थे। छुट्टी इनकी बहुत पहले से चल रही थी, जो तारीख इसमें दी गई है उससे पहले से और फिर उस तारीख से ६० दिन की छुट्टी उन्होंने और ली।

किछा चीनी मिल चलाने का आयोजन

*२६--श्री प्रतापसिंह--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल किच्छा के चलने में क्या कठिनाई हो रही है और वह कब तक चल जायेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस मिल के संस्थापन के लिये अब केंद्रीय सरकार से कुछ फारेन एक्सचेंज मिल गया है। शेष मशीनरी देश में ही बनेगी। अतएव १९६०-६१ तक इस मिल के चालू होने की आशा की जाती है।

*२७---श्री प्रतापसिंह---क्या मुख्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मझोला, तहसील खटीमा, जिला नैनीताल की चीनी मिल खुलने के आदेश हो गये हैं? यदि हां, तो उसका कार्य कबतक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह---क्या उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल के लिये कुल कितने रुपये की मशीनरी की आवश्यकता होगी और उसमें से कितने रुपये की बाहर से मंगाई जायगी और कितने रुपये की देश में बनेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस मिल पर जो डिटेल्ड कैपिटल आउटले है वह करीब १ करोड़ २० लाख रुपये का है। यह मैं नहीं कह सकता कि कितनी मशीनरी बाहर से मंगाई जायगी और कितनी इस देश में बनेगी, लेकिन अधिकांश हिस्सा इस देश में बनेगा ऐसा निश्चय में समझता हूं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाहर से आने वाली मशीनरी के लिये कुल कितने फारेन एक्सचेंज की आवश्यकता होगी और केंद्रीय सरकार उसमें से कितना दे रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, इसकी सूचना निश्चितरूप से मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस किछा के चीनी मिल के मालिकों को प्रदेशीय सरकार ने कितने रुपये का ऋण दिया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---४०,००,००० रुपये।

श्री प्रतापसिंह---क्या उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मझोला की चीनी मिल को कोआपरेटिव मिल बनाने के संबंध में केन कमिश्नर ने अपनी कोई सिफारिश की है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, सिफारिश की है और हमारे सामने विचार भी था लेकिन मशीनरी के मिलने में दिक्कत हो रही थी। इसलिये उसके संबंध में सोचा गया कि वह अभी नहीं आ सकेगी। हमने वहां कोआपरेटिव वालों से कहा है कि अगर वे तीसरी पंचवर्षीय योजना में उसको बनाने के लिये तैयार हों तो हम विचार करेंगे। वे भी राजी हैं और हमारी भी इच्छा है कि किसी न किसी दिन हम उसको चलावें।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिस समय प्रदेशीय सरकार ने ४० लाख रुपया इसको दिया उस समय तक इस फैक्ट्री को केंद्रीय सरकार से लाइसेंस नहीं मिला था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह इस वक्त कहना मेरे लिये संभव नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह मिल कब तक चल जाने की आशा है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सन १९६०-६१ में इस मिल के चालू होने की संभावना है।

इटावा जिले की बुनकर सहकारी समितियां

*२८—श्री सुखलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में कितनी बुनकर सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं और उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२९-३०—श्री उग्रसेन—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ३ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज विभाग के कण्डक्टर्स की पदोन्नति पर विचार

*३१—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उत्तर प्रदेश रोडवेज में बुकिंग क्लर्क, जूनियर क्लर्क तथा हाई स्कूल पास कन्डक्टर्स की पे एक ही है और ए० टी० आई के पद पर बुकिंग क्लर्क और जनियर क्लर्क के पद से पदोन्नति दी जाती है ? यदि हां, तो हाई स्कूल कंडक्टर्स को सरकार ने किस पद पर पदोन्नति देने का आदेश दिया है ?

डाक्टर सीताराम—बुकिंग क्लर्क, जूनियर क्लर्क और हाई स्कूल पास कन्डक्टर्स का वेतन-क्रम समान है। ए० टी० आई० के पद पर बुकिंग क्लर्क और सिटी बस सर्विस के कंडक्टर की पदोन्नति की जाती है। अन्य हाई स्कूल पास कंडक्टर्स की पदोन्नति का मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब बुकिंग क्लर्क, जूनियर क्लर्क तथा हाई स्कूल पास कंडक्टर्स का वेतन-क्रम एक ही है तो ए० टी० आई के पद पर पदोन्नति करने में उनको क्या बाधा है ?

डाक्टर सीताराम—बाधा कोई नहीं है। अब वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब बुकिंग क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिये इस पदोन्नति के लिये आदेश दिये गये थे तो उसी समय हाई स्कूल पास कंडक्टर्स के लिये आदेश क्यों नहीं भेजे गये ?

डाक्टर सीताराम—जैसा मैंने बतलाया, बुकिंग क्लर्क और जूनियर क्लर्क का पे स्केल एक था और कंडक्टर का पे स्केल कम था। इसलिये उनको ए० टी० आई० के पद पर तरक्की देने के लिये इस प्रकार का कोई आदेश भेजा नहीं गया क्योंकि पे में डिसिमिलेरिटी थी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह स्कीम कब से विचाराधीन है और कब तक इस पर फैसला हो जाने की उम्मीद है ?

डाक्टर सीताराम—करीब एक महीने से विचाराधीन है। समय बतलाना कठिन है लेकिन यह विश्वास किया जाता है कि यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र इस पर विचार किया जायगा।

प्रान्तीय रक्षक दल के ब्लाक आर्गेनाइजरों का तबादला न होना

*३२—श्री छेदी लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षक दल में कितने ऐसे ब्लाक आर्गेनाइजर हैं जिनको एक ही जिले में दस वर्ष से अधिक हो गये हैं ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—१३५।

श्री छेदीलाल--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो प्रांतीय रक्षक दल के ब्लाक आर्गेनाइजर १० साल से अधिक एक ही ब्लाक में काम कर रहे हैं उनको ट्रांस्फर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सुल्तान आलम खां--जो ब्लाक आर्गेनाइजर काम कर रहे हैं वे नान-गजटेड हैं और चूंकि उनको बहुत थोड़ी तनख्वाह मिलती है इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि वह जिस मुकाम पर हैं वहीं रह कर अच्छा काम कर सकते हैं। श्रमदान में काम करना तथा दूसरे कामों के लिये वालेंटियर्स इकट्ठा करना उनका काम है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उन आर्गेनाइजर्स की तनख्वाह बढ़ा कर उनमें भी तबादले का सिस्टम जारी कर दिया जाय ताकि वे पार्टीबन्दी में हिस्सा न ले सकें ?

श्री सुल्तान आलम खां--तनख्वाह बढ़ाने का जहां तक ताल्लुक है, अगर यह हाउस ज्यादा रुपया देगा तो उनकी तनख्वाह बढ़ सकती है लेकिन जब तक उनकी तनख्वाह न बढ़े तब तक चूंकि वह थोड़ी तनख्वाह वाले आदमी हैं उनको वहीं रखना ठीक होगा। लेकिन अगर किसी खास आदमी के मुताल्लिक शिकायत होगी तो हम जरूर गौर करेंगे।

रोडवेज क्षेत्र गोरखपुर के कर्मचारियों के स्थायीकरण तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी

*३३--श्री उग्रसेन--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या ५९९ (१) रेस १,१००--आर/इस्ट-१९५७, दिनांक ३१ जनवरी, १९५८ के अनुसार दिनांक २६ अगस्त, १९४८ के पहले के कितने कर्मचारी गोरखपुर रीजन में स्थायी नहीं किये गये और क्यों ?

डाक्टर सीताराम--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३४--श्री उग्रसेन--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में प्रतिवर्ष कितने सहायक बुकिंग क्लर्क की पदोन्नति बुकिंग क्लर्क और जूनियर क्लर्कों के पदों पर हुई हैं ?

डाक्टर सीताराम--आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री उग्रसेन--माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न का नोटिस बहुत पहले दिया गया था यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सूचना कब तक आयेगी ?

डाक्टर सीताराम--सन् १९४८ के पहले स्थायी के संबंध में प्रश्न पूछा गया है इसलिये प्रत्येक जिले से आंकड़े मंगाये जा रहे हैं। ज्यों ही आंकड़े मिल जायेंगे, सदस्य महोदय को भेज दिये जायंगे।

अल्मोड़ा तथा नैनीताल जिलों में क्षेत्र विकास अधिकारियों का तबादला न होना

*३५--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा व नैनीताल में ऐसे कितने क्षेत्र विकास अधिकारी हैं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट तथा होम सेंटर पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--अल्मोड़ा में ६ तथा नैनीताल में २ क्षेत्र विकास अधिकारी अपने निकास स्थान के जिले के विकास क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र विकास अधिकारी अपने निवास स्थान के विकास क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है।

श्री खुशीराम--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल की हल्द्वानी तहसील में उस विकास क्षेत्र के कार्यकर्त्ता पदाधिकारी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सुल्तान आलम खां--मेरे पास अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। अगर आयेगी तो जांच पड़ताल करायी जायगी।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वे अपने जिले में काम कर रहे हैं तो उनको दूसरे जिले में कार्य देने में क्या कठिनाई है ?

श्री सुल्तान आलम खां--आम तौर पर जितने विकास अधिकारी हैं वह दूसरे जिलों में हैं, लेकिन हमारे पहाड़ी इलाकों में एक खास स्थिति है। वहां की भाषा, जागरफिकल कंडीशन्स आदि को देखते हुए यह उचित समझा गया कि मुकामी अधिकारी ही वहां अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो उस पर गौर करके ऐक्शन लिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर हवालबाग जो थे उनको बदल दिया गया, लेकिन जो अल्मोड़े वाले हैं वह पांच साल से अधिक वहीं पर काम कर रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां--हो सकता है कि ऐसी ही बात हो। लेकिन मुझे इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

बख्शी तालाब में बी० डी० ओ० प्रशिक्षणार्थियों को वेतन, भत्ता न मिलने की शिकायत

*३६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सन् १९५४ में विभिन्न विभागों में से १०४ कर्मचारी बक्शी के तालाब, लखनऊ में बी०डी० ओ० ट्रेनिंग में भेजे गये थे ?

श्री सुल्तान आलम खां--सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

*३७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारियों में से कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ट्रेनिंग-काल का वेतन भत्ता इत्यादि अभी तक नहीं दिया गया है और न देने का क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां--सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--आजतक सूचना एकत्रित न हो सकने का कौन सा कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां--सूचना एकत्रित की जा रही है और होते-होते ही होगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सूचना आ सके।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सूचना इस बात की एकत्रित नहीं हुई कि वहां ट्रेनिंग में लोग गये या नहीं या इस बात की सूचना नहीं मिल पायी कि वे, १०४ थे १०३ थे या १०५ थे ?

श्री सुल्तान आलम खां--जो लोग ट्रेनिंग में भेजे गये वह कुछ तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग थे और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के लोग थे। जो दूसरे डिपार्टमेन्ट के थे उनकी तनख्वाह और भत्ता वगैरह उसी डिपार्टमेंट से मिलेगा। इसलिये उस मुहकमें से सूचना वगैरह इकट्ठा करने में देर लग रही है। वह आने पर बतलायी जा सकेगी।

आगरा रोडवेज कार्यालय में असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टरों के लिये पैनल

*३८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या असिस्टेन्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद के लिये कार्यालय, सामान्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में वेटिंग पैनल १९५९ में बनाया गया है ?

डाक्टर सीताराम—केवल सामान्य प्रबन्धक, आगरा रोडवेज के कार्यालय में इस प्रकार की वेटिंग लिस्ट बनाने की आवश्यकता हुई ।

*३९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उक्त वेटिंग पैनल में किस योग्यता के व्यक्तियों को रखा गया है और इन व्यक्तियों के चुनाव का तरीका क्या है ?

डाक्टर सीताराम—उक्त पैनल में हाई स्कूल पास एवं उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी रखे गये हैं । अभ्यर्थियों का चुनाव विभागीय समिति ने साक्षात्कार (interview) द्वारा किया ।

फूलपुर सहकारी संघ के अन्तर्गत ईंटों के भट्ठे के लिये दिये गये कोयले के सम्बन्ध में जांच

*४०—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फूलपुर सहकारी संघ, जिला वाराणसी किस सन् से ईंटें का भट्ठा चला रहा है और प्रतिवर्ष कितना वैगन कोयला इस भट्ठे को दिया जाता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस जिले का फूलपुर सहकारी संघ दिसम्बर, १९५६ से ईंट का भट्ठा चला रहा है, इसको तब से निम्न प्रकार से कोयला दिया गया है—

वर्ष	मात्रा
	वैगन
१९५६–५७	१८
१९५७–५८	२०
१९५८–५९	२५

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो १९५८–५९ में उन्होंने २५ वैगन दिया है तो इतना ज्यादा कोयला देने का क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां—२५ वैगन उन्होंने मांगा था, वह उनको दिया गया ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई इस तरह की सूचना आयी है कि इस साल १९५८–५९ में आडिटर ने एक नोट लिखा है कि करीब ५,००० रुपये का कोयला गबन में है, उसका पता नहीं है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां, मुझे इतला मिली है कि ऐसा नोट आडिटर ने १९५६–५७ तथा १९५७–५८ के लेखे के सम्बन्ध में लिखा था । उसकी जांच की गयी और मालूम हुआ कि वहां का जो कांट्रेक्टर था उससे जवाब-तलब किया गया है कि उसने क्यों इतना कोयला खर्च किया है, लेकिन यह भी मालूम हुआ है कि कोई गबन नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ कोयला भींग गया था और कुछ क्वांटिटी ज्यादा थी, इसलिये ज्यादा खर्च हुआ । उसकी जांच हो रही है ।

महारानी झांसी का महल पुरातत्व विभाग को देने का निश्चय

*४१---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार मेरे तारांकित प्रश्न नम्बर २५, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५८ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि उसने महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी के महल को केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग को देने के लिये जो लिखा-पढ़ी की थी उसका क्या परिणाम निकला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त महल को केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग को हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया गया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त महल को केन्द्रीय सरकार को इसलिये हस्तांतरित किया जा रहा है कि उसमें महारानी लक्ष्मीबाई के स्मारक स्वरूप कोई म्यूजियम खोला जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह केन्द्रीय सरकार जाने कि वह उसका क्या उपयोग करेगी ।

महारानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी श्री लक्ष्मणराव का मांग-पत्र

*४२---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार मेरे तारांकित प्रश्न नम्बर ६०, दिनांक ५ मार्च, १९५९ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसको महारानी लक्ष्मी बाई के उत्तराधिकारी श्री लक्ष्मणराव झांसी वाले का इस आशय का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था कि उनको महारानी साहिबा की चल व अचल सम्पत्ति तथा छः लाख रुपया जो कि ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिये थे, हस्तांतरित कर दिये जांय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उक्त आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुआ था और उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मई, १९४७ से पहले-पहले प्रार्थना-पत्र मिला था । उसकी अधिकांश मांगें ऐसी थीं जिन पर कोई काम नहीं हो सकता था । ऐसी एक मांग थी कि झांसी की रियासत उनको वापस कर दी जाय । जिस जमाने में रियासतों का विलीनीकरण हो रहा हो उस समय उनको रियासत वापस करने का कोई कारण नहीं हो सकता था और न उसको मानने का कारण हो सकता था ।

उनकी एक मांग थी कि उनकी कोई ६ लाख की रकम थी, उसका कोई पता नहीं है, वह उनको दिलायी जाय । भारत सरकार ने कहा कि हमको उस रकम का कोई पता नहीं इसलिये उनको दिये जाने का कोई सवाल नहीं होता । दूसरा कहना यह था कि उनकी बहुत-सी चल सम्पत्ति ऐसी थी, जेवर इत्यादि, वह उनको वापस की जाय । भारत सरकार ने उनको लिखा कि उसका कोई पता नहीं है । एक सरकारी कागज में लिखा हुआ है कि १८५७ के वक्त जो कुछ सामान रहा होगा वहां पर फौज का कब्जा था, उसने कब्जा कर लिया होगा और उसका कोई ठिकाना, पता नहीं है इसलिये उसको वापस करने का कोई प्रश्न नहीं होता है । एक यह मांग थी कि महारानी झांसी का महल उनको दे दिया जाय तो वह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को दे दिया जायगा । एक मांग थी कि झांसी में उनकी जमीन या बाग है वह उनको वापस कर दिया जाय । तो वह जमीन १८५७ के बाद कुछ लोगों को दे दी गयी थी, वह उनके पास है, उन लोगों को हटा कर उनको देना सम्भव नहीं है । एक यह थी कि उनके लड़के को फौज में कमीशन दे दिया जाय, तो हमने भारत सरकार से सिफारिश कर दी है, वह देना न देना भारत सरकार के ऊपर है ।

नोट---तारांकित प्रश्न ४२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

मद्य निषेध सफलता सम्बन्धी कथित जांच समिति

*४३--श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मद्य-निषेध की सफलता की जांच कराने के सम्बन्ध में उसने कोई समिति नियुक्त की थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार शुष्क जिलों में से किन-किन जिलों में निषेध सफल रहा ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं ।

महारानी लक्ष्मीबाई सम्बन्धित इमारतों को स्थानीय बोर्ड को देना

*४४--श्री लक्ष्मणराव कदम---महारानी लक्ष्मी बाई से सम्बन्धित इमारतों के सम्बन्ध में ५-३-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त उत्तर से संलग्न सूची की क्रम-संख्या ३ व ४ के अन्तर्गत महारानी साहिबा के हाथी खाने व घुड़सार तथा पुरानी कोतवाली को वह स्थानीय बोर्डों को किन शर्तों पर दिये हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हाथीखाना व घुड़सार को १९०२ में म्यूनिसिपल बोर्ड झांसी ने इलाहाबाद बैंक से खरीदा था । इस प्रकार यह इमारतें उक्त बोर्ड ही की सम्पत्ति हैं ।

पुरानी कोतवाली की इमारत १९१७ में स्थानीय बोर्ड को स्कूल खोलने के लिये पट्टे पर दी गई थी । इस पट्टे का समय-समय पर नवीनीकरण होता चला आ रहा है । किराये का १/४ भाग राजकीय कोष में तथा ३/४ भाग स्थानीय बोर्ड के कोष में इस इमारत के रख-रखाव के हेतु जमा होता है ।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ३ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२०-४२५ पर)

कांग्रेस प्रेसीडेंट के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---मेरे पास तीन विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न भेजे गये हैं जोकि एक ही विषय के ऊपर हैं । एक तो आचार्य दीपङ्कर ने भेजा है, दूसरा श्री राजनारायण ने और तीसरा श्री चन्द्रजीत यादव ने भेजा है । उन्होंने यह कहा है कि श्री चरणसिंह जी ने जो यह कहा था कि वह सदन में अपना वक्तव्य देंगे कि क्यों उन्होंने मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया, लेकिन आज के अखबार मे कुछ ऐसी बात छप गई कि उनको कांग्रेस प्रेसीडेण्ट ने वक्तव्य देने से मना किया है, इसलिये कांग्रेस प्रेसीडेण्ट के ऊपर उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की आज्ञा मांगी है । मैं किसी को भी इजाजत नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसमें पहली बात तो यह है कि यह निश्चित नहीं है, अखबार में कोई चीज छप जाना इससे घटना निश्चित नहीं होती है और अगर निश्चित भी हो तो भी जब सर्वत्र पार्लियामेंटरी पद्धति में पार्टी

सिस्टम अनिवार्य-सा है और हर पार्टी अपने-अपने सदस्यों के सम्बन्ध में अनुशासन रखती है। इस कारण अगर उसे मदाखलत समझा जाय, इस आदरणीय सदन के कार्य में, तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी सिस्टम को ही तोड़ देना पड़ेगा और तभी सदस्यों की स्वतन्त्रता कायम रह सकती है नहीं तो रोजाना जब सदन में पार्टियों द्वारा 'व्हिप्स इश्यू' होते हैं, रोजाना पार्टियों की केन्द्रीय संस्थाओं से प्रान्तीय संस्थाओं को हिदायतें आती हैं और उसी के अनुसार वह काम करती हैं तो प्रस्तुत परिस्थिति में उनको मैं समझता हूं कि एक तरह से एडवाइस या सलाह ही माननी चाहिये। हर पार्टी, अपने आदमियों को एडवाइस देती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जब्र नहीं है कि अगर वह उसको न माने तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जायगा या जेलखाने भेजने का दण्ड दिया जायगा बल्कि सिर्फ यही हो सकता है कि उसे पार्टी छोड़नी पड़े। ऐसी अवस्था में इस तरह का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि अगर किसी पार्टी के अन्दरूनी मामले में कोई अनुशासन की बातें होती हैं तो उसके लिये सदन में ऐसा प्रश्न उठाया जाय। इस कारण से मैं अगर उक्त अखबारी बात को सही भी मान लूं---हालांकि मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है और सिर्फ अखबारों में पढ़कर माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है---तो भी मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने इजाजत नहीं दी है। अब आप क्या निवेदन करेंगे?

श्री राजनारायण---थोड़ा-सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप मेरे कमरे में आये थे और आपने मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का हवाला दिया था और उसको भी देखने के बाद मैंने यह व्यवस्था दे दी है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने केवल अखबार की सूचना पर ही यह प्रश्न आपको नहीं दिया है बल्कि मेरी अपनी निजी जानकारी की भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष---मैंने सिर्फ उसी बात को नहीं रखा बल्कि मैंने तो कह दिया है कि अखबारी सूचना को सही मान कर भी अगर चला जाय तो भी यह प्रश्न नहीं उठता। दोनों हालतों के लिये मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विधान सभा सचिवालय के पास या सरकार के पास चौधरी चरणसिंह जी की तरफ से यह सूचना आई है कि कल वह अपना भाषण नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने फोन पर मुझ से कहा था कि वह इस तरह की कोई बात लिख कर मेरे पास भेज रहे हैं कि कल वह अपना वक्तव्य नहीं देंगे। जब वह पत्र मेरे पास आ जायगा तभी मैं सदन को सूचना दे दूंगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। आपने जो रूलिंग दी उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है और वह शिरोधार्य है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि पार्टी सिस्टम के रहते हुये भी ऐसी परिस्थिति में जिसमें चरणसिंह जी अपना वक्तव्य देना चाहते थे उसमें कांग्रेस प्रेसीडेंट के लिये यह वांछनीय या डिजायरेबिल था कि वह चरणसिंह जी को वक्तव्य देने से मना करतीं?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि किसी हाई पाथेटीकल बात पर अध्यक्ष का फैसला नहीं हुआ करता है। मेरे पास इस प्रकार की कोई बात उनके पास से नहीं आई। कोई चीज जिसे मैं अवैध नहीं समझता हूं, और वैध समझता हूं, वांछनीय ही है। मैं नीति के निर्धारण के लिये यहां नहीं बैठा हूं। इसलिये ऐसे प्रश्न के ऊपर निर्णय देने से मैं इंकार करता हूं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, मैंने लहरी जी को लिखा था कि पार्टी डिसीजन यह है कि आप हाउस अटैंड न कीजिये, जिसे आपने कनटैम्प्ट आफ दि हाउस तो नहीं माना, लेकिन यह जरूर कहा कि यह डिजायरेबिल नहीं है। तो क्या यह परिस्थिति उनके लिये नहीं लागू होगी ?

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आकर बौरे में पूछिये तो मैं उसका जवाब दे दूंगा कि किस परिस्थिति में मैंने कोई बात पहले कही थी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैंने जो प्रिविलेज मोशन दिया था, क्या अभी भी यह गुंजायश है कि हम आपके कमरे में आकर बतला सकें कि किस दृष्टिकोण से हमने यह दिया था ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप समझते हैं कि मेरी रूलिंग गलत है तो आपको अधिकार है कि मेरे कमरे में आकर मुझे समझाने की और मेरा मत बदलने की कोशिश करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, आपका हमारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा है और आप यहां हमारे अधिकारों के रखवारे हैं। कागजेबिल आफेंस में यह जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर अत्याचार हो वही रिपोर्ट करे या इत्तला दे। जब यह मामला आपकी नजर में आ गया है तो क्या आप यह जांच करावेंगे कि कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है ? कल को हमारे प्रेसीडेंट हमको टैरेराइज न कर दें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यदि आपकी पार्टी ही आपको रोज टैरेराइज करती रहती है और आप उसके आदी हो गये हैं, इसलिये मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

कार्य-क्रम में परिवर्तन पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—जब हमको कार्यक्रम बताया गया था उसके मुताबिक २१ तारीख को चौधरी चरणसिंह का स्टेटमेंट होना था और पूरक बजट पेश होना था। उसके बाद पूरक बजट पर बहस होगी। हमारे पास.....

श्री अध्यक्ष—कार्य-स्थगन प्रस्ताव समाप्त होने के बाद आप यह प्रश्न उठावें।

कुछ कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—ये कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं जिनको मैं पढ़ता भी नहीं हूं और न इजाजत देता हूं। ये न निश्चित हैं और न विशेष महत्व के हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत गोरखपुर श्रमिक भर्ती संगठन की समाप्ति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—यह एक प्रश्न श्री गौरीशंकर राय जी का नियम ५२ के अन्तर्गत है, दूसरा मदन पांडेय जी का है। इस विषय में मदन पांडेय जी ने कामरोको प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन इस दूसरे प्रश्न द्वारा सिर्फ नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह विषय इतने महत्व का है यद्यपि मैं इसकी निश्चितता के बारे में नहीं कह सकता हूं कि मैं माननीय सम्बन्धित मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में कोई वक्तव्य आज देना चाहें तो दें वर्ना जिस दिन वह समझते हैं कि इसकी पूरी जानकारी इनको हो जायगी उस दिन दें। उनका कथन इस प्रकार है :—

"गत ९ अगस्त को दिल्ली में गोरखपुर श्रमिक भर्ती संगठन की समाप्ति का निर्णय कोयला उद्योग के प्रतिनिधि, श्रमिकों के प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेशीय सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा केन्द्रीय श्रम मंत्री, श्री गुलजारीलाल नन्दा, के सभापतित्व में

किया गया है, जिससे इस श्रम संगठन द्वारा प्रति वर्ष लगभग १५ हजार श्रमिक जो देश के अन्य भागों में राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कार्यों तथा कोयला उद्योग में भेजे जाते हैं, उनके हितों को भारी आघात पहुंचेगा एवम् राज्य में बढ़ती हुई बेकारों की सूची में वृद्धि होगी ।

अतः मैं सरकार तथा सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं ।"

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—गोरखपुर के श्रमिकों का प्रश्न उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्व का रहा है । दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के बाहर कई जगहों से और कई वर्षों से इस संगठन का विरोध होता चला आ रहा है। बार-बार दूसरे प्रदेश के श्रमिकों और श्रमिक संगठनों की तरफ से इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि यह संगठन तोड़ दिया जाय। उत्तर प्रदेश की तरफ से हम बराबर यह कहते रहे हैं कि एक तो इतने हजार आदमियों की जीविका का प्रश्न है और दूसरे यह सर्वमान्य है कि गोरखपुर के श्रमिक संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहां के मजदूरों का काम सभी लोगों की दृष्टि से बहुत सन्तोषजनक है । जिस मीटिंग का जिक्र है वह दिल्ली में हुई और वहां भी बड़े जोरों से यह जिक्र हुआ कि संग ठन तोड़ दिया जाय। फैसला तो केन्द्रीय सरकार के हाथ में है । अगर यह खयाल किया जाता हो कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने इस किस्म के प्रस्ताव का समर्थन किया तो यह बात गलत है । हमारे प्रतिनिधियों ने वहां विरोध किया लेकिन वहां जरूर जोरदार बहुमत इस संगठन को तोड़ने की तरफ था । लेकिन अभी हमने इस प्रश्न को छोड़ा नहीं है । अभी भी हम अपनी तरफ से केन्द्रीय सरकार से बातचीत और पत्र-व्यवहार कर रहे हैं । हम इस बात को उनके सामने रख रहे हैं कि हम यह नहीं कहते कि गोरखपुर के श्रमिकों के साथ कोई खास रियायत की जाय, जो कुछ भी सुविधा आप दूसरे प्रदेशों के श्रमिकों को देना चाहें दें लेकिन इस संगठन को न तोड़िये । जैसे मजदूर भर्ती होते हैं उन्हें भर्ती होने दीजिये, यह एक एक निश्चित तरीका उनकी जीविका का है, इसमें बाधा न डालें । हम बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी फैसला वहां हुआ हो वह फैसला किसी तरह से बदल जाय और केन्द्रीय सरकार हमारी बात को मान ले ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे इस संगठन के टूट जाने के प्रदेश के कितने मजदूरों पर असर पड़ेगा और जिन लोगों ने इसे तोड़ने की दलील दी उनकी दलील का क्या आधार था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि मदन पांडेय जी के प्रस्ताव में है, उससे जाहिर होता है कि करीब १५,००० मजदूरों पर असर पड़ सकता है यद्यपि यह हम नहीं कह सकते कि इनमें से सब के सब लोग बेकार हो जावेंगे । यह तो मैं कैसे कहूं कि उत्तर प्रदेश से किसी को चिढ़ है, लेकिन लोगों का खयाल है कि ये मजदूर बहुत अच्छे हैं और इनकी वजह से दूसरे मजदूरों को काम नहीं मिल सकता है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि दिल्ली में किन-किन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस लेबर डिपो को तोड़ने का फैसला किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस मीटिंग में कौन-कौन लोग थे यह बताना मेरे लिये संभव नहीं है क्योंकि उसकी सारी प्रोसीडिंग्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें हमारे प्रदेश के कौन प्रतिनिधि थे और उन्होंने क्या मत वहां प्रकट किया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कौन थे यह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से हमेशा इस बात का विरोध ही हुआ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो १५ हजार मजदूर बेकार हो रहे हैं उनके बारे में सरकार कोई अन्तरिम व्यवस्था करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तो यह संगठन टूटा नहीं है। हमें तो अभी भी यह आशा है कि यह संगठन टूटेगा नहीं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि कोयला उद्योग के प्रतिनिधि जो त्रिदलीय कान्फ्रेन्स में गये थे, उन्होंने भी लेबर डिपो के कायम रखने के लिये अपनी सहमति दी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर आप का मतलब कोयला उद्योग के उद्योगपतियों से है तो वे तो सदैव ही गोरखपुर की लेबर को पसंद करते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)-- क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि दिल्ली में जो कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें मजदूरों की तरफ से किस संस्था ने प्रतिनिधित्व किया था और क्या उन्होंने यह राय दी थी कि इस संगठन को तोड़ दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी मैंने माननीय राजनारायण के प्रश्न के जवाब में कहा कि उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स तो मुझे मालूम नहीं लेकिन उसमें वही लोग थे जो उस क्षेत्र में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मजदूर संगठनों में काम करते हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि जब सरकार लेबर डिपो को तोड़ने के पक्ष में नहीं थी और श्रमिकों के प्रतिनिधि भी उसके पक्ष में नहीं थे तो फिर यह तोड़ने का फैसला किसने कर दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जैसा मैंने बताया कि फैसला करना या न करना तो केन्द्रीय सरकार के हाथ में है।

कार्य-क्रम में परिवर्तन किये जाने पर आपत्ति

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जब सदन उठ रहा था तो सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यहां कुछ सूचनायें दी गयीं थीं। जहां तक मेरी जानकारी है उस सूचना में यह बात थी कि २१ तारीख को चौधरी चरण सिंह जी का वक्तव्य होगा और उसके बाद बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा। हमने निवेदन किया था कि इसी तरह से रखा जाय तो आप ने कहा था कि ऐसा ही होगा और उससे आपका मतलब साफ यह था कि २१ तारीख के बाद जो कार्यक्रम होगा उसमें सामान्य वादविवाद पूरक बजट पर होगा और चौधरी चरण सिंह जी के वक्तव्य में जो बातें आयी होंगी, अगर उसका भी उससे कुछ संबंध होगा तो उस वाद-विवाद में आ सकेंगी। अब १३ तारीख तक यह सदन चल रहा था और उस दिन तक यह बात थी। १४ तारीख को आपके सचिव देवकी नन्दन मित्थल की ओर से कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो सूचना मिली उसमें २५ तारीख के कार्यक्रम के सम्बन्ध में लिखा है कि निम्नलिखित प्रस्तुत होगा--

वित्तीय वर्ष १९५९-६० के प्रथम पूरक अनुदान तथा वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के अतिरिक्त अनुदान। अभी आप ने बताया कि चौधरी चरण सिंह से कल फोन पर बातें हुईं तो शायद यह बातचीत कल शाम हुई हो। और तब यह तय हुआ कि २१ तारीख को चौधरी चरणसिंह का वक्तव्य नहीं होगा। लेकिन सचिव महोदय ने उसी दिन यह कैसे कर दिया कि २५ तारीख को पूरक अनुदान पेश किये जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक निवेदन और आप की सेवा में करना चाहता हूं, आप कृपा करके उसको सुन लें। जो आप ने व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है। लेकिन हमारे यहां एक पार्टी सिस्टम है। उस पार्टी सिस्टम में पार्टी का नेता अपने सदस्यों को कुछ हिदायत करता है...

श्री अध्यक्ष---मैंने कहा कि आप कमरे में बातचीत कर लें।

श्री राजनारायण---पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिये कि पार्टी सिस्टम को ही खतरा हो जाय। इस पर भी आप नजर रखें और अपना फैसला दें।

श्री अध्यक्ष---मैंने सुझाव दिया है कि दूसरा रास्ता यह है कि पार्टियां तोड़ दीजिये तो नियन्त्रण आप ही खत्म हो जायगा।

श्री राजनारायण---अगर पार्टी को इस रूप में रखना है तो असेम्बली खत्म कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये आप मेरे कमरे में बात करें।

आपने जो पहला प्रश्न पूछा कि २१ तारीख को श्री चरणसिंह को स्पष्टीकरण देना था और उसके बाद ही पूरक अनुदानों पर विवाद करना निश्चित था इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं शायद मुझे पूरी तरह याद है कि आप ने कहा था कि यह वित्तीय वर्ष का अतिरिक्त अनुदान या पूरक अनुदान जो भी है उन पर बहस उनके वक्तव्य के पहले नहीं होनी चाहिये, उसके बाद होनी चाहिये। क्योंकि वक्तव्य देना २१ को रखा था तो बाद में इसको तो रखना ही चाहिए था। अब प्रश्न यह उठता है कि २१ तारीख को ही पूरक अनुदानों पर वह क्यों नहीं रखी? २१ तारीख को न रखने का कारण यह हो सकता है कि सरकार ने यह सोचा होगा कि श्री चरणसिंह जी का वक्तव्य लम्बा हो सकता है और उसका जवाब भी सरकार की तरफ से लम्बा हो सकता है और अगर पूरा दिन २१ तारीख का इसमें निकल जायगा तो उसी रोज पूरक अनुदान लेना असंभव हो जाता, इस कारण उसको २४ तारीख में रख दिया जिससे कि उसे वक्तव्य के बाद लेना लाजिम हो जाय। महामान्य राज्यपाल की आज्ञा से अनुदनों पर बहस का दिन तय होता है। तो अनुदानों के बारे में कोई दिन निश्चित तो होना ही चाहिये था इस खयाल से उसको बाद में ही रखा है, उसकी वजह से मैं समझता हूं कि कोई नुकसान सदन का नहीं होता, क्योंकि जो वक्तव्य वे देना चाहते थे उसके बाद ही अनुदानों को रखा था। वक्तव्य वे देंगे या नहीं देंगे इसकी जो मुझे सूचना मिलेगी वह मैं सदन को दे दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जो बहुत ही आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन एक दिन में एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है।

श्री उग्रसेन---तो कल के लिये मैं नोटिस दे दूं?

श्री अध्यक्ष---दे दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, २५, २७ का कार्य-क्रम तो हमको मिला है, लेकिन उसमें २६ का कोई जिक्र ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी तो नहीं है, इसको भी जरा आप देख लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--- इस पर बहस कब होगी?

श्री अध्यक्ष---जब छुट्टी है तो उस रोज काम नहीं होगा, इसको आप समझ लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--- पूरक अनुदान पर बहस के लिये कब दिन रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष---आप तो मास्टर हैं, विद्यार्थी की तरह से आप क्यों ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं ?

नियम ५२ के अन्तर्गत श्री गेंदासिंह द्वारा उठाये गये विषय पर सहकारिता मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदासिंह जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न उपस्थित किया था और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कहा था कि वे तहकीकात करके इसकी बाद में सूचना देंगे। वे आज यहां मौजूद नहीं हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी को तकलीफ नहीं देना चाहता अगर वे तैयार नहीं हों। और अगर वे तैयार हों तो उस तैयारी को रहने दें और कल उसका जवाब दें क्योंकि वे कल यहां मिलेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने माननीय गेंदासिंह के प्रश्न को पोस्टपोन करने के लिये आपसे निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष---आपने स्थगित करने के लिये कहा था, अब माननीय सहकारिता मंत्री जी कल जवाब देंगे।

क्वींस कालेज, वाराणसी में कक्षा ७ के छात्रों की फीस जमा होने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जब मैंने सदन में पूछा था तो माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वाराणसी क्वींस कालेज के विद्यार्थियों की फ़ीस जमा हुई या नहीं उसका पता लगा कर के सदन को बतला देंगे, तो मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसकी जानकारी हासिल की ? और अगर जानकारी हासिल की है तो उसे सदन को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--- क्या शिक्षा मंत्री जी को इसकी पूरी सूचना मिल गयी है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---इसकी पूरी सूचना अभी नहीं आयी है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपको एक कष्ट में और देना चाहता हूं। वाराणसी में क्या हो रहा है, इसे मैं आपको बतला दूं।

श्री अध्यक्ष---अगर कोई शिकायत हो तो आप लिखित दें।

श्री राजनारायण---तब तो बड़ा विलम्ब हो जायगा और वहां जो जाल-बट्टा हो रहा है और रुपया जो जमा हुआ है उसको काटा जा रहा है..

श्री अध्यक्ष--- मुझे लिख कर भेजिये तो मैं मौका दूंगा। आज ही लिख कर आप दे दें।

श्री राजनारायण---इस बीच तो वहां बहुत भ्रष्टाचार हो जायगा। इसका भी आप अवश्य खयाल रखेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

आचार्य दीपङ्कर (जिला मेरठ)---श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत सहारनपुर के भूख हड़तालियों के सम्बन्ध में मैंने एक सवाल पूछा था...

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अन्तर्गत एक ही विषय एक रोज़ लिया जा सकता है। एक का जवाब हो चुका है। कितने बाकी रह गये उनके ऊपर मैंने कोई निश्चित राय नहीं दी। क्योंकि सब से महत्व का जो मुझे मालूम हुआ उसे मैंने ले लिया सब से पहले, बाक़ी के लिये फिर से आप लिख कर सूचना दे सकते हैं।

लाउड स्पीकरों से कपड़े फटने की शिकायत

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि इन लाउड स्पीकरों से तमाम हमारे कपड़े फट जाते हैं, जो कुर्ता पहन कर आते हैं उसमें खोंचा लग जाता है, कृपा करके उनको ठीक करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--इसकी भी तहकीकात करा ली जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---दूसरे जो यह सामने खम्भा लगा है वह हमारे लिये बहुत बाधा डालता है और हम आप की दृष्टि नहीं खींच पाते हैं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्ट में कार्य करने के लिये लखनऊ युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्ट में कार्य करने के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

†**श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मुझे नियम १२५ के अनुसार यह अधिकार है कि मैं इस स्टेज पर इसका विरोध कर सकूं। इसके पूर्व कि मैं इस पर कुछ अधिक कहूं मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस वास्ते कि मुझे इस पर केवल एक स्टेटमेंट का अधिकार ही प्रदान न किया जाय बल्कि इस पर पूरा फुलफ्लेज्ड डिबेट का अवसर प्रदान करने की कृपा की जाय। रूल १२५ यह है कि "Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the Assembly, the Speaker may permit a full discussion

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

thereon". इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहना चाहूं, मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि पहले आप मुझे सुन लें और उस के बाद यदि मैं यह केस मेक आउट कर पाऊं कि यह इस विधान सभा के क्षेत्राधिकार के बाहर है कि इस तरह का कोई बिल सरकार सदन के समक्ष रख सके तब मैं आशा करता हूं कि आप इस पर फुलपलेज्ड डिबेट की आज्ञा प्रदान करेंगे। इस बिल के इंचार्ज मंत्री महोदय, को इस सदन में पहले भी इस प्रकारके कानून पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक उनका बिल गया और उसका यह हश्र हुआ कि संविधान तक में संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। इन सब चीजों को देखते हुये मैं आपके द्वारा उनको उन गलतियों से फिर बचाना चाहता हूं और चाहता हूं कि भारतीय संविधान में बार-बार संशोधन न लाने पड़ें। मैं इस विधेयक के खंड ५ की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को १५ अगस्त के बाद किसी प्रकार के ट्रांस्फर या बटवारे का अधिकार न होगा। सेक्शन ५(२) में है कि "In determining the applicable ceiling area of a person at the commencement of the Act any transfer or partition of land, which but for the transfer or partition would have been declared surplus land under the provisions of this Act, made after the fifteenth day of August, 1959, shall be ignored and not taken into account". श्रीमन्, मुझे इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि भारतीय संविधान के रहते हुये यह मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं जमीन को एक्वायर कर सकूं, होल्ड कर सकूं और डिस्पोज कर सकूं। ऐसी परिस्थिति में यह रेस्ट्रिक्शन अगर लगाया जा रहा है तो मैं इसको अवैधानिक कहता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है जो जनहित में न हो और जो उचित न हो। इसके औचित्य पर मुझे आक्षेप है और यह जनहित में भी नहीं है.....।

एक सदस्य---यह जनहित में तो है, आपके हित में नहीं है।

श्री अवधेश प्रतापसिंह---यह तो फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगा।

श्री अध्यक्ष---(श्री अवधेशप्रतापसिंह से) आप जारी रखिये।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं यह आर्टिकल क्वोट कर रहा हूं १९ (१) (एफ)। यह चैप्टर थर्ड में फंडामेन्टल राइट्स में है "to acquire and hold and dispose of property". मुझे श्रीमन्, यह कहना है कि यह मेरा फंडामेंटल राइट है कि अपनी जमीन को रख सकता हूं, खरीद सकता हूं और बेच सकता हूं। श्रीमन्, यह विधेयक कोई कानून नहीं है। यह तो सिर्फ विधेयक है जिसको सदन अस्वीकार भी कर सकता है, मंत्री महोदय उसको वापस भी ले सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो यह प्रतिबन्ध है कि जिनके पास आज जमीन है वह १५ अगस्त के बाद नहीं बेच सकते हैं, बटवारा नहीं करा सकते हैं, यह अवैधानिक है।

श्रीमन्, मैं चुनौती के साथ इस सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी जमीन रख सकता हूं, बेच सकता हूं और खरीद सकता हूं जब तक कि यह विधेयक दोनों सदनों से पास होकर और उसके बाद गवर्नर महोदय की एसेंट मिल कर कानून नहीं बन जाता। यह रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट जो दिया गया है यह अवैधानिक है। श्रीमन्, इसमें कांस्टीट्यूशनल इम्प्लीकेशंस हैं। अतः इसमें फुल डिस्कशन की अनुज्ञा आप प्रदान करें। उस तरफ के माननीय सदस्य यदि सिद्ध कर दें कि इसमें कांस्टीट्यूशनल इम्प्लीकेशंस नहीं हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। श्रीमन्, आप मुझे इजाजत दें तो.....

श्री अध्यक्ष---आप अपना भाषण दे लीजिये, क्योंकि जो अपोज करना चाहता है वह तो बोल ही सकता है। आगे मैं तय करूंगा कि फुल डिबेट हो या न हो।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियम में यह शब्द हैं कि लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस के बाहर हो अगर इस सदन के। तो लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस का जो अर्थ है उसको तो आपने स्पष्ट नहीं किया। आपने एक खंड बता दिया कि वह अवैध है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, आप इसको, अगर न स्वीकार करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरा यह कहना है कि आर्टिकिल १९ (१) (एफ) के मुताबिक यह मेरा मौलिक अधिकार है। यह भी मुझे स्वीकार है कि किन परिस्थितियों में इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है, जब कि वह जनहित में हो। लेकिन उस प्वाइंट पर कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं और ये रेस्ट्रिक्शंस रीजिनेबिल हैं या नहीं इसको बाद में लूंगा। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जब फंडामेंटल राइट्स को क्रिपिल करने के लिये कोई अधिकार किसी भी शक्ति को इस भारतवर्ष में नहीं है तो इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि कोई ऐसा कानून बनावे जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों। उसकी कम्पीटेंस पर यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा में कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स पर आघात होता हो। लिहाजा यह सदन के अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि इस तरह का कानून इसमें लाया जाय और पारित किया जाय।

मान्यवर, हम लोग इस विधेयक के इंतजार में थे और यह नागपुर रिजोल्यूशन की एक देन है। कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन सीलिंग आन लैण्ड के सम्बन्ध में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस सदन में जब माननीय चौधरी चरणसिंह जी मंत्री थे तो उन्होंने यह राय जाहिर की थी, यही नहीं बल्कि हर वक्त इस सदन में जब माननीय राजनारायण जी द्वारा या झारखंडेराय जी द्वारा ऐसे विषय उठाये गये तो उन्होंने यह राय जाहिर की थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि राजनारायण जी की तरह तो मैं काबिल हूं नहीं और न सदन का दो घंटे का समय लेना चाहता हूं और न उनका मुकाबिला करना ही मेरे लिये मुनासिब है। रहा यह कि उन्होंने सोशलिस्ट फिलासिफी का अध्ययन किया—हो सकता है डाक्टर सम्पूर्णानन्द को यह सौभाग्य प्राप्त रहा हो कि माननीय राजनारायण जी उनके शिष्य रहे हों लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे लिये वह बहुत ही बुरा दिन होगा जब मैं राजनारायण जी का शिष्य हो जाऊंगा। (व्यवधान) रुकने न रुकने का कोई सवाल नहीं होता। सिर्फ यह होता है मेरे माननीय दोस्त जो दाहिने और बायें बैठे हुए हैं उनके दिलों में जो उल्लास, जो विनाश करने में प्रफुल्लता है, मैं बताना चाहता हूं यह किसी समय घातक प्रतीत हो जायगी। हो सकता है विरोधी दल के नेता बहुत खुशनुमाई से उसको करना चाहें लेकिन उसका अंजाम भी बुरा होगा। इस वजह से मैं कहना चाहता हूं इस सदन में जब दो घंटे में आइडियोलाजी समझायी जाती है तो मैं आशा करता हूं कि मेरे दोस्त मुझे सुनने की कृपा करेंगे। उनसे भी इस्तदुआ है, लेकिन अगर आप न मानें तो उनके मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

एक सदस्य—आप उधर चले जाइये।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मेरे जाने के पहले आप उधर चले जाइये, क्योंकि आप तो उधर के चट्टे बट्टे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण जारी रखिये। आप अकेले पड़ गये हैं, बहुत से लोग आपकी राय के खिलाफ हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—लेकिन मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इस तरह की चीजों का आदी हो चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—वे आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--मैं भटकूंगा तो भी रह जाऊंगा लेकिन ये लोग भटकेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता था कि माननीय अध्यक्ष ने वह भी परिस्थिति बतला दी--जिसके लिये मैं आभारी हूं--कि इस विषय में, मैं अकेला हूं। मेरे माननीय मित्र राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे जिनको स्टेट ट्रेडिंग व कोआपरेटिव फार्मिंग से नफरत है, सीलिंग उनको प्रिय है। मैं सदन से यह अपील करने जा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये इजाजत न दी जाय कि इस तरह का विधेयक वे सदन में लायें। इसके लिये वे कृपा कर ठंडे दिल से सिर्फ मुझे सुनने की कृपा करेंगे कि आइडियोलाजी के आधार पर इसे भले ही स्वीकार कर लिया जाय लेकिन व्यावहारिकता को दृष्टिकोण में रख कर अगर इसे इस प्रदेश में जारी किया गया तो इस प्रदेश का कल्याण बहुत दिनों तक होने वाला नहीं है

पहली चीज तो यह देखने की है कि इस सीलिंग से कितनी जमीन मिलने वाली है जो दूसरों को बांटी जा सकेगी। इससे आप कुछ लोगों को गरीब बना सकेंगे। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि निर्धनता का बटवारा सोशलिज्म नहीं है। (व्यवधान)। मैं कहता हूं कि मैं इस सदन का बहुत पुराना मेम्बर हूं। मैंने तूफान देखे हैं। ये तो बहुत मामूली चीजें हैं। इससे तो आप केवल मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं अपने केस को और भी मजबूती के साथ आपके समक्ष रख सकूं। इससे न मुझे क्रोध है, न ग्लानि है, न लज्जा है।

मान्यवर, कितनी जमीन बचेगी जो दूसरों में बांटी जा सकेगी और जो बांटी जायगी उसका भी क्या तरीका होगा। तरीका वही फिर अपनाया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में भारतवर्ष में नहीं बल्कि तमाम दुनिया में कहीं भी यह साबित नहीं किया जा सका कि कोआपरेटिव फार्मिंग से फायदा हुआ है। प्रधान मंत्री बार-बार कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कहा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कौन-सी और जगहें हैं जहां यह फायदेमन्द साबित हुई है? कोआपरेटिव फार्मिंग एक तमाशा खड़ा किया जा रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मैं एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कर रहे हैं जब कि इस विधेयक का सम्बन्ध केवल सीलिंग से है। तो मैं जानना चाहूंगा कि वे विधेयक पर बोल रहे हैं या विधेयक के बाहर?

श्री अवधेशप्रतापसिंह-- मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य जरा पढ़ने की कृपा करेंगे तो देखेंगे कि इसी विधेयक में यह मौजूद है। मैं बाहर की कोई बात नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आप जारी रखें। भाषण असंगत नहीं है, संगत है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--आइडियोलाजी अपनी जगह ठीक है लेकिन व्यावहारिकता की दृष्टि से यह कहना चाहता हूं कि कितने लोगों को इससे अमीर बनाया जा रहा है। क्या सोशलिज्म के मानी यही हैं कि कुछ लोगों से जमीन छीन ली जाय और उसका दुरुपयोग किया जाय? ऐसा महत्वपूर्ण यह विधेयक है जिसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपने कृषि मंत्री से ही इस बात का निर्णय दिला दे कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा कोआपरेटिव फार्म है जो प्राफिट में चल रहा है?

मुझे दूसरी शिकायत यह है कि हमने प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाया है और यह संविधान हमारा पथ-प्रदर्शक के रूप में है। इस संविधान का हनन या अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है "रेप आफ दि कांस्टीटयूशन" एक बार नहीं बल्कि बार-बार देखने में आया और अभी थोड़े ही दिन हुये केरल में भी हमने इसको देखा। १५ अगस्त से ट्रांस्फर रोका जा रहा है। नागपुर रेजोल्यूशन बहुत पहले पास हो चुका था। अगर किसी को उससे भयभीत होकर अपनी जमीन ट्रांसफर करनी थी तो वह कर चुका। १५ अगस्त की एक डेट रखने के कोई माने नजर नहीं आते।

श्री अध्यक्ष--अनुज्ञा देने के बारे में भाषण करते समय आप मेरिट्स में ज्यादा नहीं जा सकते। आपको कांस्टीट्यूशनल पोजीशन बताना चाहिये। यह बात तो आप कई बार कह चुके हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से और दूसरी तरफ बैठे हुये माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि भले ही ये लोग मुझसे सहमत न हों लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय ऐडवोकेट जनरल को बुला कर इस सदन में कम से कम हमको यह बताया जाय कि कांस्टीटयूशन के किस आर्टिकिल के अनुसार वे १५ अगस्त, १९५९ से ट्रांसफर रोकना चाहते हैं। यह प्रार्थना तो ऐसी है जिसे मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी और माल मंत्री जी स्वीकार करेंगे। माननीय माल मंत्री जी शायद यह जवाब दें कि यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है इसलिये कर रहे हैं, तो मैं भी इसके खिलाफ रूलिंग पेश कर सकता हूं। यह इतना आसान मसला नहीं है जो महज हंसी में उड़ा दिया जाय। अगर वे आर्टिकिल १९ (२), १९ (३), १९ (४) और १९ (६) के पीछे छिपना चाहते हैं तो यह न्याय न होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं पहले इस विषय में अपना निर्णय देता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--अगर रूलिंग रिजर्व कर ली जाय...

श्री अध्यक्ष--जब मैं निश्चित रूलिंग दे रहा हूं तो रिजर्व क्यों करूं? अगर इस विषय में कोई शंका हो कि क्या इस लेजिस्लेचर के अधिकार में इस तरह का कानून बनाना है या नहीं तो मैं फुल डिबेट के लिये इजाजत दे सकता हूं। मुझे इस विषय में कोई शंका प्रतीत नहीं होती। मेरा स्पष्ट मत है कि संविधान में जो स्टेट लिस्ट दी हुई है उसके अन्दर यह आ जाता है। कम्पीटेन्सी इसी से मालूम होती है कि किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार इस सदन को है या नहीं। संविधान के आर्टिकिल २४६ के मातहत सेविन्थ शेडयूल की लिस्ट दो स्टेट लिस्ट है। इसमें १८वां नम्बर आप देखिये। इसमें लिखा है--

"Land, that is to say, rights in or over land, land tenures including the relation of landlord and tenant, and the collection of rents ; transfer and alienation of agricultural land ; land improvement and agricultural loans ; colonization".

यह सब जो बातें इसमें हैं इनके बारे में स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है कि स्टेट का लेजिस्लेचर कानून बना सकता है तो यह कानून भी सदन की कम्पीटेंसी के अन्दर है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि १५ अगस्त से इसको लागू करना अवैध है, यह दूसरी बात है। अगर कोई खंड गलत हो तो उसके बारे में हाई कोर्ट को अधिकार होता है कि वह उसको अवैध करार दे। लेकिन माननीय सदस्य यदि चाहेंगे जैसी कि उन्होंने प्रार्थना की है कि मेरे द्वारा इसको अवैध करार दे दिया जाय तो यह उचित नहीं है परन्तु जब वह चाहते हैं कि एडवोकेट जनरल की राय सदन में मालूम हो जानी चाहिये तो यह मांग उचित प्रतीत होती है। मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से एडवोकेट जनरल सदन को राय देने के लिये नहीं आये हैं तो किसी दिन जब खंडों पर बहस होगी और जब इस खंड पर बहस हो उसके पेश्तर माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को उनकी राय बता दें तो उस समय विचार होगा। लेकिन कम्पीटेंसी में न होने की बिना पर पूरी डिबेट के लिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं और चूंकि प्रस्ताव उपस्थित कर दिया गया है और उसका विरोध भी माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कर लिया है इसलिये मैं इसके ऊपर बिना अधिक बहस के सदन की राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण बिधेयक, १९५९ को पुरः स्थापन करने के लिए सदन अनुज्ञा देता है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मैं डिवीजन चाहता हूं।

(विभाजन के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, मैं एक बात आपके द्वारा माननीय सदस्य फैजाबाद से यह अर्ज करूं कि यह एक परम्परा है कि किसी विधेयक के पुरःस्थापन की जब इजाजत मांगी जाती है तो उसका विरोध नहीं किया जाता है। यहां तक कि डाक्टर मिसेज एनीबेसेन्ट ने जब हाउस आफ कामन्स में कामनवेल्थ आल इंडिया बिल टेबिल पर ले करने की परमीशन के लिये पेश किया था तो उसकी इजाजत दे दी गई थी हालांकि उसकी सेकिन्ड और थर्ड रीडिंग्स नहीं की गयीं। यही ठीक भी होगा कि इस संसदीय परम्परा का यह सदन अनुसरण करे और कोई ऐसी बात न हो जिससे विरोध करने या विभाजन की नौबत आये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मुझे भी इजाजत है कि...

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप बैठें, क्योंकि उन्होंने प्रथा के बारे में कहा है तो इस तरह का प्रिसीडेंस जरूर है, लेकिन जब नियम बनाये जाते हैं और नियमों में यह चीज स्पष्ट दी हुई है कि इसका विरोध वे कर सकते हैं और नियम बनाने वाली संस्था सदन ही की है जिसने यह बात नियम में रख दी है। अगर वह यह रख देती कि पहले की तरह इसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी तब तो यह बहस खत्म हो जाती। लेकिन उसने नियम में यहां तक रख दिया है कि अगर कम्पीटेंसी के बाहर कोई विधेयक है तो उसके ऊपर फुल डिबेट होगी। इसलिये मैंने अपना फैसला दे दिया।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष---जी हां, कहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल भूल रहे हैं। लोक सभा में ही एक नहीं बल्कि कई इंस्टेंसेज हैं और हाउस आफ कामन्स में जाने की जरूरत नहीं है। डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने इस तरह से उनका इंट्रोडक्शन अपोज किया और इस तरह की चीजें हुईं, वोटिंग हुई, सब कुछ हुआ। हाउस आफ कामन्स की, दूर की बात न करें। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं जो लोक सभा में हुआ है।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ [The U.P. Imposition of Ceiling on Land Holdings Bill, 1959] को पुरःस्थापित करने के लिए सदन अनुज्ञा देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४:६–४४९ पर)

*उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब सार्वजनिक निर्माण मंत्री के प्रस्ताव पर कि इलेक्ट्रिसिटी विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय, विचार जारी होगा।

---

*१० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

† १३ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मेरा यहां पर वैधानिक प्रश्न है। मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि आपको स्मरण होगा कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी का विधेयक प्रस्तुत है इसमें टैक्स बढ़ रहा है और कुछ ऐसे लोगों पर भी टैक्स लगेगा..

श्री अध्यक्ष---वैधानिक प्रश्न क्या है ?

श्री राजनारायण---उसी पर मैं आ रहा हूं। ऐसे लोगों पर भी टैक्स लगेगा जो पहले वंचित रहे। श्रीमन्, जनतंत्र का वाक्य आप को स्मरण होगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।

श्री अध्यक्ष---मैं जूरिसप्रूडेंस के सिद्धान्त पर निश्चय नहीं करता हूं। वैधानिकता कानून के ऊपर होती है।

श्री राजनारायण---इस सरकार में इस सदन के सदस्यों का बहुमत नहीं है, विधान सभा के सदस्यों का विश्वास नहीं है। तो यह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है और जो सरकार प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है उसको टैक्स लगाने का अधिकार कतई नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि यह मौलिक प्रश्न है और इस मौलिक प्रश्न पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बात को सुन कर कुछ गद्गद् हुए, और कुछ मुस्करा भी रहे हैं, वह शायद हमारा समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि कुछ लोग तो आपके चेला बनने से घबराते हैं और कुछ लोग आपके गुरू बनने से घबराते हैं।

श्री राजनारायण---दुनिया में वह व्यक्ति जो कि नयी बात को लेकर चलता है कुछ समय तक उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी वाराणसी में जिसमें माननीय सम्पूर्णानन्द जी पैदा हुए, गांधी जी के ऊपर जूते पड़े थे। मुझे कोई चिन्ता नहीं है चाहे कोई मेरा गुरु बनने से घबड़ाये या शिष्य बनने से घबड़ाये। हमने जो अपना रास्ता अख्तियार किया है उससे विचलित नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष---आपका प्वाइन्ट क्या है ?

श्री राजनारायण---जब इस सरकार में जनता और विधान सभा का विश्वास नहीं रह गया तो क्या ऐसी सरकार कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर सकती है जिससे जनता पर टैक्स लगे जब कि सभी लोग मान चुके हैं कि वह सरकार टैक्स नहीं लगा सकती जो कि प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है जनता का, तो क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसका निर्णय कि विश्वास है या नहीं, अविश्वास के प्रस्ताव में जो यहां पर निर्णय हो चुका है उसी वोटिंग से वह बात तय हो गयी। दूसरे आपके लिए अब इस्टाप्ल भी लागू होता है। अब आपका कहना है कि यह सरकार टैक्स लगाने की अधिकारी नहीं है तो कानून पास कराने के लिए वह किसी विधेयक को पेश भी नहीं कर सकती। उसे तो पहले ही हट जाना चाहिए था। लेकिन आपने उसे विधेयक तो पहले पेश करने दिया लैंड होल्डिंग वाला और अब आप 'ईस्टापिल्ड' हैं सरकार को काम करने से रोकने के लिए क्योंकि आपने उसका अस्तित्व स्वयं पेश्तर मंजूर कर लिया था। दोनों ही तरह से देखें तो यह सरकार स्थित है और काम कर रही है और आपका जो यह प्रश्न उठाया हुआ है यह कोई वैधानिक नहीं रहा है।

अब माननीय गेंदासिंह जी भाषण दे रहे थे। वे उपस्थित नहीं हैं – क्या अन्य माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं ? माननीय चन्द्रजीत यादव, आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, मैं भी कुछ गुजारिश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अभी नहीं। अभी वह गुजारिश कर रहे हैं। उनकी गुजारिश के बाद।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट तीन सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

यह विधेयक जिसके ऊपर हम यहां विचार कर रहे हैं इसकी उत्पत्ति एक अध्यादेश से होती है। जब इस बार सदन यहां मिला तो हमारे सामने चार अध्यादेश प्रस्तुत किये गये थे और हमसे सरकार ने यह कहा था कि हम उन अध्यादेशों का अनुमोदन करें। एक अध्यादेश के जरिये सरकार ने विश्वविद्यालयों के अन्दर हस्तक्षेप करने की व्यवस्था की है। दूसरा अध्यादेश था जिसके द्वारा प्रदेश के सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था, उस निर्णय को लागू न किया जा सके उस निर्णय की मंशा को हराया जा सके उसके लिए एक दूसरा अध्यादेश सरकार ने प्रस्तुत किया था। तीसरा अध्यादेश था श्रीमन्, प्रदेश के कुछ गरीब भूमिहीन लोगों ने पिछले १०-१२ वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, ऐसी जमीन थी जो खेती करने योग्य नहीं थी, बेकार पड़ी हुई थी, जिसमें उत्पादन नहीं हो सकता था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, उनको बेदखल करने के लिए एक अध्यादेश सरकार ने प्रस्तुत किया। और चौथा अध्यादेश यह है जिसके विषय में हम यहां विचार कर रहे हैं। इस अध्यादेश के जरिये सरकार ने इस बात की व्यवस्था की थी कि प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति जो हैं उनको सरकार बिजली के शुल्क से मुक्त कर सके। हमें देखना इस बात को है कि जिस उद्देश्य और कारण को ले करके यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसकी पूर्ति इस विधेयक द्वारा कहां तक होती है।

श्रीमन, हमें वह दिन याद है जब सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ड्यूटी लगाई थी उस समय सरकार ने कुछ कारण बताये थे और उनमें एक प्रमुख कारण था कि हमारे प्रदेश के अन्दर आज बिजली की कमी है। हमारे प्रदेश के अन्दर जो नियोजन प्रगति कर रहा है, उसमें हमें उद्योगों को बढ़ाने के लिये, ट्यूबवेल्स को चलाने के लिये बिजली की आवश्यकता है, इसलिये हम चाहते हैं कि बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के ऊपर कर लगाया जाय। उस कर से जो धन प्राप्त होगा, उस धन का उपयोग होगा बिजली के नये प्लान्ट लगाने में, उस धन का उपयोग होगा हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक बिजली पैदा करने में और हम उसका उपयोग छोटे उद्योगों में, सिंचाई के साधनों में या और कामों में कर सकेंगे। अब जब हम इस दूसरे विधेयक के जरिये उस कर से उन उद्योग-पतियों को मुक्त कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई? क्या हमारे प्रदेश के अन्दर इतनी बिजली पैदा हो रही है जिससे कि हमारे प्रदेश की तमाम आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं जिसको लेकर कि यह कर लगाया गया था। इस सम्बन्ध में मैं श्रीमन्, सरकार द्वारा प्रस्तुत एक छोटी सी पुस्तिका का एक उद्धरण पेश करना चाहता हूं। इससे स्पष्ट हो जायगा कि उस उद्देश्य की पूर्ति कितनी हुई है। हमारे पूर्वी जिलों के विकास के लिये, उनके उत्थान के लिये कुछ योजनायें सरकार ने बनाई हैं। उसमें सरकार ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और यह कहा है कि मऊ, सोहावल और गोरखपुर के बिजली घर इन जिलों में लगे नलकूपों तक को बिजली देने में असमर्थ रहे हैं। श्रीमन, आज बिजली का उत्पादन इतना कम होता है जो हमारे ट्यूबवेल्स के लिये भी जरूरत पूरी नहीं कर पाता है, सिंचाई के काम को पूरा नहीं कर पाता है। तब भी सरकार ने इस विधेयक को क्यों प्रस्तुत किया है इसको मैं बहुत ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्पष्ट बताना चाहता हूं । पूंजीपतियों के सामने सरकार की बराबर घुटने टेकने की नीति और पूंजीपतियों को खुश करने की सरकार की पालिसी इस विधेयक को लाने के लिये जिम्मेदार है ।

जब पिछली बार यह विधेयक लाया गया था और ऐक्ट बना था तो उसके मुताबिक ड्यूटी लगाई गई । उसके बाद प्रदेश के अन्दर तमाम बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने उस कर को देने से इन्कार कर दिया । उनके ऊपर लाखों रुपया सरकार का बकाया पड़ा हुआ था, लेकिन कानपुर के किसी पूंजीपति ने उसको नहीं दिया । मोदी साहब ने नहीं दिया और बड़े पैमाने पर इवेजन किया और सरकार ने इस सदन के समक्ष अपने उत्तरों में इस बात को स्वीकार किया कि बड़े-बड़े पूंजीपति इस टैक्स का इवेजन कर रहे हैं और उस कर को अदा करने से इन्कार करते हैं, सरकार के हाथ पांव बन्धे हुये हैं सरकार उनसे कर वसूल नहीं कर सकती क्योंकि उनका कहना था कि सरकार के इस बिजली के कर के बढ़ाने से उनके उद्योग में घाटा हो रहा है और वे उद्योग में विकास नहीं कर सकते । लेकिन उनका यह बहाना था । वह चाहते थे कि वह इस मुनाफे को अपनी जेब में रखें जो कि इस कर के लगने से सरकार के पास आ रहा था और जिसका उपयोग सिंचाई के काम और बिजली उत्पादन के कार्य में होता । सरकार को उनके षडयंत्र के सामने झुकना पड़ा ।

यह बात यहां पर सबको याद होगी कि मोदी साहब के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाये गये थे कि लाखों रुपया जो बिजली का होता है, जो कि कारखाने में सस्ती बिजली के रेट से उनको मिलता है, उसका इस्तेमाल वह दूसरे कामों में करते हैं । वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इसकी रिपोर्ट की थी कि सरकार इसकी जांच करे लेकिन उस जांच का नतीजा क्या निकला ? मोदी साहब के खिलाफ सरकार के कायदे-कानून बिलकुल लुंज-पुंज हो गये और उस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला हो गया क्योंकि उसने इस तरह की रिपोर्ट की थी । लेकिन एक बड़े उद्योगपति के खिलाफ, जो सार्वजनिक धन का लाखों रुपया गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहा था, दूसरे कामों में लगा रहा था, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । श्रीमन, यह उसी का फल है कि यह विधेयक हमारे सामने आज पेश किया जा रहा है । हम जब इस विधेयक पर विचार करें तो हमको इस बात पर विचार करना चाहिये कि इसका लाभ किसको हो रहा है । जब सरकार ने उद्योगधन्धों को विकसित करने के लिये सस्ती बिजली देने की बात कही है तो उद्योग का विकास होने पर गरीबों को लाभ होना चाहिये । यदि प्रदेश की साधारण जनता का लाभ इससे होता, औद्योगिक उत्पादन से चीजों के दाम घटते और उससे साधारण जनता का लाभ होता तब तो इसका औचित्य हो सकता था और कहा जा सकता था कि इससे प्रदेश की जनता का लाभ होगा लेकिन यह बात नहीं है ।

श्रीमन, सरकार इस बात को देखे कि इस विधेयक से केवल पूंजीपतियों को ही लाभ है, गरीब जनता का इससे लाभ होने वाला नहीं है । चीनी के कारखाने हैं । आज क्या सलूक कर रहे हैं । आज हालत यह हो गई है कि चीनी के दाम प्रदेश के अन्दर बड़ी तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं । चीनी के प्रश्न को लेकर प्रदेश में उद्योगपतियों ने सरकार को कई मौकों पर झुकाया है । इसी सदन में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया कि गरीब किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिये लेकिन बड़े-बड़े मिलमालिकों के सामने यह सरकार झुकी और सदन द्वारा एक राय से पारित प्रस्ताव को वह अमल में नहीं ला सकी । उसके बाद होना यह चाहिये था कि चीनी की कीमत घटनी चाहिये थी लेकिन उसका उल्टा असर हुआ और अब चीनी के दाम दिन दूने और रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं । १।।, १।।। रुपया सेर चीनी देहातों में मिलती है । राशनिंग की दुकान पर हर एक आदमी को चीनी नहीं मिलती है । खुले बाजार में चीनी खरीदने जाइये तो २०, २२ आने सेर चीनी मिलती है । तो कौन इसका फायदा उठायेगा ? प्रदेश के बड़े-बड़े चीनी मिलों के मालिक, कारखानों के मालिक । हां, एक औचित्य हो सकता था अगर सरकार इस शुल्क को माफ करती छोटे उद्योगों के लिये, जिनको आप कुटीर उद्योग, गृह उद्योग कहते हैं । उन्हें अगर यह सहूलियत दी जाती तो हमको खुशी होती । उनको प्रोत्साहित

[श्री चन्द्रजीत यादव]

करने की जरूरत थी क्योंकि वह बड़े कारखानों के मुकाबले में टिक नहीं पाते । लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया । एक लम्बी फेहरिस्त इसमें है जिसमें ३८ आइटम्स हैं और बड़े-बड़े उद्योगों को सरकार ने इसमें रखा है । एक और व्यवस्था इसमें की गई है कि अगर सरकार किसी स्तर पर यह समझे कि उस सूची में कुछ आइटम्स को बढ़ाना या घटाना है तो उसको इसका भी अधिकार रहेगा । इससे उनको और इन्करेजमेंट होगा कि चूंकि कुछ लोगों ने सरकार को झुकाया, टैक्स नहीं दिया और सरकार ने उनकी बात मान कर इस टैक्स को वापस लिया, तो इससे उनको और प्रेरणा मिलेगी । प्रदेश में इर्रीगेशन टैक्स लगा हुआ है । गरीब जनता ने कहा कि हम इसको नहीं देंगे । एक आन्दोलन चला और उसको सरकार द्वारा कुचला गया । आन्दोलन कारियों पर मुकदमें चलाये गये और उनको सजायें हुई । यद्यपि हाईकोर्ट ने उस कानून को ही नल एण्ड वायड करार दिया लेकिन जुल्म उन पर ढाये गये, उनको पीसा गया । लेकिन जब इन उद्योग-पतियों ने टैक्स देने में हीला हवाला किया, टैक्स नहीं दिया तो इसी सरकार के कायदे-कानून, पुलिस और न्यायालय, सब हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखते रहे । श्रीमन, आज आवश्यकता इस बात की थी कि जो शुल्क इनसे मिलता है उससे अपने प्रदेश में और अधिक बिजली उत्पादन किया जाता और नये नये पावर प्लान्ट्स लगाये जाते ताकि इस काम को पूरा हम कर सकते । उद्देश्य में बतलाया गया है कि इससे उद्योगों को बढ़ाने में, खोलने में इन्करेजमेंट मिलेगा, लेकिन बात उल्टी है । चूंकि शुल्क लगा हुआ था इसलिये प्रदेश में कारखाने नहीं खुल रहे थे, ऐसी बात नहीं थी । मैं निर्माण मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इलाहाबाद जायं और देखें कि वहां केन्द्रीय सरकार की ओर से एक इंडस्ट्रियल स्टेट खुला हुआ है और उसमें २४ छोटे बड़े कारखाने खुले हुये हैं ।

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये ।)

उन्होंने मशीनें मंगा ली हैं, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है इसलिये कि उनको बिजली नहीं मिल रही है । सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि रिहन्द डैम जो बन रहा है हम उसकी बिजली आप को देंगे, मशीनें उन्होंने मंगा लीं, लेकिन बिजली उनको नहीं मिलेगी ।

श्री अधिष्ठाता---अभी आप कैपिटलिस्टों के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप उनकी वकालत कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन, आप सम्भवतः उसको समझ नहीं पाये । मैंने कहा कि जो टैक्स उद्योगपतियों पर लगा था उसकी वसूली करके उससे नये पावर प्लान्टस खोले जाने चाहिये थे ताकि हमारे प्रदेश में जो उद्योग आज बिजली के अभाव में बन्द पड़े हैं वे चल सकें । लेकिन सरकार उल्टी बात कर रही है । सरकार उन उद्योगपतियों को छूट दे रही है । इलाहाबाद में जो उद्योग खुले हुये हैं उनको आज बिजली नहीं मिल पा रही है । पूर्वी जिलों में जो ट्यूबवेल्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको सरकार को रोक देना पड़ा । कारण सरकार ने यह बतलाया कि ट्यूबवेल्स कामयाब नहीं हो रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह थी कि बिजली सरकार नहीं दे पा रही है । रिहन्द से ११ पूर्वी जिलों में बिजली सप्लाई होने की योजना थी ।

अभी हाल ही में मुझे रिहंड डैम जाने का मौका मिला और वहां के इंजीनियर ने जब उस मैप को दिखलाना शुरू किया जहां बिजली जाती थी तो उन्होंने बताया कि यह मैप आउट आफ डेट हो गया है इसलिये कि वह तमाम की तमाम योजना जो पूर्वी जिलों को बिजली सप्लाई करने की थी वह बदल दी है, अब उस बिजली का इस्तेमाल २-३ कारखानों के लिये होगा । तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद हमारे प्रदेश के पूंजीपति जिसमें बिड़ला शामिल होंगे, साहू जैन शामिल होंगे, कमलापति सिंहानिया शामिल होंगे, मोदी साहब शामिल होंगे, उनको ही प्रत्यक्ष लाभ होगा, जनता को लाभ किसी प्रकार का नहीं हो सकता ।

दूसरी बात, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब एक तरफ आप उनको इस शुल्क से मुक्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर आप क्या गारंटी देते हैं कि जो इससे लाभ उनको होगा उसका फायदा गरीब जनता को इस शक्ल में मिलेगा कि उत्पादित वस्तुओं की कीमत उसी अनुपात में घटेगी ? जब तक इस बात की व्यवस्था नहीं होती तब तक कोई लाभ गरीब जनता को नहीं हो सकता । मेरी स्पष्ट राय आज भी इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजने की है । वह विचार करे कि जो ३८ आदमियों की लम्बी फेहरिस्त सरकार ने दी है और जिनको लाभ होगा इस ऐक्ट के बन जाने के बाद, उसमें कौन ऐसे उद्योग हैं जिनको निकाला जाय, कौन से ऐसे छोटे उद्योग हैं जिनको सम्मिलित करें ? दूसरी बात, इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिये कि सहकारी आधार के ऊपर और छोटे-छोटे गरीब व्यापारी या और कोई उद्योग चलाना चाहते हैं, अगर उनको इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता तो वह समझ में आता, लेकिन इससे वह मकसद तो पूरा नहीं होने वाला है । इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुये मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में जाने दें । उसमें दो एक दिन का वक्त लगेगा, अधिक नहीं लगेगा । तो पुनर्विचार इस पर कर लिया जाय कि अपने उद्देश्यों और कारणों की, जो उन्होंने दिये हैं, इससे उनकी पूर्ति हो पाती है या नहीं । मेरा खयाल है कि सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद यह बिल एक ऐसा स्वरूप धारण करेगा और इस रूप में ऐक्ट बनेगा जिससे न केवल पूंजीपतियों को लाभ होगा बल्कि प्रदेश की तमाम जनता को लाभ हो सकेगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, यह इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक जो इस समय सदन में चल रहा है, इससे पहले एक आर्डिनेंस निकाल कर इस बात का मंशा जाहिर किया गया था, कि उद्योग पतियों के ऊपर से २५ परसेंट जो ड्यूटी लगा दी है वह संपूर्ण माफ कर दी जायगी । इस अध्यादेश के भी जो उद्देश्य और कारण बताये गये थे वह जब मैंने पढ़े और इस उत्तर प्रदेश की जनता ने भी इसे पढ़ा तो बड़ी हैरत हुई, क्योंकि इसमें कहा गया है कि पहली अप्रैल, १९५९ के बाद भी बिजली के औद्योगिक उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क लिया जाता रहा, जिसके कारण उद्योगपतियों में काफी रोष की भावना उत्पन्न हुई । क्यों लाया गया यह संशोधन ? इसलिये कि उद्योगपतियों में रोष की भावना उत्पन्न हुई । हमारे मंत्री जी इल्म गैब पढ़े हुये हैं, नजूमी हैं । यह कहते हैं कि हमारी नीयत थी कि पहली अप्रैल से हम इनके ऊपर से ड्यूटी हटा दें । परन्तु इसमें लिखा हुआ है कि इसलिये नहीं हटा सके कि असेम्बली एडजर्न हो गई । असेम्बली पहली अप्रैल को बैठ रही थी और अधिष्ठाता महोदय, २ अप्रैल को भी असेम्बली बैठी और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि २० अप्रैल को हम फिर बैठेंगे । ठीक, नीयत बिलकुल साफ है कि २० अप्रैल को अगर असेम्बली बैठती तो यह बिल आता और उस बिल में पहली अप्रैल से यह माफ कर दिया जाता मगर चूंकि असेम्बली नहीं बैठ पाई इसलिये उनसे शुल्क लिया जाता रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि रोष की भावना उद्योगपतियों में उत्पन्न हुई । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं इस सदन से और माननीय मंत्री जी से कि सारे उत्तर प्रदेश की जनता साढ़े ६ करोड़ इस बात को ढूंढ़ रही है, टटोल रही है कि रोष की भावना कब और कहां उत्पन्न हुई ? न तो कभी किसी उद्योगपति के आंसू टपके, न कभी किसी उद्योगपति ने किसी मंत्री को पत्र लिखा और न कभी उनका कोई एजीटेशन हुआ और न कभी किसी उद्योगपति ने इस बात का जिक्र या तजकिरा किया, मगर केवल एक भावना उनके हृदय में थी और उस भावना को माननीय मंत्री जी ने पहचाना कि उनमें रोष की भावना उत्पन्न हुई ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं पिछली मर्तबे कह चुका हूं और फिर आपके द्वारा इस मर्तबे कहना चाहता हूं कि रोष की भावना उत्पन्न हुई थी और वह रोष की भावना देखने के काबिल थी । उन्हीं उद्योगपतियों के नीचे जो कच्चे माल के उत्पादक हैं, गन्ने के उत्पादक हैं उन्होंने भी एक रोष की भावना प्रकट की थी, मंत्रीजी ने तो केवल रोष की भावना को उत्पन्न होते देखा लेकिन मैंने रोष को साक्षात् प्रकट होते देखा । इस उत्तर प्रदेश में बिहार के सिरे से लेकर पंजाब के सिरे तक सारे उत्तर प्रदेश में जो रोष प्रकट किया गया था वह ऐसा रोष था जो धरती से आसमान तक दिखाई

[श्री शिवप्रसाद नागर]

पड़ा, ऐसा रोष जिसके अन्दर लाखों और करोड़ों आदमियों ने हिस्सा लिया और इतना ही नहीं बल्कि कितने ही दिनों तक तमाम मिलें बन्द रहीं और यहां तक कि पांचों दलों के सत्याग्रहियों ने इस बात का मुकाबला किया कि १ रुपया १२ आना जो २५ जुलाई, १९५८ को कीमत इसी साल से पास की गई वह हमको दी जाय। इसी सदन से सर्वसम्मति से पास हुआ था कि एक रुपया १२ आना गन्ने की कीमत दी जाय, वह जब नहीं दी गई तब रोष प्रकट किया गया था। क्या किसी को वह रोष भी दिखाई दिया? इसी प्रदेश की जनता ने एक और रोष प्रकट किया था। पारसाल आजकल के ही दिन थे जबकि १० हजार आदमी जेल चले गये थे जबकि खाद्य आन्दोलन चलाया गया था। वह रोष ऐसा था जिसका ज्वलन्त उदाहरण उत्तर प्रदेश में मौजूद है, वह जलजलाता हुआ रोष था, जमीन और आसमान को हिला देने वाला रोष था जो कि सारे प्रदेश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखाई पड़ा। वह रोष इस प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता की तरफ से था लेकिन उसके ऊपर हमारी सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर, किस रोष की भावना से यह अध्यादेश ले आये और फिर यह संशोधन ले आये? उस रोष की भावना से जो कि मिलोनर्स ने अपने यहां गद्दीदार मसनदों पर बैठ कर और सोफा सेटों पर बैठकर प्रकट किया और प्रकट भी नहीं किया क्योंकि मंत्री जी कहते हैं कि केवल रोष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने रोष नहीं प्रकट किया।

एक सदस्य--यह कहां लिखा है?

श्री शिवप्रसाद नागर--यह देखिये इसी में लिखा हुआ है। यह अध्यादेश है और यह संशोधन है, यह दोनों बाप बेटे हैं, इसको पढ़िये। पहले अध्यादेश निकाला गया, यह बाप है और फिर संशोधन आया जो कि इसका पुत्र है। जरा समझने की कोशिश कीजिये, यह वैधानिक प्रश्न है, कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है जो बाजार में तय होता रहेगा। तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से कहना चाहता हूं कि इस तरह का रोष क्यों उत्पन्न हुआ, सोफा सेटों पर बैठकर और चाय के प्यालों में उसी से अध्यादेश आया कि २५ परसेन्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर दी। अभी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नैनीताल में हुई थी, उसमें माननीय मंत्री जी ने बताया था कि इस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में २ करोड़ रुपया सालाना सरकार को घाटा होता है। वहां पर कुछ बातें कही गईं कि छोटे छोटे उद्योग करने वाली जनता को शुल्क में कुछ रियायत कर दी जाय तो जवाब यह मिला कि जनाब रियायत कैसे कर दें, यह तो कामर्शियल डिपार्टमेन्ट है। और २ करोड़ रुपये का घाटा इसे होता है और इस पर लुत्फ यह है कि एक तरफ तो २ करोड़ रुपये का घाटा होता है और २४ करोड़ यूनिट जो इन्होंने बिजली पैदा की है उसमें से ६ करोड़ यूनिट लीकेज में चली गई। तिस पर भी तुर्रा यह कि यह कामर्शियल डिपार्टमेन्ट है। मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बाद भी जब २५ प्रतिशत ड्यूटी माफ हो जायगी तो घाटा कितना होगा। एक दूकानदार है जो एक टीन मिट्टी का तेल २४ बोतल बाजार में लेकर बैठता है, उसका ६ बोतल टपक जाय और बाकी को वह उसी भाव में बेचे तो किस प्रकार से उसका बिजनेस चल सकता है? अधिष्ठाता महोदय, मेरा अन्दाजा ऐसा है और ऐसा मालूम होता है कि किसी उद्योगपति ने किसी मंत्री से उद्घाटन कराया या कोई दावत दी और उसने वहां पर उनसे कह दिया हो कि आपने एक अप्रैल से माफ करने को कहा था, अभी तक नहीं किया और हमसे अभी भी लिया जा रहा है, और उसके बाद उसने कह दिया होगा कि सन् ६२ में इलेक्शन के लिये रुपया लेने आना तब बतायेंगे। मेरे खयाल से यह धौंस खा गये और उसी धमकी के डर से पहले अध्यादेश ले आया गया और बाद में यह संशोधन भी ले आया गया।

एक बात और है। एक तरफ तो बड़े उद्योगपतियों पर यह ड्यूटी माफ की जा रही है और दूसरी तरफ छोटे उद्योगपतियों को पावर नहीं मिल रही है। लखीमपुर के जिन उद्योगपतियों को इन्डस्ट्रियल लोन कमेटी से लोन मिला, उन्होंने मशीन खरीद ली है। गवर्नमेंट के रुपये की ब्याज लग रही है और रिकवरी भी जल्द ही शुरू हो जायगी लेकिन वे ताक रहे हैं कि कब बिजली खंभों से उतरे कब पावर मिल और कब यह उद्योग शुरू हो, असल बात तो यह है कि

बड़े उद्योगपतियों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का करोड़ों रुपया बकाया रह गया जो वसूल नहीं हुआ। कोई कारण अवश्य है कि उद्योगपतियों से आपकी हिम्मत रुपया मांगने की नहीं पड़ती है। यह एक आम बात है कि अगर किसी के ऊपर कोई तकाजा आये उसको आप चाय पिलायें, खाना खिलायें और सिगरेट पिलायें तो मैं यकीन दिलाता हूं कि वह तकाजा करने की हिम्मत नहीं कर सकता अगर दूसरी बार वह खूब गुस्सा होकर आये लेकिन फिर भी आप उसको सिगरेट, पान खिलायें तो वह मुलायम हो जायगा। ऐसा ही कुछ कारण मालूम होता है कि आप तकाजा नहीं कर पाते और इसलिये आप अध्यादेश ले आये, यह संशोधन लाये हैं और इसके द्वारा २५ प्रतिशत ड्यूटी उन पर माफ करना चाहते हैं। जो रुपया आप उद्योगपतियों पर माफ करना चाहते हैं उसका भार इस प्रदेश की गरीब जनता को उठाना होगा और उसके ऊपर एक बड़ा भारी बोझ आ जायगा, जनता उसको सहन न कर पायेगी। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज कर दूं कि जिस वक्त गन्ने का दाम पौने २ रुपया मन था, ३० रुपया मन शक्कर का दाम था। तब मिल वालों को मुनाफा होता था लाखों रुपया। उसके बाद गन्ने का दाम घटता गया और शकर का दाम बढ़ता गया। और मुनाफा होता है करोड़ों रुपया। इस तरह से इतना बड़ा मुनाफा इनको होता चला जा रहा है, एक चीज पर नहीं अनेक चीजों पर। अभी सुबह सुबह प्रश्नोत्तर में मालूम हुआ कि सन् ५७–५८ में कानपुर की टैक्सटाइल मिलों में कपड़े की सैकड़ों गांठें पड़ी सड़ रही थीं। फिर भी एक नया मिल खोलने के लिये नैनी में स्वदेशी काटन मिल को २५ लाख रुपया कर्जा दे दिया गया। यह सरकार इन उद्योगपतियों से बहुत ज्यादा ओब्लाइज्ड है जिससे वह इनके साथ रियायत करती है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि जनता कुचलती जायगी। इस प्रदेश की जनता इस तरह से दब जायगी जैसे एक भारी भरकम हाथी जैसा शरीर वाला कोई मामूली व्यक्ति पर गिर पड़ता है। यह उद्योगपति जनता को इसलिये कुचलते हैं कि इनको सरकार की ओर से सहारा मिलता है। जरा सा सहारा मिलने पर वे किसानों पर फट पड़ते हैं और उसका नतीजा यह है कि हम रोज कुचलते जा रहे हैं।

जैसा मैंने बतलाया कि जनता के भाव पर सरकार इन उद्योगपतियों को इतना बड़ा मुनाफा देती जा रही है। जनता द्वारा उत्पादित मालों को सस्ता करके इसका मुनाफा इनको मिल रहा है, इसके बावजूद भी इनकी २५ परसेंट ड्यूटीज माफ कर देने के माने क्या हैं? मैं समझता हूं कि चारों कोने से सम्भाल कर, गांठ बांध कर और गठरी बना कर आप उद्योगपतियों के घरों में पटक देना चाहते हैं। असल बात यही है, इसलिये मैं इस इलेक्ट्रिसिटी बिल का घोर विरोध करता हूं और मैं यह कहता हूं कि यह जनहित में नहीं है बल्कि यह पूंजीपतियों के हित में है, उद्योगपतियों के हित में है। इससे उद्योगपतियों को बढ़ावा मिल सकता है लेकिन इससे उद्योग नहीं बढ़ सकता है। इससे तो दिन व दिन जनता की हालत गिरती जायगी और वह गरीब होती जायगी तथा उद्योगपति और भी इससे ज्यादा रईस होते जायेंगे।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने प्रस्तुत अमेंडिंग बिल के उद्देश्य तथा और परिस्थितियां जो इसमें दी हुई हैं, जिनके तहत में यह बिल पेश किया गया है, उनको पढ़ा। मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि वे परिस्थितियां थीं जिनके तहत में इस बिल को पेश करना बिलकुल मुनासिब था। बिजली के लाइसेंसधारी कंज्यूमर्स से विद्युत शुल्क वसूल करें और सरकारी कोष में नियत समय में जमा न करें, यह एक निहायत नामुनासिब बात थी। लेकिन जो उपाय उनसे विद्युत शुल्क वसूल करने का इस बिल के अन्दर रखा गया है, उससे मैं इत्तिफाक नहीं करता।

श्रीमन्, कानून ज्यादा लाभदायक और ज्यादा एफेक्टिव होने के लिये यह जरूरी है कि उसके एप्लीकेशन में यूनिफार्मिटी हो। कुदरती कानून ज्यादा एफेक्टिव इसलिये होता है कि उसके अन्दर यूनिफार्मिटी होती है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जहां सरकारी रुपये की वसूलयाबी की बात है, इस सम्बन्ध में जो भी प्राविजन जिस कानून में रखा जाय उसके अन्दर यूनिफार्मिटी होनी चाहिये। जब किसी बड़े पैसे वाले से सरकारी रुपया लेने की बात आती है तो उसकी नादेहन्दगी पर उससे थोड़ा सूद लेकर माफ कर दिया जाता है लेकिन जब किसान जो

[श्री शिवराजसिंह यादव]

जमीन से कुदरती आफत का सामना करके पेट फाड़कर उत्पादन करता है, उसकी नादेहन्दगी का वक्त आता है तो उसके प्रति कोआर्सिव मेजर्स इस्तेमाल किये जाते हैं । श्रीमन्, अभी पिछले ही सप्ताह में अपनी कांस्टीटुएंसी में घूम कर आया हूं और एक रोज से ज्यादा रोज मुझे तहसील जाने का इत्तिफाक हुआ । मैंने देखा कि वहां हवालात के अन्दर काफी किसान सरकारी लगान न देने की वजह से बन्द थे । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो कोआर्सिव मेजर्स काश्तकारों के प्रति सरकारी मोतालबा वसूल करने में अमल में लाये जाते हैं, कोई वजह नहीं है कि इन लाइसेंस-धारियों से भी सरकारी मोतालबा वसूल करने में वे अमल में न लाये जायं ? मैं इसकी कोई वजह नहीं समझता कि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था क्यों न की जाय ?

दूसरी बात, श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि जब जमीन पर आबादी का बोझ बढ़ता चला जा रहा है तो देहातों में खेती के अलावा छोटे-छोटे उद्योग चलाये जायं, जिनमें भले ही बिजली का इस्तेमाल किया जाय । इन छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को चलाने में और बिजली का इस्तेमाल करने में जो दिक्कतें हैं उनका निराकरण इस बिल में नहीं है, इस दृष्टि से मैं इस बिल को अपूर्ण कहता हूं ।

जो देहात के बिजली के कन्ज्यूमर्स हैं उनसे सरकार किस तरह से बिजली की कीमत ले और जो खर्च उनसे अब लिया जाता है इसके सम्बन्ध में मैंने आज से ४ साल पहले उस समय के विद्युत मंत्री जी को एक नोट दिया था और उस समय के मंत्री महोदय ने ही नहीं बल्कि सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर आदि सभी ने उससे इत्तफाक किया था लेकिन मुझे खेद है कि आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है । देहात में जो पहला बिजली लेने वाला पहला कन्ज्यूमर होता है उसी को ट्रान्समिशन लाइन खींचने का और उसकी मेनटेनेन्स का पूरा खर्चा देना होता है परन्तु उसके बाद जितने भी कन्ज्यूमर उस लाइन पर बिजली लेने वाले पैदा होते हैं वह किसी तरह का कोई माहवारी maintenance charge नहीं देते हैं उस लाइन के रखरखाव के लिये । यह बात न्याय की दृष्टि से किसी तरह से भी उचित नहीं है । जब एक लाइन से काफी तादाद में कन्ज्यूमर्स लाभ उठायें तो एक ही कन्ज्यूमर्स से लाइन का खर्च और उसके रख-रखाव का खर्चा लेना न्याय की दृष्टि से और इस दृष्टि से भी उचित नहीं है कि इस से गांव में कोई भी पहला आदमी बिजली लेने के लिये सराहनीय कदम उठाये और बिजली लेकर कोई रोजगार चलाये । यदि हम चाहते हैं कि देहात में बिजली लगे और उसका प्रसार हो तो आवश्यकता है कि इस तरह की नीति हम समाप्त कर दें ।

मैं तो इस पक्ष में हूं कि जिस प्रकार से सरकार कुओं से किसानों को पानी देती है तो केवल पानी की ही कीमत चार्ज करती है और गूलें वगैरह वह स्वयं बनाती है । इसी प्रकार मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि देहात में सरकार अपनी बिजली की लाइन बनवाये और उसके रख-रखाव का खर्च स्वयं सहन करे और कन्ज्यूमर्स से केवल बिजली का ही खर्च ले । आप देखें कि यहां तक कि हाइडल डिपार्टमेंट जो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से बिजली का खर्च वसूल करता है उसमें भी लाइन का और उसके रखरखाव का खर्च नहीं लिया जाता है जब कि मीलों लम्बी लाइनें उसके लिये हाईडल विभाग को खिंचवाना पड़ती हैं और उनका रखरखाव करना पड़ता है । तो जब स्वयं सरकारी मुहकमे आपस में एक दूसरे से इन्सटालेशन और रखरखाव का खर्च चार्ज नहीं करते तो देहातों में नये रोजगार शुरू करने वालों से इस तरह का खर्च क्यों लिया जाता है जो गांवों में बिजली फैलने को बाधक हैं और नये रोजगार इस तरह से नहीं खुल सकते ? यह सुविधा इस-लिये देहात में बिजली के प्रसार के हित में होगी और इस हित में भी होगी कि गांव के लोग खेतों से हटकर छोटे रोजगारों की ओर आयें । इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक में या अन्य किसी कानून में इस बात की गुंजायश करे कि हमारे देहातों में अधिक से अधिक बिजली का प्रसार हो और आजकल गांवों में बिजली के Installation पर जो भारी खर्च line के रखरखाव व खींचने का होता है उससे उनको छुट्टी मिले । इन सुझावों के साथ मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं । हमारे सामने यह जो बिजली का विधेयक उपस्थित है उसमें मोटी मोटी दो तीन आवश्यकतायें ही बताकर यह बिल हमारे सामने रख दिया गया है। इस के खंडों को देख कर यह मालूम होता है कि पहली बार यह आवश्यकता दे दी गई कि उपभोक्ताओं को भी इस में शरीक कर लिया जाय। दूसरे जो अभी तक लाइसेन्सी थे उनके द्वारा यह ड्यूटी समय पर न देने के कारण उनसे कुछ उपाय नहीं चल पाता है। उनसे कुछ ब्याज लेने की बात इसमें रखी गई है ।

श्रीमन्, आप देखें कि हमारे इस विधेयक में जो उद्देश्य और कारण हैं उनमें एक बात विशेष तौर से यह कही गयी है कि हमारे राज्य में बिजली की सप्लाई की मूल दरें देश में अन्यत्र प्रचलित दरों की अपेक्षा कम हैं, परन्तु इन दरों के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) ली जा रही थी उसके कारण विद्युत शक्ति के लिये देय सम्पूर्ण राशि कतिपय अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में अधिक थी। ये दो बातें जो कम्परेटिव रूप में सरकार ने कहीं उनको केवल सरकार ने कहा ही है। यदि ये कम्परेटिव फीगर्स माननीय मंत्री जी इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करते समय हमारे सामने रख देते तो ज्यादा अच्छा होता । लेकिन वह इसकी आवश्यकता इसलिये नहीं समझते हैं कि उनका विश्वास है कि जो कुछ भी सही या गलत हम कह देंगे उसको बहुमत के बल पर पास करा लेंगे । जब वह हमें कोई ग्राउन्ड बताना चाहते हैं कि इस ग्राउन्ड की वजह से यह आवश्यकता है कि अन्य प्रान्त में रेट्स कम हैं और हम ज्यादा ले रहे हैं तो उसे साबित करने के लिये फैक्ट्स और फीगर्स उन्हें हमारे सामने रखने चाहिए थे । यद्यपि हमारी प्रक्रिया नियमावली में भी यह है कि जिस किसी डाक्यूमेन्ट के आधार पर कोई बात कही जाय तो उसको हमारे सामने रखा जाय लेकिन उसको नहीं रखा जाता ।

इसके साथ-साथ एक आश्चर्यजनक चीज उद्देश्य तथा कारण के पैराग्राफ नं० २ में है। अंग्रेजी में एक शब्द 'डेटेरेन्ट' है। हिन्दी अनुवाद में वह शब्द हटा दिया गया है । इसमें अंग्रेजी में लिखा है :—

"It has been found that the licensees do not deposit the amount of electricity duty realized from the consumers in Government treasury within the prescribed time. It is, therefore, proposed, as a deterrent measure, to charge an interest at the rate of 121 1/2 per cent from the licensees on the amount of electricity duty which they realize from the consumers and do not deposit in Government treasury in time".

इसमें उन्होंने यह कहना चाहा है कि ये लाइसेन्सी समय पर जमा नहीं करते है इसलिये सजा के तौर पर या सख्ती के तौर पर हम यह करना चाहते हैं। यह बात तो सरकार मानती ही है कि यह लाइसेंस धारी इस धनराशि को कोष में नियत समय पर जमा नहीं करते। प्रश्नोत्तर के समय इसके संबंध में भी प्रश्न किये गये कि कितनी ऐसी रकम है जो जमा नहीं की गई है, तो जो जवाब सरकार की तरफ से मिला है उसमें करीब २६–२७ लाख रुपये की रकम एक दफा बताई गई है। इतनी रकम ड्यू है ऐसा सरकार ने बताया है और जब यह पूछा गया कि एरीयर्स आफ रेवेन्यू की तरह से वसूल करने के प्रोसेज क्यों नहीं अख्तियार किये गये तो चुप्पी साध ली और कहा कि हम धीरे–धीरे वसूल करने की कोशिश करेंगे । आज यह मानते हुए भी कि यह धनराशि सरकारी कोष में जमा नहीं हो रही है जो डेटेरेन्ट मेजर सरकार की निगाह में आया है वह यह है कि उनकी लापरवाही पर उन्हें कोई दण्ड न दिया जाय, एरीयर आफ रेवेन्यू के रूप में वसूल करने के लिये कोई कुर्की आदि न की जाय बल्कि ब्याज ले लिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि ऐसे ड्यूज वसूल करने में उसी तरह के तरीके काम में न लाये जांय जिस तरह से कि साधारण से साधारण किसान पर जब कभी कोई लगान आदि बकाया होता है तो उसके लिये वसूलयाबी की कार्यवाही करते हैं ? उन कार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

बाहियों के न करते हुए सरकार ने इन लोगों के सम्बन्ध में एक नया तरीका अख्तियार किया है कि उनसे साढ़े १२ फीसदी व्याज ही ले लिया जाय। क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि उनको जो अधिक से अधिक सुविधा सरकार दे सकती थी उसके लिये ही यह किया गया है?

मूलरूप में इस विधेयक के सम्बन्ध में जो हम लोगों की आपत्तियां हैं और जिनको बार-बार पूर्व वक्ताओं ने दोहराया है उनको फिर न दोहराते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह विधेयक सम्पूर्ण रूप से धनपतियों के पक्ष की बात है और सरकार भी इससे इन्कार नहीं कर सकती। क्यों? जब यह अध्यादेश हमारे सामने आया और उसमें हमने यह देखा कि शेड्यूल जो लगा हुआ था उससे मालूम होता था कि कौन-कौन से ऐसे उद्योग हैं जिन पर से बिजली हटा देने के लिये सरकार उतावली है और प्रदेश के उद्योगों को सहारा देना चाहती है। तो मालूम हुआ कि उसमें बिग इंडस्ट्रीज ही थीं और हम समझ गये कि सरकार बिग इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सहायता देने के लिये यह करिश्मा कर रही है। अब उस करिश्मे को दूसरे ढंग से हमारे सामने लाया गया है। उस शेड्यूल को भी हटा दिया गया जिसमें हम उन इंडस्ट्रीज को प्वाइन्ट आउट न कर सकें कि देखिये यह बड़ी इंडस्ट्री इसमें लिखी हुई है जिसमें उद्योगपति ही फायदा उठा पायेंगे। ऐसी हर चीज पर इशारा करने के लिये जो हमको मौका मिलता वह अब नहीं मिल सकता है।

अब यह कहा जाता है कि सरकार किन्हीं मौकों में किसी भी स्थिति में इन उद्योगों के ऊपर से टैक्स अलहदा करने की बात कह सकती है। जहां यह जोड़ दिया गया है (ङ) "किसी उपभोक्ता द्वारा किसी ऐसे उद्योग में जो वस्तुओं के निर्माण उत्पादन विधायन (processing) या मरम्मत में संलग्न किसी उद्योग में कोई उपभोक्ता हो" यह नया उप खंड (ङ) खंड २ के उपखंड (ग) और (घ) के पश्चात् जोड़ा जा रहा है। उसमें उल्लेख है कि इन लोगों से बिजली नहीं ली जायेगी और इसी सरकार को अधिकार दे दिया गया है कि इनमें से जिसको चाहे लागू करावे या अलहदा कर दे। हम कह सकते हैं कि सरकार को इससे डिस्क्रीशनरी पावर दी गई है जो खतरानाक हो सकती है। विशेषकर सरकार उन लोगों को हमेशा तरजीह देना चाहती है जो कभी कभी मौके बे मौके सहायक भी हो जाते हैं। और यदि हम कहें कि यह पूंजीपतियों की सरकार है तो अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि उसके प्रमाण हैं भी। इस बिल को प्रस्तावित करने से यह बात पुष्टपोषित होती है। शेड्यूल को अलग करके सरकार ने अपने हाथ में डिस्क्रीशनरी पावर ले ली है जिससे किसी प्रकार की कोई उंगली न उठा सके।

आप देखें कि इस विधेयक से ठीक पहले ही एक विधेयक हमारे सामने आया और मैं यों कहूं कि इस अधिवेशन में हमारे सामने यह दूसरा टैक्स का विधेयक है। पहला विधेयक था कोर्ट फीस के बारे में और बार-बार विरोधी पक्ष की तरफ से विनय और दबाव डालने पर कि आप गरीबों पर दया करें और उनके लिये कम से कम इतना मौका दें कि जहां कहीं न्याय उनको न मिलता हो तो विधान के अन्तर्गत उनको मिले हुए मौलिक अधिकार के आधार पर वे न्याय प्राप्त कर सकें और उस न्याय के प्राप्त करने में उनको धन का अवरोध न हो। यह पुकार थी स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में कि न्याय को सस्ता व सुलभ होना चाहिये। लेकिन सरकार ने उस बात को अनसुनी कर दी और कहा कि हमें रुपये की जरूरत है प्लानिंग में, इसलिये रुपया किसी तरह से भी और कहीं से भी लिया जा सकता है। लेकिन आज वही रुपया दूसरे तरीके से लौटाया जा रहा है। कोर्ट फीस बिल में तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति से भी रिट में ५० रुपये लेना सरकार ने वांछनीय समझा लेकिन ठीक इसके विपरीत आज सरकार इस बिल के जरिये धनपतियों को रिहाई देने जा रही है। उन बड़े-बड़े उद्योगों को जो बिजली के द्वारा चलते हैं। बिजली

का उद्योग हमारे प्रान्त में विशेष तौर से बढ़ रहा है लेकिन इस बिजली से कृषकों का क्या हित होगा यह विशेषतौर से चिन्तनीय बात है ।

मैं मानता हूं कि एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं बढ़ेगी लेकिन साथ ही साथ यह भी जानने को मुझे मिला कि सरकार एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस पर जो बिजली का रेट लेती है वह रेट ज्यादा है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने एक भाषण में बतलाया था कि अल्युमूनियम फैक्टरी की स्थापना के साथ जो ठेका बिड़ला कम्पनी को दिया गया उसमें बिजली के लिये जो दर मुकर्रर की गयी है वह बहुत सोच समझकर कर १५० रुपये किलोवाट पर की गयी है लेकिन ऐग्रिकल्चरल परपजेज के लिये बिजली का रेट उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है । ट्यूबवेल्स के लिये बिजली का रेट भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। बतलाया तो यह गया कि कृषकों से बिजली की ड्यूटी नहीं ली जायगी लेकिन यदि हम निष्पक्षता से और गहराई से विचार करें तो पता चलता है कि उनसे ड्यूटी इन उद्योगपतियों से भी ज्यादा ली जाती है और उद्योगपतियों पर से वह ड्यूटी हटाये जाने का प्रयास है वह चीज इस विधेयक से स्पष्ट है और इस प्रयास के साथ-साथ उनके साथ जो दूसरी रियायत बिजली के नये सुधार के रूप में लाई जा रही है वह हम उनसे ब्याज ले कर संतोष कर लेंगे ।

मैं निवेदन करूंगा कि यह जो साढ़े १२ फीसदी ब्याज है यह उस सरकारी रकम पर लिया जायगा जो सरकारी देय को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उस रकम पर यह ब्याज लिया जायगा । तो यह ब्याज की दर इतनी क्यों है और उनको बड़ी से बड़ी सजा यहां तक की जेल भी क्यों न हो ? ये बातें तो खैर दूर हैं । सरकार उनके साथ ब्याज की दर रख रही है। यह दूसरी रियायत सरकार उनके साथ इसलिये रख रही है कि वे सरकार के उस रुपये को अपने पास रख कर साढ़े १२ फीसदी से भी ज्यादा ब्याज पैदा कर लें तब सरकार को साढ़े १२ फीसदी दें और इस प्रकार इस ब्याज में छूट दे कर ब्याज से फायदा उठाने के लिये यह रास्ता खोला गया है।

श्री अधिष्ठाता--ब्याज की शरह आम तौर से क्या है यह आप जानते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--देहात में एक आना रुपया होती है ।

श्री अधिष्ठाता--वह आगा लोग लेते हैं । यों बतलाइये कि ब्याज की क्या शरह है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--आपकी कोआपरेटिब्स लेती हैं। आगा लोग नहीं लेते हैं। कोआपरेटिव्स का ब्याज क्या होता है इसका आपको पता नहीं होगा। तो मैं यह कह रहा था कि यद्यपि इस बिल में मोटी-मोटी दो बातें ही रखी गयी हैं और उनका ही मैंने जवाब देना उचित समझा है लेकिन इसके अन्तर्निहित जो सिद्धान्त हैं वह हमारे लिये बहुत ही अन्यायकर हैं। उसमें उद्योगों के नाम पर पूंजीपतियों से रुपया न लेना और ब्याज पर उनके पास रुपया पड़ा रहने देना यह ऐसा अपराध है जो सरकार के लिये ही उचित है और हमारे पक्ष में अक्षम्य है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने हमको दूसरे प्रान्तों की कम्पेरेटिव फीगर्स न दे कर हमें अंधेरे में क्यों रखा है ? हो सकता है कि मंत्री जी खड़े हो कर कुछ फीगर्स देने की कोशिश करें लेकिन यह उसी तरह से होगा कि अपने पक्ष को येन-केन प्रकारेण मजबूत बनना। दूसरे इस शेड्यूल को हटा कर सरकार ने कोई बुद्धिमत्ता नहीं की, बल्कि डिस्क्रिशनरी पावर्स रख कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का रास्ता सरकार ने निकाला है । तीसरे इसमें कंज्यूमर्स को छूट देने की बात रख कर पूंजीपतियों के साथ पक्षपात करने का रास्ता खुल जाता है । चौथे जो रेट है वह ऐसा खराब है कि सरकार एरियर वालों को मौका देना चाहती है कि वे अपने पास एरियर बनाये रखें और सरकार के उस शिकंजे से बरी रहें

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जिससे बरी रहना किसी काश्तकार के लिये एक पैसे के भी बकाये पर मुश्किल रहा करता है। इन चार पांच बातों को कह कर मैं कहूंगा कि यह प्रस्ताव प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसमें हम लोगों की राय ली जाय। इसलिये मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ आश्चर्य सा होता है जब मैं अपने साथियों के, जो विरोधी पक्ष के कहे जाते हैं भाषण सुनता हूं। अभी भाषण करते करते एक साहब ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह अध्यादेश इसलिये जारी किया गया था कि किसी मंत्री महोदय की कहीं दावत की गयी होगी या अगले एलेक्शन में कहीं चन्दा लेने की बात तय हो गयी होगी। अगर उसी रूप में इधर से कोई यह कह दे कि विरोध केवल इसलिये किया जाता है कि कोई साहब चन्दा मांगने गये होंगे उनको चन्दा नहीं मिला होगा इसलिये सदन में विरोध करते हैं तो कितना अच्छा कहा जायगा ? तो इस तरह से किसी की नीयत पर हमला करके विरोध करना यह मैं नहीं समझता कहां तक पार्लियामेंटेरियन भाषा का प्रयोग है और यह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा विरोध करने की बात की जाती है। एक चीज मैं और देखता हूं। यह हमारी जहनियत सी होती जा रही है कि कोई भी विधान जब उपस्थित होता है तो उसमें क्लास बांटना शुरू कर देते हैं। हम अलग-अलग वर्गों को कर के हर एक के स्वार्थ या उसके नुकसान को देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे इस देश में जितने धनी हैं वे इस देश के निवासी नहीं हैं, उनके लिये कोई अलग कानून बनना चाहिये और दूसरे लोगों के लिये कोई अलग कानून बनना चाहिये। जब हम इस प्रदेश के उत्थान की बात करते हैं तो कहा जाता है कि आप उत्थान की बात करते हैं लेकिन हम ह्रास की ओर चले जा रहे हैं। जब उत्थान का काम हम शुरू करते हैं तो उसका विरोध किया जाता है। एक ओर कहा जाता है कि हमारी औसत आमदनी घटती जा रही है और दूसरी ओर जब हम उद्योग-धंधों को चलाने के लिये उनको सुविधायें देना शुरू करते हैं तो कहा जाता है कि इससे तो पूंजीपतियों को लाभ होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--व्यवस्था का प्रश्न। मैं समझता हूं जब तक कोरम पूरा नहीं होता तब तक के लिये आप कार्यवाही रोक देंगे।

श्री अधिष्ठाता--(श्री रामलक्षण तिवारी से) आप बैठ जायं, कोरम पूरा नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने के पश्चात् ८ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री रामलक्षण तिवारी--श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि जब हम यह बात करते हैं कि हमारे प्रदेश की तरक्की होनी चाहिये तो हमें यह भी अपने मस्तिष्क में रखना चाहिये कि हमारे प्रदेश की तरक्की उस समय तक नहीं हो सकती है जब तक कि हमारे यहां उद्योग-धंधों की तरक्की न की जाय। हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है और अधिकांश लोग खेती के ऊपर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और यहां पर उद्योग-धंधों की इतनी कमी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। किन्तु हम देखते हैं हमारे यहां उद्योगों के लिये जो बिजली दी जाती है उसका रेट दूसरे प्रदेशों से बहुत बढ़ा हुआ है और इसके लिये हम लोगों ने बार-बार प्रार्थना की कि प्रदेश की तरक्की के नाम पर उद्योगों पर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उठा ली जाय और उसको उठाने में सरकार जो रेट्स लेने जा रही है वह दूसरे प्रदेशों से कम नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार होना चाहिये था और दूसरे प्रदेशों के रेट्स से तुलना करके हमारे यहां के उद्योगों को बढ़ाना चाहिये था। यह सोचना कि उद्योग-धंधों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूंजीपति चलाते हैं इसलिये उनको कोई सुविधा नहीं दी जानी चाहिये, ठीक नहीं है। इससे तो प्रदेश का एक तरह से अहित करना होगा। मैं सुनते-सुनते थक गया हूं कि सदन में बार-बार साहू जैन फैक्टरी और दूसरे कारखानों की चर्चा होती है और इस नीयत से की जाती है कि जैसे पूंजीपतियों और सरकार को चलानेवाले लोगों में कोई सांठगांठ है। चर्चा जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमारी आशाओं पर तुषारपात होने लगता है।

हमारे पूर्वी प्रदेश में जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग धंधे नहीं हैं और उद्योगों को चलाने के लिये सरकार के पास क्षमता नहीं है, वहां अगर कोई प्राइवेट कैपिटलिस्ट उद्योग धंधों को चलाना चाहता है तो उसको कोई सुविधा न देकर निराश किया जाता है। तो हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारे प्रदेश के इस भाग के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जहां पर बेकारी बढ़ी हुई है, जहां पर खाद्य की परिस्थिति बहुत गिरी हुई है, जहां हमेशा अभाव की पुकार हुआ करती है और जो हमेशा से इस प्रदेश में डेफीसिट एरिया बन कर एक आफत की चीज बनी हुई है, उनके उत्थान के लिये, उनकी बेकारी दूर करने के लिये अगर किसी को कोई सुविधा प्रदान की जाती है तो उसका भी इस आदरणीय सदन में विरोध किया जाता है।

मैं आश्चर्य में हूं कि एक तरफ तो तरक्की की बात कही जाती है और दूसरी तरफ जब कोई काम होता है तो बाधा डाली जाती है। यह बात कैसे सम्भव हो सकती है? इस तरह की बातें उन लोगों की तरफ से की जायं तो और भी अशोभनीय-सा मालूम होता है। जिन्होंने मार्क्स और लेनिन के ग्रन्थों को पढ़ा है और रूस के इतिहास को देखा है, जिन्होंने यह देखा है कि अभी केरल में उद्योग के संचालन के लिए, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कितने तरह के प्रलोभन देकर उद्योग-धंधे चलाने के लिए तैयार किया गया। क्या यह उत्तर प्रदेश इसी तरह पिछड़ा हुआ रहेगा? क्या यहां उद्योग धंधों का उत्थान नहीं होगा? क्या यहां करों के बोझ से उद्योग-धंधों का गला घोंटा जायगा? अगर यह सारी कार्यवाहियां न होतीं, तो विरोधी दल की ओर से यह कहा जाता कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन पांच वर्षों के भीतर क्या तरक्की दिखलायी है? उत्तर प्रदेश में कौन से उद्योग-धन्धे बढ़े? इसके आंकड़े बार-बार मांगे जाते और अगर उसमें कमी होती तो यह भी कहा जाता कि उत्तर प्रदेश की सरकार शायलाक की तरह से सूद के द्वारा और दुनिया भर की चीजों के द्वारा यहां के लोगों को बरबाद कर रही है, उद्योग-धंधों को कुचल रही है, उनको पनपने का मौका नहीं देती है। हर देश में जहां पर उद्योग-धंधे चलाये गये हैं वहां पर उनको भिन्न प्रकार के करों से राहत दी गयी है जिससे वह उद्योग-धंधे खड़े हो सकें और उस देश की उन्नति हो सके। हमारे प्रदेश में अगर यह काम हो रहा है तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। यह बिल बहुत विलम्ब से आया जिसमें उद्योग-धंधों को ड्यूटी से मुक्त करने की बात कही गयी है, इसे पहले आना चाहिए था। खैर देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। इस विधेयक में भी और ट्रेजरी बेंचेज से भी जितनी स्पीचेज हो रही हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि पूंजीपतियों में रिसेंटमेंट था, तो मैं नियम १३१ के अन्तर्गत मंत्री जी से उन कागजों की मांग करता हूं जिनमें पूंजीपतियों ने रिसेंटमेंट दिखलाया है।

श्री उपाध्यक्ष--इस सम्बन्ध में पिछले दिनों में यह प्रश्न उठ चुका है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि कोई इस किस्म का कागज नहीं है। इसलिए वह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामलक्षण तिवारी--साथ ही यह जो कहा गया कि इसमें केवल धनिकों को ही लाभ होगा यह भी गलत चीज है। इसमें छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को भी रखा गया है। अभी एक माननीय सदस्य बोलते हुए कह गये कि इसमें जो शैड्यूल रखा गया था वह निकाल दिया गया है। वह इसलिए निकाल दिया गया है कि उसमें डेफिनिटली, कोई पार्टीकुलर केस न बता सकें कि अमुक इंडस्ट्री को बिजली क्यों नहीं दी जाती और अगर दी गयी तो ड्यूटी नहीं माफ की गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो शेड्यूल हटाया गया है उसको हटा कर इंडस्ट्री की डेफिनीशन का विस्तार किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं किया गया कि किसी

[श्री रामलक्षण तिवारी]

इंडस्ट्री को खत्म कर दिया जाय और किसी खास इंडस्ट्री को जिस पर सरकार की मेहरबानी हो उसको पनपने का अवसर मिले। इसमें चार तरह की इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। इसमें मैनुफैक्चर, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और रिपेयर, चार तरह की चीजें कर दी गयी हैं। प्रासेसिंग और रिपेयर के कामों पर गरीब लोग ही नियुक्त रहते हैं। बहुत छोटे तबके के लोग इनको चलाते हैं। मैनुफैक्चर और प्रोडक्शन बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के द्वारा होते हैं। यह ऐसा विधेयक है जो कि गरीब वर्ग के आदमियों से लेकर धनी वर्ग के आदमियों द्वारा संचालित उद्योगों को प्रभावित करता है। इसके द्वारा जनता का कल्याण होगा और उद्योग-धंधों का भी अधिक निर्माण होगा जिससे हमारे प्रदेश की तरक्की होगी और उस तरक्की से हम खुद प्रभावित होंगे। एक हमारी ही तरफ के मित्र यह कहे थे कि साहब, बड़े कोऊर्सिव मेथड से लगान वगैरह वसूल किया जाता है और बिजली के चार्जेज को वसूल करने के बारे में पता नहीं इसमें वह क्या पढ़े हैं, वही सुझाव उन्होंने दिया था कि उसी तरह से वह भी वसूल होने चाहिए। उनको शायद मालूम नहीं कि पिछली ही बार लैंड रेवेन्यू की तरह से बिजली के चार्जेज को वसूल करने का एक बिल पास किया गया था और उसके द्वारा अब जितना भी एरियर होता है वह ऐज लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाता है। वह पड़ा नहीं रहता है। लेकिन विधान में एक कमी जो थी कि ३० दिन के अन्दर जो वसूल करती थीं कम्पनियां, उन्हें वह ३० दिन के बाद गवर्नमेंट ट्रेजरी में भेजते थे। बहुत सी कम्पनियां और भी देर कर दिया करती थीं। अब उस पर सूद रख दिया गया है। जिस तरह से व्यापार में बिजनेस में व्यापारी लोग सूद की व्यवस्था रखते हैं उसी तरह से इसमें भी सूद की व्यवस्था रख दी गई है जिससे कि कोई कम्पनी डिले न करे और प्राम्पटली, जल्दी से वह रुपया जमा कर दे। इस वजह से सूद का भी प्राविजन कर दिया गया है। सूद लगाने का मतलब यह नहीं है कि वसूल नहीं किया जायगा। अगर एरियर के रूप में हो गया तो वसूली के नियमों के अनुसार वसूली की कार्यवाही भी की जायगी। जितनी भी देर होगी उतनी देर के लिए सूद के साथ वसूली उनसे की जायगी।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उपयुक्त विधेयक है और इसे हम सब लोगों को बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ पास करना चाहिए। यह हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए एक बहुत ही जरूरी और सुन्दर कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे सदन के सभी सदस्य इसका स्वागत करेंगे, हमारे विरोधी भाई विरोधी होने के नाते केवल विरोध न करेंगे बल्कि इस नाते उन्हें विरोध करना चाहिए कि इसमें और अच्छाइयां लायें। अगर किसी भाई को ऐसा प्रतीत होता हो कि कोई उद्योग छूट गया है, जो कि इन चार वर्गों के अन्दर नहीं आता है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन तमाम उद्योगों को वह उसमें जोड़ दें जिनमें कि बिजली की आवश्यकता पड़ती है। माननीय मंत्री महोदय बहुत ही विचारवान् और उदार हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस चीज के महत्व को जरूर समझेंगे और कोई भी ऐसा कांस्ट्रक्टिव सुझाव जो आप देंगे उसको वह अवश्य मान लेने की चेष्टा करेंगे। अगर आज उसे मानना सम्भव नहीं होगा तो फिर किसी न किसी रूप में लाकर उसको कानून का रूप अवश्य देंगे।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा बिल जो बिजली के बारे में पेश किया गया है मैं समझता हूं कि इससे होने वाली क्षति का प्रदेश के किसी एक हिस्से या किसी जिले विशेष पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से इस हाउस में हर सवाल पर कभी कुछ, कभी कुछ, कभी किसी तरह कभी किसी तरह क्षेत्रीय फीलिंग पैदा करने की कोशिश की जाती है, यह एक कमजोरी है। मैं उसकी तरफ आपके जरिये सदन का ध्यान दिलाता हुआ यह अर्ज करना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि इस विधेयक में तीन बातें हैं। जब से यह अध्यादेश जारी किया गया उसके बाद से मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि बहुत से लोग जो ट्यूबवेल लगाना चाहते थे या दूसरे और कोई छोटे-मोटे उद्योग-धंधे खोल कर औद्योगिक प्रगति और उत्पादन में कुछ हाथ बटाना चाहते थे उन लोगों को आज कल बड़ी मुसीबत से बिजली मिल पाती है। मैं समझता हूं कि जब बिजली का उत्पादन कम था उस वक्त उन्हें आसानी से बिजली मिल जाती थी और अब जब बहुत ज्यादा ढोल पीटा गया है सरकार की तरफ से कि बिजली का उत्पादन बहुत बढ़ेगा और बढ़ता जाता है और प्रति वर्ष उसके बजट में कुछ न कुछ वृद्धि होती जाती है तो हम यह देखते हैं कि आज उन लोगों को बहुत मुश्किल से अपने छोटे-मोटे उद्योगों के लिये बिजली मिल पाती है। इसका कारण सिर्फ यह है कि एक तरफ तो इस अध्यादेश के जरिये से यह वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई कि जिन लोगों से बिजली के दाम वसूल नहीं किये जा सके या जिन लोगों से बिजली के दाम ज्यादा वसूल हो गये उनको मुक्ति दिलाने के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके ऊपर आज बहस है। उसका नतीजा यह है कि आज जो भी कोई छोटा उद्योग चालू करके उत्पादन में हाथ बटाना चाहता है उसको बिजली मिलने में बहुत मुश्किल हो गई है। यह माननीय मंत्री जी को सोचना है और सरकार को सोचना है कि आज बिजली का न मिल सकना चाहे वह घरेलू उद्योग-धंधों के लिये हो और चाहे कृषि विकास के लिए ट्यूबवेल में हो या अन्य किसी प्रकार के औद्योगिक विकास के लिये हो, बड़ा कठिन हो गया है। यहां तक कि जिनको सैंक्शन हो चुकी थी उनका भी कैंसिल हो जाना इस आने वाले कानून के पहले ही और उसका इस अध्यादेश से कोई सरोकार था या नहीं इसके मुताल्लिक, मुझे आशा है, माननीय मंत्री जी जरूर उत्तर देंगे क्योंकि यह एक समस्या है। यदि उनका उद्देश्य यह है कि बिजली सस्ती करके और बिजली के दाम सीमित क्षेत्र में कम करके और समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यदि उन लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो बिजली से उत्पादन करके आज प्रगति करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा आभास होता है कि जिन लोगों को बिजली प्राप्त हो चुकी थी और जिनके लिये स्वीकृति हो चुकी थी तो उनके लिये कैंसिल करने का क्या अभिप्राय था।

इस कानून के पहले ही उनके लिये ऐसा क्यों किया गया? यह बात एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि १५, १६ व्यक्तियों ने दो जिलों के, मुझसे कही। मुझे करने के लिये इस प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है यदि औद्योगिक विकास के लिये और लोगों में इन्सेन्टिव पैदा बिजली का प्रयोग हो। लोगों को कुछ सहूलियत पैदा करना चाहते हैं तो जरूर पैदा करें हमें इस बात से आपत्ति नहीं है, परन्तु यह पता नहीं चलता कि काम किस उद्देश्य के साथ शुरू किया जाता है और जब प्रयोग शुरू होता है उस कानून के ऊपर तो उसका अमल में उलटा नतीजा निकालता है। आज बिजली के दामों में छूट देने की बात करते हैं। संकटग्रस्त उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये, लेकिन इस कानून के बनने के पहले ही लोगों को बिजली मिलने में कठिनाई हो गई। इसी प्रकार से कानून पर अमल होता है। एक सूची इसमें बहुत लम्बी दी गई है। उसमें यह बात साफ कही गई है कि इन उद्योग-धंधों के बारे में सरकार समय-समय पर यह फैसला लेती रहेगी कि किसको किस प्रकार की कितनी मात्रा में सहूलियत दी जाय। मैं समझता हूं कि खेती के विकास के लिये कच्चे या पक्के माल के उत्पादन के लिये भी इसमें कुछ होता। इस सूची को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि इसमें बहुत विचार नहीं किया गया है। एक मशीन बनाने वाली मशीन है और एक कच्चा माल बनाने वाली मशीन है। मशीन को पैदा करने वाली मशीन, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, वह मशीन को पैदा करने वाली मशीन है जो उद्योग-धंधों का विकास करेगी। उनको सहूलियत देने की बात अनुसूची में प्रकट होती है लेकिन ऐसी भी मशीन है जो केवल अपने संचालन के लिये, कच्चे उत्पादन के लिये चलती है और वह सर्वसाधारण जनता निम्न स्तर पर ऐसी ही मशीनों का प्रयोग कर सकती है। जहां तक मशीनें पैदा करने वाली मशीनों का ताल्लुक है वह आम तौर पर बड़ी पूंजी द्वारा चालित

[आचार्य दीपंकर]

होती है और हमारे त्रिपाठी जी इस बात से कतई परेशान न हों। अगर आम जनता का और संपन्न लोगों का सदन में प्रश्न उठता है, तो वह कोई परेशान होने की बात नहीं है। उन्होंने और यहां सभी ने आम जनता को उठाने की प्रतिज्ञा की है। मैं यह नहीं चाहता कि बड़े स्तर पर उद्योग चलाये न जायं या उनका समाज से बहिष्कार हो जाय, लेकिन गरीब जनता पर उनको प्रश्रय देना मैं घातक समझता हूं।

इसी तरह से कच्चे माल का उत्पादन करने के लिये जो मशीनें चलती हैं और उनमें जो बिजली का प्रयोग होता है उनके लिये भी छूट दी जा सकती है। इस तरह का प्राविजन इस विधेयक में होना चाहिये था और मैं समझता हूं कि पूर्व या पश्चिम के देहातों में जो कच्चे माल का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं वह बहुत ज्यादा हैं और आम जनता उनको चला पाती है और उनको भी आवश्यकता के अनुसार पहले तो बिजली मिलनी चाहिये और फिर उसमें छूट भी मिल सके, ऐसा संशोधन मैं इसमें चाहता हूं।

इसी के साथ साथ खांडसारी का उद्योग, जो कि हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा उद्योग है और जिसमें प्रदेश के ७, ८ लाख आदमी लगे हैं, शरीर द्वारा चालित मशीनों से चलता है। उनके अंदर एक भावना पैदा होती जा रही है कि छोटे पैमाने पर वह बिजली का प्रयोग उस उद्योग में करें और अगर उनको जरूरत हो तो उनको सस्ती बिजली देने की व्यवस्था, उसकी गुंजायश इस विधेयक में होनी चाहिये थी। इसका उल्लेख इसमें कहीं नहीं है।

मैं इन शब्दों के साथ अधिक न कह कर यह कहना चाहता हूं कि अगर यह बात आती है कि मन में ईमानदारी है या बेईमानी, और इसके साथ मनों को टटोलने की बात आती है तो वह बात अमल में साफ जाहिर हो जाती है। आज सरकार के कानूनों के जरिये सर्वसाधारण जनता को सहूलियत नहीं मिल पाती और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वह कानूनों से और ऐसे कानूनों से भी कि जो उनके खिलाफ बनाये जाते हैं, फायदा उठा लेते हैं। यही शब्द मैं इस विधेयक के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उदयशंकर दुबे (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपना मत प्रकट करने की आज्ञा प्रदान की। साधारण तौर पर इस विधेयक को पढ़ने के बाद इसका समर्थन करने को जी चाहता है, परन्तु जब इसके उद्देश्य और कारणों की ओर देखता हूं तो एक हिचक सी पैदा होती है। बिजली का उत्पादन किसी भी देश के लिये, समाज के लिये आज के दिन एक बड़ी ही उपयोगी वस्तु है। उसके बिना आज के वातावरण में उद्योग को बढ़ाना प्रायः असंभव सा लगता है और उद्योग के बढ़ने पर ही इस प्रान्त की जो विशेष रूप से संतिहर प्रदेश है, तरक्की भी निर्भर है। अगर हम खेती से कुछ लोगों को निकाल कर उद्योग-धंधों में नहीं लगाते हैं या खेती को उद्योग-धंधों की आमदनी से सप्लीमेंट नहीं करते हैं और इस पालिसी को अमल में नहीं लाते हैं तो इस प्रदेश के लोगों की गरीबी का दूर होना कठिन मालूम पड़ता है। तो जहां तक इस विधेयक की भाषा का सम्बन्ध है वहां तक तो किसी भी समझदार आदमी को उससे विरोध होने की बात नहीं हो सकती। लेकिन बिजली के काम को या इस बिजली के मुहकमें की वर्किंग अगर हम देखें तो उस समय हमें कहना पड़ेगा कि इसमें बड़ी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है और इस चीज को देखते हुए मैं इसकी वर्किंग को थोड़ा एग्जामिन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस चीज को देखे।

असल में जितनी हमारी समस्या दूभर होती जाती हैं उतनी ही हमको सतर्कता उस ओर विशेष बरतनी चाहिये। हमारा प्रदेश इस समय अन्न के उत्पादन के लिये बहुत ही चिंतित है। हम अपनी तमाम योजनाओं के बावजूद भी अपने प्रदेश के लोगों को भरपूर खाना दे सकने में अभी तक असमर्थ हैं। हमें बाहर से अनाज मंगाकर के सस्ते गल्ले की दूकानें खोल करके किसी प्रकार लोगों को कायम रखना पड़ता है। कब तक हम इस हालत में रह सकेंगे, कहा नहीं जा सकता।

ऐसी सूरत में बिजली को किधर ज्यादा देने का झुकाव होना चाहिये इस चीज पर भी हमें गौर करना है ।

हम आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं बिजली पर हुये खर्चे पर । १९४८ तक इस प्रदेश में बिजली पर लगभग ४ करोड़ रुपया खर्च हुआ और १९४८ के बाद सन् १९५८ तक इस प्रदेश में लगभग ५० करोड़ रुपया बिजली पर खर्चा हुआ और उत्पादन जो ४ करोड़ से हुआ उससे लगभग १० प्रतिशत बिजली इस ५० करोड़ में और बढ़ी । तो क्या चीजों की कीमत साढ़े बारह गुना ज्यादा बढ़ गई इन पिछले १० वर्षों के भीतर, यह चीज देखने की है और मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय जरा इस दृष्टि से इस विभाग की वर्किंग को देखें । आखिर हम जो पैसा खर्च करते हैं उसका उपयोग ठीक तौर से होता है या नहीं । क्या हम केवल देश की तरक्की के नाम पर पैसा लेते रहेंगे और फिर निश्चिन्त हो जायेंगे कि जिन लोगों को यह काम करना है वह लोग मनमाने ढंग से जिस तरह से जो हिसाब हमारे सामने रख देंगे उसको हम कबूल कर लेंगे । आप बिजली के आंकड़ों को ही देखें । गंगा ग्रिड से जो बिजली ट्यूबवेल को दी जाती है उसका सारा हिसाब लगाने के बाद वह करीब १५८ रुपया प्रति किलोवाट पड़ती है । शारदा ग्रिड में लगभग १७६ रुपया प्रति किलोवाट पड़ती है और रिहन्द बांध से जो बिजली पूर्वी हिस्से में मिलने वाली थी वहां भाव ४०० रुपये प्रति किलोवाट से ऊपर पड़ता है । और इसके बाद रिहन्द बांध से जो बिजली मिलनी थी, कहा जाता है कि एक लाख ३ हजार किलोवाट बिजली वहां से पैदा होगी उसमें से कुछ तो मध्य प्रदेश को चली जायगी, कुछ रेलवे को देनी है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं ५० हजार किलोवाट बिजली बिरला को एल्यूमुनियम फैक्टरी के लिये दी जायगी ।

इस सम्बन्ध में कहा गया कि वर्ल्ड बैंक से जो रुपया मिला था उसमें यह शर्त थी कि कुछ बिजली उद्योगों के लिये देनी होगी । यह ठीक है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें यह भी शर्त थी कि उद्योगपतियों को किस रेट पर बिजली दी जायगी । मुख्य मंत्री ने बतलाया कि उनको १५० रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से देना तय हुआ है । अगर आप साधारण केलकुलेशन से हिसाब लगायें तो मूल धन पर ४ परसेंट का सूद होता है और १.५ परसेंट डेप्री-सिएशन का होना चाहिये । यह मिलाकर वहां पर लगभग २.१५ करोड़ रुपया होता है प्रति वर्ष । इसी रेट पर अगर हम हिसाब लगायें तो २१५ रुपये प्रति किलोवाट से कम किसी तरह से बिजली का दाम नहीं होना चाहिये । यह दाम उसके मेन्टीनेन्स और २ परसेन्ट का प्राफिट छोड़ के निकलता है ।

इसके अतिरिक्त मेरे कानों में जो खबरें आई हैं मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री उस पर प्रकाश डालें । कहा यह जाता है कि रिहन्द बांध की बिजली का जो दाम वहां के इंजीनियरों ने लगाया वह १६३ रुपये प्रति किलोवाट पड़ता है और सेन्ट्रल वाटर ऐन्ड पावर कमीशन के चीफ इंजीनियर ने जो हिसाब लगाया वह १७३ रुपये प्रति किलोवाट आता है । लेकिन पता नहीं हमारे मुख्य मंत्री जी को १४८ रुपये की फीगर किसने दे दी, मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करें । मुझे खुशी होगी कि मैंने जो बात कही वह गलत साबित हों और मुख्य मंत्री जी की बात सही साबित हों । तो जब एक तरफ उद्योगपतियों को इन भावों पर बिजली दी जायगी तो दूसरी तरफ जो छोटे उद्योग-धन्धे हैं उनको जिस भाव पर बिजली दी जायगी उसकी तरफ भी हम देखें कि उनका रेट क्या होगा । इस तरह तो बिरला को अल्म्यूनियम फैक्टरी एक प्रेजेन्ट होगी । एक तरफ तो उद्योगपतियों को सस्ते भावों पर बिजली मिले और खेती के कामों में, इस्तेमाल की जाने वाली बिजली, या छोटे उद्योगों में दी जाने वाली बिजली अधिक भाव पर मिले यह तो हमारे सारे उद्देश्य को ही धक्का पहुंचाता है । आज के समाजवादी समाज में, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो कि जो छोटा उद्योग चलाता हो, जो अपनी गरीबी को मिटाने के लिये कोई सप्लीमेन्टरी बिजनेस करना चाहता हो उसे तो वह बिजली मिले जो ज्यादा रेट की हो और बड़े उद्योगपतियों को जिनके पास पूंजी है उनको हम सस्ती बिजली छोटे लोगों के खर्चे पर दें, तो यह कुछ अच्छी नीति नहीं होगी । इन परिस्थितियों में क्या यह उचित नहीं होगा कि हम एक हाई लेविल कमेटी बिठावें जो यह देखें कि बिजली के पैदा करने

[श्री उदय शंकर दुबे]

और वितरण करने में कोई विशेष तब्दीली की जरूरत है या नहीं । पैदा करने के साधन जब तक छोटे लोगों के हाथ में नहीं आते तब तक कोई काम नहीं चल सकता । अभी-अभी मेरे मित्र रामलक्षण जी तिवारी ने कहा कि इसमें छोटे उद्योगपतियों के लिये भी व्यवस्था है । मुझे बड़ी खुशी हुई । विधेयक में तो इसकी गुंजाइश है लेकिन जो अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने जारी किया था, उसमें इन बड़े उद्योगपतियों को ड्यूटी का रुपया छोड़ देने की बात थी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि उद्योग की यह नीति कहां तक ठीक है ।

आपको रुपया छोड़ना है तो उनको छोड़िये जिनकी कमर कर के बोझ से झुकी है । यों तो सभी आदमी रियायत चाहते हैं, बड़े भी और छोटे भी । मगर सरकार देखे कि किन पीठों पर बोझ लादा जा सकता है और किन पीठों से हलका करने की जरूरत है । इस दृष्टिकोण से देखने पर मुझे तो कुछ गलती मालूम पड़ती है । मैं समझता हूं, कारण कुछ भी हों, हमारा झुकाव जाने या अनजाने उन्हीं लोगों की ओर जाता है जिनके पास धन है । जिन्हें वाकई इमदाद की जरूरत है उनके लिये हम उतनी इमदाद नहीं पहुंचा पाते और हमारी इमदाद का ज्यादा हिस्सा वे लोग पा जाते हैं जिनको हमारा उद्देश्य उतनी इमदाद पहुंचाने का नहीं होता जितनी कि गरीब लोगों को । इस कसौटी पर कसने से हमारी बात जरा खरी नहीं उतरती है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस लाइट में अपनी सारी मशीनरी को ठीक करे और देखे कि एक एक पैसा जो जनता से सरकार को मिलता है, चाहे वह कर की शक्ल में हो या कर्ज की शक्ल में हो, उसका उपयोग उसी तरह से होना चाहिये जिससे गरीब वर्ग आगे उठ सके और हमारी पालिसी का ढांचा ऐसा होना चाहिये जिससे समाजवादी समाज बनाने के लिये ऐसा उतार-चढ़ाव हो कि जो अधिक नीचे हैं वे ऊपर को आवें और जो बहुत ऊंचे हैं वे नीचे को आवें और एक ऐसे स्तर पर दोनों आ जावें कि गरीब और अमीर के स्तर में साधारण सा फर्क रह जाय । जिस विभाग के काम को हम हाथ में उठायें, उसके लिये कानून बनायें, जब तक उसमें हम इस तारतम्य को नहीं रखेंगे तब तक उसका नतीजा यही होना है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि बड़ी जबरदस्त शिकायत आम जनता में इस चीज की है कि पावर का ज्यादा हिस्सा उन लोगों को नहीं मिलता है जो उसके सही चाहने वाले हैं, उनके रास्ते में दिक्कतें पड़ती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--यह पावर कुछ है ही ऐसी चीज । (हंसी)

श्री उदयशंकर दुबे--आपने ठीक ही कहा कि यह पावर ऐसी ही चीज है परन्तु जो पावर इस तरह से पकड़े हुये हैं वे पावर की नकेल इस तरह से घुमायें कि उससे लोगों का अहित न हो सके और लोगों को इस तरह की शिकायत न हो सके । एक आवाज आई कि कोई शिकायत नहीं है । मुझे अफसोस है कि मैं उनकी राय से सहमत नहीं हो सकता । सिवाय इसके मुझे और कुछ कहना नहीं है कि जो कानून हो वह इस दृष्टिकोण से हो कि यह छूट छोटे इंडस्ट्रियल कन्सर्न्स को दी जाय लेकिन अध्यादेश में जिस क्वार्टर को छूट देने की बात कही गई है, वह ठीक क्वार्टर नहीं है । छूट छोटे-छोटे उद्योगों को, खेती के कामों को, खेतिहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिये दी जानी चाहिये । आशा है मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों को ध्यान में रखेंगे ।

श्री पुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, देवरिया के माननीय सदस्य ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मुझे आप आज्ञा दें कि सरकार के द्वारा लाये गये विधेयक के आबजेक्टस एन्ड रीजन्स की कुछ लाइन पढ़ कर सुना दूं :--

"It was considered expedient to give a fillip to the industries in the State by removing the burden of Electricity Duty on them. It was, therefore, decided that with effect from April 1, 1959, the industrial consumers of electricity should be exempted from the charge of electricity duty."

श्रीमन्, इनके कहने, भावना और नियत में इख्तलाफ मालूम पड़ता है । माननीय सदस्य बलिया ने अपने भाषण में फरमाया कि उनको इस बात का बड़ा ताज्जुब और आश्चर्य हुआ था कि वे लोग जो लेनिन और मार्क्स को पढ़कर कोट करते हैं वे लोग इस प्रकार के औद्योगिक विकास या इन प्रकार की इंडस्ट्रीज में बाधक हैं यानी रुकावट डालते हैं । मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ । सोशलिस्ट पार्टी पर यह लान्छन कि वे पढ़ कर इस कार्य में रुकावट डालते हैं । श्रीमन्, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार की सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का यही उदाहरण और प्रदर्शन है कि बड़ी और छोटी इंडस्ट्रीज में इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो ? हम लोग तो लेनिन और मार्क्स को पढ़कर कोट करते हैं और इस कार्य में बाधक बनते हैं लेकिन वे लोग जो अपने को पद दलितों के नेता बनने का दावा करते हैं और उनको ऊपर उठाना ही उनका लक्ष्य बताते हैं क्या वे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को पसन्द करते हैं कि एक आटा मिल जो हजारों बोरे गेहूं पीसता है उसको तो यह कंसेशन मिले और जो १० बोरी पीसता है उसको यह कंसेशन न मिले ? बलिया के माननीय सदस्य फरमा रहे थे और बस्ती के माननीय सदस्य ने भी जो फरमाया वह बिलकुल सही है कि हममें से ज्यादा लोग खेतिहर हैं । लेकिन श्रीमन्, मुलाहजा फरमायें कि लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर के औजार बनाने वालों को तो यह छूट हो लेकिन गांव का एक गरीब लोहार जो अपने यहां कोई खराद का काम करता है या कोई दूसरा काम ऐसा ही करता है उसे यह छूट न मिले । श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूं कि हम लोग जो मकेनाइज्ड फार्म वाले हैं किसी लोहार के यहां कोई औजार बनवाने जाते हैं तो हमको उनके लिये ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और वे लोहार हम लोगों पर ताने कसते हैं और कहते हैं कि आपकी सरकारने उन बड़े लोहारों को जो कारखाने चलाते हैं उनको तो छूट दे रखी है लेकिन हम गरीबों के लिये यह छूट नहीं है । तो यह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है ।

दूसरी चीज मैं इनके अटर इनकम्पिटेंस के बारे में अर्ज चाहता हूं । बजट के मौके पर माननीय मंत्री महोदय ने खुद फरमाया था कि हम इस प्रकार का कंसेशन लागू करेंगे, रेमिटेंस देंगे लेकिन जब तक असेम्बली सेशन में रही तब तक तो वे कोई बिल इसके लिये नहीं लाये बाद में इसके लिये उनको आर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ी कि हम इतनी छूट पिछले अप्रैल से देंगे । जुलाई में आर्डिनेंस लाये, बजट जब पास हुआ उसके बाद बिल नहीं लाये और अब छूट जुलाई में नहीं लागू करेंगे बल्कि अप्रैल से लागू करेंगे । इसकी वजह यह है कि उनको तो सन् ६२ में उन्हीं से पैसे लेने हैं, फिर उनको क्यों न इस तरह की छूट दी जाय ? परमात्मा की दया से आप तो यहां पर २८५ बैठे हुये हैं फिर क्यों नहीं इस तरह की छूट के लिये असेम्बली में बिल लाये । अगर आप छूट ही देना चाहते हैं तो इसमें कोई रुकावट तो है नहीं लेकिन इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये । जुलाई में आर्डिनेंस लाकर आप अप्रैल से छूट दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि इन बड़े भाइयों को दो-चार महीने बाद ही छूट मिलती तो उसमें क्या बात थी ? आप विधेयक यहां लाते और उसे पास कराते, फिर उनको छूट देते । श्रीमन्, एक तरफ तो अधिकतम जोत उन्मूलन के सम्बन्ध में आज सुबह सवाल आया तो उसको १५ अगस्त से लागू करने की बात हुई लेकिन यहां पर जो बड़े भाइयों का फायदा देने वाले हैं उसके लिये आप उसे अप्रैल से छूट दे रहे हैं । क्या यही आपकी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का नमूना है ? एक तरफ तो कुछ कहा जाय और दूसरी तरफ उसकी शक्ल बदल कर दूसरी बात कही जाती है । तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि बलिया के माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि औद्योगिक विकास कैसे हो, उसकी प्रगति कैसे हो और उद्योग कैसे पनपे । प्रश्न यह है कि कौन उद्योग पनपें, बड़ी इंडस्ट्री पनपे ? कानपुर वाली इंडस्ट्री पनपे ? बड़ी-बड़ी मशीनें, बड़े-बड़े पेपर मिल्स पनपें ? लेकिन जो छोटे आदमी जो काटेज इंडस्ट्री वगैरह में लग सकते हैं और अपने साथ ४ भाइयों का पेट पाल सकते हैं उनका भी खयाल करना चाहिये उन को भी फैज पहुंचना चाहिये ।

श्रीमन्, इस विषय में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास जिस प्रकार कि हमारे माननीय सदस्य तथा हमारे काबिल मंत्रिगण ने करने का प्रयत्न किया है उसके बजाय अगर वह वास्तव में विकास करना चाहते हैं तो वह उसके लिये एक इस तरह का बिल लायें जो कि उन आदमियों को लाभ पहुंचा सके जो हमारे खेतिहर मजदूर और किसान हैं, ऐसे विकास में

[श्री सुरथबहादुरशाह]

तो हम उन का साथ देंगे लेकिन ऐसे विकास में कि जिसमें छोटे आदमियों के नाम पर बड़े आदमियों को फैज पहुंचे तो वह एक कैमोफलाज और गड़बड़ की हालत होगी। अभी तो यहां हमारी तादाद का हिसाब १४४ और २८५ का है लेकिन शायद हमारी बातें सुनकर आगे एलेक्टोरेट ज्यादा काबिल हो जायं, यह अभी तो आगे के लिये एक विशफुल थिंकिंग है, मुमकिन है आगे जनता हमारे साथ ज्यादा हो। फिर भी अगर उनकी कोई नियत है तो उसको वह जाहिर करे, छिपाने की क्या बात है? अगर किसी को उन्हें वाकई में लाभ पहुंचाना है तो उसे जाहिर करें, वह बहुमत में हैं वह कह सकते हैं किसी का इजारा है हम एक को लाभ पहुंचाते हैं, एक का पेट भरते हैं, हम सेठ जी का पेट भरेंगे। आज खेतिहर मजदूर की और हमारे यहां की काटेज इंडस्ट्री की जो दशा है वह जगत विख्यात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देवरिया के माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

(श्री प्रतापसिंह का नाम पुकारा गया।)

एक सदस्य—श्रीमन्, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अभी श्री प्रतापसिंह बोलेंगे।

श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज जो बिल हमारे सामने विचार के लिये है यदि यह अमरीका की सीनेट या जापान की डाइट में कोई माननीय मंत्री वहां के लाते तो मुझे कोई ताज्जुब न होता। उनके यहां हमारे यहां से कई गुना बिजली पैदा होती है। हमारे प्रदेश में जो बुन्देलखंड, पूर्वी या पर्वतीय इलाके हैं जहां पर रोज भुखमरी, सस्ते अनाज और बाढ़ आदि पर हमें पैसा खर्च करना पड़ता है वहां आज प्रश्न यह नहीं है कि हम उद्योगपतियों को कोई छूट दे रहे हैं परन्तु प्रश्न यह है कि हमारे पास पर्याप्त धन है भी या नहीं। यह आज नियोजन का युग है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है। हर चीज के लिये पैसे की जरूरत है और जब कि हम हर चीज के लिये प्रायरटी के सिद्धान्त को सामने रखते हैं ऐसे समय में जब यह बिल माननीय गिरधारी लाल जी द्वारा लाया गया है तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि शायद वह भी हृदय से नहीं चाहते होंगे कि पूंजीपतियों को इस के द्वारा कोई छूट दी जाय। मुझे यह कहते हुये भी जरा दुख होता है कि माननीय मंत्री जी अपने कमजोर केस को प्लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूंजीपतियों को इसलिये छूट देते हैं ताकि हमारे यहां उद्योग धन्धे बढ़ें। यह ड्यूटी कब लगी? सन् ५२ में किस प्रकार यह चीज आई? पहले सन् १९१० के एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट से हम गवर्न होते थे, उस के बाद सन् ४८ में एक बिल आया और फिर सन् ५२ में इसी सदन से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट पास कराया गया।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि १९५२ से आज तक कोई भी कारखाना, कोई भी इंडस्ट्री इसलिये कमजोर हुई, इसलिये समाप्त हुई, कि उसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट नहीं दी गई। हां उसके सामने एक लाजीकल दलील देना अलग बात है और फैक्ट्स और फिगर्स देना दूसरी बात है। मैं उन आंकड़ों को जानना चाहूंगा। १ अप्रैल से आप छूट देना चाहते हैं। क्या वर्ल्ड बैंक से आप कोई कमिटल कर चुके हैं? श्रीमन, मैं चाहता हूं कि इस बात पर प्रकाश डाला जाय कि १९५२ से आज तक कितने ऐसे उद्योग धंधे हैं जो इस बात के लिये बन्द कर दिये गये कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं दे सके। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि माननीय सदस्य जो बलिया से आते हैं खुशी भी इस बात की है कि उन्होंने भी बुढ़ापे में जवानी के शब्दों में कहा उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक वर्ग को सैटिसफाई करना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा उनसे, माननीय मंत्री जी से और उस तरफ के बैठने वाले सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का नारा लगाते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हम हर वर्ग को अलग-अलग बांट कर संतोष देना चाहते

हैं । मैं समझता हूं कि यह उनकी पालिसी के खिलाफ है । अगर वह ठंडे दिल से यह बात सोचें तो उनको पता लग जायगा कि यह बात उनको नहीं कहनी चाहिये थी ।

श्रीमन्, मुझे खुशी होती अगर ट्रेजरी बेंच से यह आंकड़े आते कि हमारे देश में कितनी बिजली हम पैदा करते हैं और उसके अनुसार वर्गीकरण करें । लेकिन वह नहीं बताया गया । इसलिये विरोधी दल के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मैं आपके द्वारा वह फिगर्स दे दूं । मान्यवर, आपकी इजाजत से मैं यह कोटेशन पढ़ दूं :—

"Considering its vast area and population India has a considerable leeway to make up in the sphere of power generation. The annual per capita generation of electricity in India is only 30 kWh. Norway 6503 kwh., Canada 4890 kWh., U. K. 1573 kWh., Japan 715 kWh. and Turkey 69 kWh."

तो सबसे कम श्रीमन् टर्की में है और उससे भी कम हमारे मुल्क में है । यकीनन आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में एक हजार किलोवाट से ज्यादा नहीं है । जब इतनी कम बिजली हम पैदा करते है तो हमारी समझ में नहीं आता कि हमको फिर से पावर हाउस बनाने पड़ेंगे बिजली पैदा करनी पड़ेगी जो यह नारा लगाते है कि उद्योगपतियों को इसलिये छूट दे रहे हैं कि उद्योग पनपें । मैं समझता हूं कि यह विधेयक उद्योगपतियों की तिजोरी भरने वाला है और उनको खुश करने वाला है । पहले आर्डिनेन्स में एक लिस्ट दी गई वह भी अब गायब है । इससे मुझे एतराज नहीं है लेकिन मुझे शक है । कल सरकार अगर लिस्ट के बाहर देना चाहती तो नहीं दे सकती थी । विरोधी दल वाले आब्जेक्शन कर सकते थे । सरकार ने इसलिये उसे नहीं रखा ताकि सब सरकार की मरसी पर रहें जिससे खुश हो उसे दें । इसलिये मैं बलिया के माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह उसे पढ़ें । जो डेफिनीशन बताते हैं वह कंफ्यूजिंग है । जो आर्डिनेन्स में लिस्ट रखी गई थी उसे भी रखा जाय ।

श्री रामलक्षण तिवारी—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं वह पूंजीपतियों के घर में इस्तेमाल की जाती हैं या ....

श्री प्रताप सिंह—सुनाई नहीं पड़ा । जो सवाल आपने किया माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात का नारा लगाया जाता है कि हम उद्योगपतियों को इसलिये छूट दे रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन मान्यवर, अगर पहली लिस्ट के मुताबिक ही काम करेगी सरकार जो लिस्ट कि अब नहीं दी गई है तो आप देखेंगे कि रोलर फ्लोर मिल को कंसेशन मिलेगा और लोग जो बिजली से चक्की चलाना चाहते हैं उनके लिये इससे कोई लाभ नहीं है । बड़ी-बड़ी फ्लोर मिल्स को तो छूट मिलेगी लेकिन छोटों को नहीं ।

हमारा देश खेतिहर देश है यहां खेती के औजारों की जरूरत पड़ती है । तो जो आदमी कारखाने से औजार बनायेगा उसको तो बिजली में छूट दी जायेगी लेकिन वह आदमी जो देहात में झोपड़ी में रहता है और सदा से अपने हाथ से औजार बनाता आया है वह अगर बिजली द्वारा उन औजारों को छोटे पैमाने पर बनाना चाहे तो उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है इस विधेयक से ।

रिहैन्ड की जो बिजली है वह एक व्यक्ति विशेष के लिये जा रही है । अल्मुनियम के कारखाने में कुल बिजली रिहैन्ड की जायगी । ६०,००० किलोवाट बिजली उस कारखाने को दी जायेगी । १,०३,००० किलोवाट में से जो रिहैन्ड की फार्मिंग पावर है और वह भी किस रेट पर ? १५० रुपये पर किलोवाट पर ईयर । पूरे चार्जेज वर्क आउट करके बिजली की लागत निकलती है २१५ रुपये पर किलोवाट पर ईयर । तो उस कारखाने को १५० रुपये पर किलोवाट के हिसाब से दी जायगी । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण इतनी बिजली भी दी जायगी और सस्ते दाम पर ? क्या मैं कह सकता हूं कि रिहैन्ड डैम किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये है या छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये ? मैं इसका उत्तर सदन पर और मंत्री जी पर छोड़ना चाहता हूं ।

[श्री प्रतापसिंह]

दूसरी चीज यह है कि हमारे यहां ग्रिड्स बन रहे हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं दूसरे देशों में अलग अलग ग्रिड नहीं है कामन ग्रिड हैं वे लिंक होते हैं एक दूसरे से जिससे पावर का इकोनोमिक यूज होता है । तो क्या कारण है कि हमारे यहां गंगा ग्रिड, सारदा ग्रिड, रिहैन्ड प्रोजेक्ट और केसा को मिलाकर एक ग्रिड क्यों नहीं बनाया गया ? १९४५ में पोस्ट वार प्लान्स की तरफ अगर देखें तो उसमें भी फार्मेशन आफ आल इंडिया ग्रिड का जिक्र है । यह उस समय की प्लान है जब देश में विदेशियों की हुकूमत थी । उस समय देश के औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक समझा गया कि आल इंडिया टाइप का एक ग्रिड बनाया जाय । क्यों ? इसलिये कि किसी वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये नहीं था । मुझे मंत्री जी की नियत पर शक नहीं है । लेकिन क्या किया जाय, एक कहावत है काली कोठरी में कोई भी जाय कुछ न कुछ काला उसको भी लग जाता है । तो यही हाल मंत्री जी का है और वे मजबूर हैं सरकार के केस को प्लीड करने के लिये ।

दूसरे केन्द्रीय वाटर एंड पावर कमीशन ने भी यही कहा था कि रिहन्द डैम व कानपुर के इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक कर दो तो उससे १ हजार किलोवाट बिजली ज्यादा पैदा होगी । तो फिर उसको क्यों नहीं मिलाया गया इसका जवाब कृपा करके माननीय मंत्री जी देंगे । सन् ४८ में इस बात को सोचा गया कि सारे देश के लिये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बने सन् ५१ में हमारे प्रदेश में यह तय किया गया कि सारे देश में जितने ग्रिड्स हैं उनको मिला कर एक कर दिया जाय लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि क्यों नहीं एक ग्रिड बनाया गया ?

तीसरे मुझे यह कहना है कि रिहन्द डैम का जो प्लान था, ६ टरबाइन्स का था लेकिन आज केवल ५ टरबाइन्स काम कर रहे हैं और सरकार का प्रोपोजल है कि एक प्रोजेक्ट और बनाया जाय । तो ऐसा क्यों है ? जब प्लान बनता है और उस पर खर्चा आता है तो उसे सुधारा जाय और हमें उस प्लान पर स्टिक रहना चाहिये ।

एक चीज और विचाराधीन है । वह यह कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बिजली कहां से सप्लाई होगी । डीजल प्लान्ट से होगी और उसका खर्चा होगा ८०० रुपये किलोवाट पर ईयर । तो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज इस प्रकार कैसे चल सकेंगी ? प्रथम पंचवर्षीय योजना लीजिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना लीजिये प्रधान मंत्री जी का भाषण लीजिये या मुख्य मंत्री जी का भाषण लीजिये या पावर मिनिस्टर का भाषण लीजिये उनमें यही कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान है । एग्रिकल्चर एकनामी हमारी इनफ्लेट कर रही है और एग्रिकल्चर पर ज्यादा ध्यान दिया जाय । बार-बार बजट भाषणों में और प्लानिंग में यह कहा गया कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं देंगे तो हम अपने प्रदेश की इकोनामी को ठीक नहीं कर सकते तो यह विधेयक किस मानी में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देता है । स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये जो दूसरा प्लान्ट बनाने की बात सोची जा रही है तो यह नाजायाज खर्चा करना होगा और एक्सचेकर पर ज्यादा भार होगा ।

मैं अधिक न कहते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रान्त व देश में इस बात की आवश्यकता है कि जब कोई नया कानून या विधेयक बनायें तो जरा सोच समझ कर बनायें । प्रिन्सिपल व पेरिटी को ध्यान में रखें । रस्किन ने जो कहा था वह आज उत्तर प्रदेश के लिये लागू होता है । उसने कहा था "This is not time for luxury and comforts when people are ill clad and ill fed". पूंजीपतियों पर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट देना लग्जरी को बढ़ाना है । जो जीवन की आवश्यकतायें हैं उनको सरकार को पूरा करना चाहिये । किसान कहता है कि उसके गन्ने का रुपया उसे वापस करो, विद्यार्थी कहता है कि अपना वादा पूरा करो--१० वीं क्लास तक फ़ीस माफ करो ।

किसान पर २ रुपया बकाया रह जाता है तो लैन्ड रेवेन्यू मैनुअल काम में लाई जाती है। उसके बैल कुर्क हो जाते हैं, रस्सी से वह बांध दिया जाता है लेकिन मिल मालिकों पर १९ लाख रुपये बकाया रहते हैं, पालीभीत के किसानों का सेस का रुपया बकाया रह जाता है उसके लिये ऐक्ट पास हो गया लेकिन उस मिल मालिक के खिलाफ लैन्ड रेवेन्यू मैनुअल का इस्तेमाल नहीं होता है और वह रुपया आज तक वसूल नहीं हुआ है। तो मैं कैसे समझूं कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। उल्टे पूंजीपतियों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर से छूट दी गयी। मंत्रिगण जानते हैं कि आपस में लोग उनसे नाराज हैं, किसान उनसे नाराज हैं, एजुकेटेड व अनएम्प्लायड लोग उनसे नाराज हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इन सम्मानित सदन के माननीय सदस्य होने के नाते उन्हीं लोगों के प्रति है जो खाना मांग रहे हैं जो नंगे व भूखे हैं। हमारे प्रान्त में सीमा पर भोटियों के व्यापार पर तिब्बत ने टैक्स लगा दिया। उनकी मदद करने की जरूरत है न कि डालमिया व बिरला की मदद करने की जरूरत है। हां, अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी जो सरकार का नारा है उसी के खिलाफ यह सरकार हो तो इस विधेयक का लाना ठीक है और अगर उस पर कायम है तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक अनुचित है और समयानुकूल नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इतना अवश्य है कि माननीय मंत्री जी शायद यह कहें कि ६ हफ्ते के अन्दर इसे पास करना है तो मैं यह कहता हूं कि १५ दिन के बजाय ५ दिन के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे दें।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

एक सदस्य--अभी टीकाराम जी बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--किसी को कोई विरोध नहीं है।

श्री सुरथबहादुरशाह--श्रीमन्, अभी पौने दो घंटे बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष--इस कारण विरोध नहीं किया जाता कि समय काफी है। देखना यह है कि आपके पास काम क्या है।

श्री सुरथबहादुरशाह--विरोध का कारण यह है कि क्लोजर मूव होने के बाद मंत्री जी ने कहा था कि वे केवल १५-२० मिनट ही लेंगे और उसके बाद जो अमेंडमेन्ट्स आयेंगे उन पर इतनी स्पीचेज की सम्भावना नहीं है। अब अगर क्लोजर लाते हैं तो एक तरह से गैग करना होगा। यही मुझको आपत्ति है और इसी कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मुन्शी टीकाराम के भाषण के बाद मैं इस प्रश्न को लूंगा।

***श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)--उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो मैंने पढ़ा तो इसमें दो पन्ने लगे हुये हैं। एक पन्ने में तो कहा है कि लिस्ट को हटा दिया गया है और उद्देश्य में यह चीज आयी है कि यह विधेयक इसलिये लाये हैं कि उद्योगों को बिजली कर से मुक्त कर दिया जाय। लिस्ट से पता चलता था कि किन-किन को मुक्त करेंगे और किन-किन से लेंगे लेकिन लिस्ट हटा देने से एक भ्रम हो जायगा। दूसरे सूद की शरह बढ़ा कर साढ़े १२ प्रतिशत तो ग्राहकों के लिये कर रही है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को मुक्त कर रही है। तो दो नयी चीजें आ रही हैं एक तो सूद बढ़ा और दूसरे मुक्त किये जा रहे हैं। मुक्त तो बड़े बड़े आदमी किये जा रहे हैं और सूद बढ़ रहा है छोटे-छोटे बिजली के उपभोक्ताओं पर। तो इस तरह से यह सरकार अपने तर्जे अमल को बरत रही है। इसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम]

हुकूमत ने १२ मई को एक आर्डर निकाल दिया खेती के लिये ट्यूबवेल लगाने के लिये आगे ५ साल तक बिजली का कोई कनेक्शन नहीं दिया जायगा । बहुत सी दरख्वास्तें सालों से पड़ी हुई हैं। उनके लिये तो ५ साल के लिये कनेक्शन रोक दिये गये मगर कारखानेदारों को दे रहे हैं। गंगा नहर की बिजली १५४ रुपये किलोवाट के हिसाब से तैयार होती है, शारदा-सागर की १७८ रुपये, गंगा की दूसरी नहर की १५३ रुपये के हिसाब से और रिहन्द बांध की इससे ज्यादा क़ीमत पर तैयार होती है लेकिन बिड़ला साहब को दी जायगी १५० रुपये किलोवाट के हिसाब से और छोटे-छोटे कामों के लिये ज्यादा तेज भाव पर दी जायगी। जनता के काम में कितनी बिजली आती है और कारखानेदार कितनी बिजली खर्च करते हैं इसके आंकड़े मेरे पास सन ५५, ५६ और ५७ के हैं। सन ५५ में ६५,१६,६५,००० यूनिट बिजली तैयार हुई जिसमें से उद्योग में २६,४८,८२,००० यूनिट और अन्य प्रयोजनों में २४,७२,००,००० यूनिट बिजली काम में आयी। और यहां पर आये कि १९५७ में कुल उत्पत्ति ७२,०३,६६,००० और औद्योगिक शक्ति के रूप में ३१,६५,१९,००० और अन्य प्रयोजनों में २६,५८,९७,०००। तो श्रीमन, यह अन्य प्रयोजन क्या हैं? इसकी तफसील दी है कि "सिंचाई एवं कृषि, घरेलू कार्यों, सड़क की बत्तियों, वाणिज्य के सम्बन्ध में की जाने वाली रोशनियां, बिजली से चलने वाले छोटे व्यवसाय, सार्वजनिक जलकलों और मलवाहक नालियों के पम्प करने में खर्च हुई बिजली शामिल है।" जनता को बिजली दी जा रही है उसमें और मालदार लोगों के कारखानों के लिये बिजली दी जा रही है उसमें २६ करोड़ और ३१ करोड़ का तनासुब है यानी जनता को २६ करोड़ और मालदार लोगों को ३१ करोड़ बिजली दी गई। उद्योगपतियों को ज्यादा बिजली दी गई और कर माफ़ किया गया तथा जनता को कम बिजली दी गई और साढ़े बारह प्रतिशत सूद लेंगे। यह हमारी सरकार का न्याय है।

श्रीमन, कहा यह जा रहा है कि हम मालदारों को बिजली इसलिये दे रहे हैं जिससे हमारे यहां उत्पादन बढ़े। अब सोचने की बात यह है कि मालदारों के माल का उत्पादन बढ़ेगा तो वह कहां जायगा और किस क़ीमत पर बिकेगा? जो मालदार माल बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हम लोगों के ऊपर पड़ता है। देखिये कच्चे माल की क़ीमत, ढुलाई की क़ीमत, सफाई की क़ीमत मजदूरों की मजदूरी, मिल मालिकों का मुनाफा, सेल्स टैक्स और होलसेलर्स तथा दुकानदार के मुनाफे के बाद हमारे दरवाजे पर ढाई गुने दाम पर वह चीज पहुंचती है। यही शकर का हाल है। गन्ने की सिंचाई के लिये पहले २२ पाई की दर थी अब ३० पाई हो गई। इसी तरह से गेहूं के लिये १५ पाई थी जो अब २२ पाई कर दी गई यानी जो फसलें खाद्य उत्पादन की थीं उन पर भी बिजली के दाम बढ़ गये और मालदार लोगों को टैक्स से माफी दी जा रही है। यह हमारी सरकार की इनायत है, मेहरबानी है। एक तरफ ढिंढोरा पीटते हैं कि खाद्य उत्पादन बढ़ाओ और दूसरी तरफ बिजली के दाम बढ़ा देते हैं। जैसा उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं उसकी यह शक्ल पैदा कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि यह सरकार किस की बनाई हुई है वह आज उनको भूल गये हैं जिनका वोट लेकर वह यहां आये थे। उनके ऊपर साढ़े बारह प्रतिशत सूद लगा रहे हैं और जिन्होंने आप को जेलखाने भिजवाया और हम लोगों को पीटा उनको माफी दी जा रही है। हमें सोचना और समझना चाहिये कि हम क्या करने जा रहे हैं? अगर इसी तरह से आपको देश का उत्थान करना है तो यह उत्थान पतन की ओर जा रहा है। मैं श्री गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि फेहरिस्त इसमें जरूर लगा दी जाय ताकि पता चल सके और हमें बाहर कहने का मौक़ा मिले और हम आपकी सब बातों को रख सकें।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है और जो माननीय गेंदासिंह और चन्द्रजीत यादव जी ने तथा और बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव और उसके समर्थन में निवेदन किया है, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

कहा गया कि इसमें फेहरिस्त बढ़ा दी जाय, पंद्रह दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाय, या तीन सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। जब ये प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तो मैं यह समझता था कि कोई ऐसी बात कही जायगी जिससे सरकार उस पर पूरे तौर से विचार करेगी लेकिन केवल विरोध के नाम पर इस प्रकार का प्रस्ताव करना और यह न बताना कि आखिर क्यों इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं, समझ में नहीं आया। इस विधेयक के सम्बन्ध में उधर के बैठने वालों को बहुत सी गलतफहमियां हो गयीं। यह कहा गया कि पहले जो ३८ इंडस्ट्रीज की लिस्ट थी उसको इसीलिए उड़ा दिया गया कि उससे पूंजीपतियों का लाभ होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। कहीं एलेवशन की बात, कहीं वादे की और दावतों की चर्चा की गयी। जो लोग समाजवादी सिद्धांत की दुहाई देते हैं कम से कम उनको यह बातें शोभा नहीं देतीं।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है। यहां पर उद्योग बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे बेरोजगारी दूर हो। पिछले चार-पांच वर्षों में इस बात की बराबर मांग आती रही कि यदि यहां का उद्योगीकरण करना है, यदि यहां पर छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाना है तो सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी घटाये। पूंजीपति इसमें कहां से आ गये? जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है और पूंजीपतियों की बात कही गयी तो हमारे यहां एक प्राइवेट सेक्टर है। यदि पूंजीपति भी किसी तरह से इस देश की गरीबी को दूर करने के लिये यहां पर उत्पादन करता है, यहां की जरूरियात की चीजों को पूरा करने का प्रयत्न करता है तो मैं यह नहीं समझ सका कि उसको इसका अवसर क्यों न दिया जाय। इसमें किस तरह से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करके उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया गया? माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि जहां पर एलेक्ट्रिसिटी खर्च की जाती है तो चाहे छोटा उद्योगपति हो या बड़ा उद्योगपति, जो भी उसके चार्जेज आते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिये एक पूंजीपति कपड़ा बुनता है अगर उसने एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दी है तो जो कीमत लगेगी कपड़े की, जो प्रोडक्शन पर उसके खर्चा होगा, वह किससे वसूल किया जायगा? उसे अमीर गरीब सभी लोग पहनेंगे। क्या यह उन्हीं लोगों से वसूल नहीं किया जायगा जो कि उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर यह एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ नहीं की जाती तो गरीब किसान मजदूर जो उन सामानों को इस्तेमाल करते हैं क्या यह बोझ उन पर नहीं पड़ेगा? यह तो नीति रही है, अर्थ शास्त्र का सिद्धान्त हमेशा से चला आया है कि जो व्यक्ति पूंजी लगा कर अपना उत्पादन करते हैं जो भी उसके अन्दर चार्जेज इत्यादि लगते हैं वह उस कन्ज्यूमर से और उस व्यक्ति से जो उसको इस्तेमाल करते हैं उससे हमेशा चार्ज कर लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया जहां तक एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ की गई है वह किसी उद्योगपति की तिजोरियों को भरने के लिये नहीं है, किसी तरह से उसको प्रोत्साहन देने के लिये नहीं है, बड़े-बड़े मिल मालिकों के फायदे के लिये नहीं है बल्कि जो गरीब और छोटे-छोटे आदमी हैं, जो देहातों में रहते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए है। बहुत सी बातें कही गईं। यह कहा गया कि इसमें तो कोई छोटे उद्योग की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि पहली अप्रैल से पहले कहीं दावत खा रहे होंगे और कहीं वादा कर गये होंगे। कितनी तुच्छ बात है। इस तरीके से नीयत की बात करना, नीयत पर हमेशा हमला करना यह थोड़ा सा मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि शोभा नहीं देता।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय किया कि हम छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए और देश के उद्योग को बढ़ाने के लिए गरीबी को दूर करने के लिए, अनइम्प्लायमेंट, बेकारी को दूर करने के लिये, सरकार समझती है कि ड्यूटी से एग्जम्पशन दे। लिहाजा

[श्री धर्मसिंह]

बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मन्त्री ने इस बात की घोषणा की और उसी के आधार पर यहां पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को माफ किया गया। तो चारों तरफ से इस तरह से पूंजीपतियों के नाम पर दुहाई देना और हाहाकार मचाना और इस तरह से बातें करना कि जमीन आसमान कहीं की चीज न छोड़ना, इस तरह से जो लांछन लगाए गए, यह मैं निवेदन करूंगा कि कुछ शोभा नहीं देता। इस तरह की बातें कहीं गईं जिनसे कि इस तमाम विधेयक से कोई अभिप्राय नहीं था। यह कहा गया कि यह तो पूंजीपतियों की सरकार बन बैठी है। मैं नहीं जानता कि इन लोगों में से जिनको कि जनता ने चुनकर भेजा है कितने इनमें पूंजीपति हैं और कितने पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देते हैं? तो इस तरह से इधर-उधर की बातें करना कोई शोभा नहीं देता।

जहां तक ग्रिड का सम्बन्ध है, अभी प्रतापसिंह जी ने कहा कि तमाम हिन्दुस्तान का एक ग्रिड होना चाहिए। तो अपने-अपने सूबे में अलग-अलग बिजली पैदा होती है। जहां तक उत्तर प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध है इसमें चार ग्रिड हैं, यह ठीक है। शारदा ग्रिड है, गंगा ग्रिड है, ईस्टर्न पावर प्रोजेक्ट जिसमें मऊ, सोहावल, गोरखपुर आदि आते हैं वह है और चौथा हमारा रिहैंड का एरिया है। पांचवां कानपुर का एरिया है। जहां तक शारदा ग्रिड का सवाल है वह दोनों लिंक्ड हैं। आज भी शारदा सागर की बिजली जो शारदा सागर के जिले हैं वहां पर इस्तेमाल न होकर मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर, मेरठ आदि जो ग्रिड एरिया के जिले कहलाते हैं वहां पर इस्तेमाल होती है। तो जहां तक शारदा और ग्रिड एरिया का ताल्लुक है वह लिंक्ड है। इसके साथ-साथ ईस्टर्न पावर प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं कि इस बात के लिए सरकार पूरे तौर से विचार कर रही है कि उसको रिहैंड से जोड़ दिया जाय और ईस्टर्न पावर प्रोजेक्ट और रिहैंड इत्यादि को इस तरह से कानपुर से जोड़ दिया जाय। इस तरह से तमाम सवालात सरकार के विचाराधीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक एतराज किया गया बिजली के सम्बन्ध में कि जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है केवल यह उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है तमाम भारतवर्ष में कि जहां पर सबसे कम बिजली पैदा की गई और सब से ज्यादा ऊंचे रेट हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सन् १९४७ के समय से आज के समय का मुकाबला करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है वह दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बिजली के पैदा करने में किसी तरीके से पीछे नहीं है।

जहां तक रेंट का सम्बन्ध है उसके लिये भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है एक दो सूबों से रेट अधिक हों। उसके बहुत से कारण हैं क्योंकि यहां पर रेट बढ़ जाते हैं और उसके कारण कीमत ज्यादा आ जाती है। माननीय प्रतापसिंह जी ने इंगलैण्ड की मिसाल दी और नौरवे की मिसाल दी और दूसरे मुल्कों की मिसाल दी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक बिजली उत्पादन करने का सम्बन्ध है आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में आखिरकार क्यों हम सस्ती बिजली देते हैं। वहां पर एक लिमिटेड एरिया है। पावर वहां पर इस्तेमाल होती है। पूर्वी जिलों में भी इसी तरीके से हमको हजारों मील लम्बी लाइन बनानी होती है। ट्यूबवेल के लिये लाइन खींचनी पड़ती है चाहे वह इकोनामिकल हो या नहीं। उसमें ज्यादा खर्च होता है।

हमारा उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा प्रदेश है, यहां की आबादी भी बहुत बड़ी है और यहां पर जो लाइन खींचनी पड़ती है, जिसको छोटी-छोटी लाइन कहते हैं, जहां पर हमको सब-स्टेशन बनाने होते हैं, वहां पर एक मील में १०, १२ हजार रुपया औसतन खर्चा आता है। जहां पर पावर स्टेशन हैं, जो बड़ी पावर के होते हैं, उनके लिये लाइन ले जाते हैं। उसमें १ लाख या इससे कुछ अधिक पैसा खर्च होता है। जो हमने नैनीताल के जिले में बिजली पैदा की और उसको अगर हम सहारनपुर और मेरठ तक ले गये तो उसका खर्चा पूरे तरीके से इस प्रकार बढ़ेगा ही। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। इसलिये मैंने निवेदन किया कि जहां तक

सन् १९४७ की बात है, अगर आज के समय से उसका मुकाबला किया जाय तो बहुत अन्तर दिखाई देगा। आप यह देखें कि सन् १९५३ में यदि हम लाइट और फैन के लिये कनेक्शन मांगने की कोशिश करते थे तो उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता था। एक बत्ती के लिये रोशनी नहीं मिलती थी।

उत्तर प्रदेश में सन् १९५४-५५ के पहले से प्रोजेक्ट बने हुए थे। यहां पर काफी तादाद में बिजली पैदा की गई। इसी कारण ग्रिड और शारदा के एरिया में भी पैदा की गई। यदि आप मेरठ जिले में जाने की कोशिश करें और पश्चिमी जिलों में जाने की कोशिश करें तो देखेंगे कि वहां पर बहुत सी फैक्टरियां लगीं जिनको बिजली दी गई। १० एच० पी० और १५ एच० पी० तक की पावर को डिकंट्रोल कर दिया गया। यदि वहां पर बिजली न होती तो यह कहां से दी जाती और डिकंट्रोल की जाती। एक बत्ती के लिये सन् ४७ में हमको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था और उसके लिये मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता था। जो आदमी बीमार है उसको ही मिलती थी। अब हमारे यहां १० और १५ हार्स पावर की बिजली को डिकंट्रोल कर दिया गया। यदि पश्चिमी जिलों में जाकर देखा जाय तो वहां पर एक एक जिले में बहुत बड़ी तादाद में ट्यूबवेल बनाये गये हैं। बहुत से छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को कनेक्शन दिये गये।

ईस्टर्न पावर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिहन्ड की बुहाई दी गई। वहां पर आज भी बिजली है। जो उद्योगपति या उद्योग-धंधे वाले यदि बिजली ईस्टर्न पावर प्रोजेक्ट एरिया में मांगते हैं तो सरकार के पास दे देने के लिये वहां पर बिजली है। लिहाजा इस बात को कहना कि सरकार बिकी हुई है और उसने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सही नहीं है। जहां तक रिहन्द का सम्बन्ध है मुझे इसमें अधिक बात नहीं कहनी है। यहां पर सदन में समय-समय पर मुख्य मंत्री जी द्वारा बतलाया जाता रहा है कि क्यों हमने बिजली दी, क्या कारण थे, क्या आवश्यकता थी और उन आवश्यकताओं को हम किस प्रकार से पूरा करेंगे, किस तरह से हम देहातों को छोटे छोटे उद्योगों के लिये और ट्यूबवेलों के लिये बिजली देंगे, आदि-आदि। तो उनके कहने के बाद मुझे उसे दोहराना आवश्यक नहीं मालूम होता कि मैं उसी बहस में पड़ूं और सदन का समय लूं।

इसके अलावा १० हार्स पावर के कनेक्शन के बारे में यहां जिक्र किया गया। डिकंट्रोल किया गया था छोटे-छोटे उद्योगों के लिये और एग्रीकल्चरल परपजेज के लिये। जिन लोगों को बिल्कुल बिजली नहीं मिलती थी उन्होंने एक-एक घर से पांच-पांच प्रार्थना-पत्र बिजली के लिये दे दिये और उस समय ऐसा हो गया था कि जिसने प्रार्थना-पत्र दे दिया उसको बिजली मिल जाती थी। इसलिये विभाग ने उसकी स्क्रूटनी की, लेकिन उसके बाद भी कितने ही हजार कनेक्शन्स ऐसे हो गये। तो निर्णय यह किया गया है कि हम थोड़े समय के लिये कनेक्शन्स को रोक रहे हैं और जिन लोगों ने अपनी सीक्योरिटी जमा कर दी है हम पहले उनको बिजली देंगे और सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिनको हमने बिजली सैंक्शन की है उनको भी दी जाय। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति ने ५, ६ साल पहले प्रार्थना-पत्र दिया, उसको बिजली सैंक्शन हो गयी, विभाग ने पत्र-व्यवहार किया कि आप बिजली लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कनेक्शन बेकार पड़ा रहा। ५ साल तक तो सरकार के पास क्या चारा रह जाता है। क्या वह स्क्रूटनी करे कि जिस व्यक्ति को ५ साल पहले कनेक्शन मंजूर हुआ था उसने बिजली ली या नहीं। लेकिन फिर भी सरकार उस बात पर विचार कर रही है कि जिनको हमने कमिटमेंट किया है और जिन्होंने जमानत का रुपया जमा कर दिया है हम उनको बिजली दें।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें से सूची उड़ा दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह अध्यादेश सदन के सम्मुख प्रस्तुत था तो उस वक्त यह बात प्रतीत होती थी कि आज जो इंडस्ट्री है कल को वह समाप्त हो सकती है और जो इंडस्ट्री आज नहीं है, कल वह खड़ी हो सकती है। उस अध्यादेश द्वारा सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार लिया था कि वह उसे

[श्री धर्मसिंह]

इस लिस्ट में जोड़ दें और बाद में उसकी इत्तला दे दें। तो उससे भी गड़बड़ी होने की बात थी। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सरकार ने पूंजीपतियों से बात कर ली है और इसलिये वह इस प्रकार की कोई लिस्ट प्रस्तुत नहीं करना चाहती है और इसमें बड़े-बड़े पूंजीपति और इंडस्ट्रीयलिस्ट आ जायंगे। अगर माननीय सदस्यों ने देखा होगा तो इसमें लिखा है कि जो भी इंडस्ट्री, जिसमें वस्तुओं का निर्माण होगा, उत्पादन होगा, विधायन होगा या मरम्मत इत्यादि का कार्य होगा, वह इंडस्ट्री की डफिनीशन में होगी। कौन सा गुनाह इसमें किया है। इसमें सब तरह की इंडस्ट्रीज आ जाती है चाहे वह एक लाख की कीमत की हों अथवा छोटी।

कुछ जिक्र किया गया अध्यादेश का। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अध्यादेश का सम्बन्ध है मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। सरकार की ओर से उसका पूरी तरीके से उत्तर दे दिया गया था कि किन कारणों से अध्यादेश लाया गया। इस बात पर कि पूंजीपतियों में रोष था, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोष का प्रश्न नहीं था। वह तो जो उद्योग-धंधे करते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े उनसे अभिप्राय था। किसी के रोष के कारण यह ड्यूटी नहीं हटी। बहुत से लोगों ने कहा कि ट्यूबवेल को बिजली नहीं मिलती, तो यह तो सरकार की नीति है कि पश्चिमी एरिया, शारदा और ग्रिड एरिया में और जिसे ईस्टर्न पावर प्रोजेक्ट कहते हैं उसमें जो भी व्यक्ति ट्यूबवेल लगाता है और लाइन का खर्चा बरदाश्त करता है उसको पूरे तरीके से बिजली दी जाती है और दी गयी है और यदि हम अपने पुराने ऐक्ट को देखें तो जो एग्रिकल्चर परपजेज की चीजें थीं वह एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से पहले से भी एग्जेम्प्ट थीं। तो यह कहना कि सिंचाई के साधनों में गड़बड़ी कर दी है और ट्यूबवेल बिना बिजली के पड़े हुए हैं, हो सकता है कि लाइन खींचने में टाइम लगता है, ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं है, बिजली के तार और खंभों की कमी है, उसमें थोड़ा सा समय लग जाय, लेकिन यह अभिप्राय नहीं है कि जो सरकार के द्वारा ट्यूबवेल इत्यादि बनाये जाते हैं उसमें हम कोई देरी करते हैं तो बिजली की कमी हो। अगर किन्हीं कारणों से अधिक खर्चा होता है उस ट्यूबवेल को एलेक्ट्रिफाई करने के लिए तो ऐट दि स्पाट डीजेल इत्यादि से कर देते हैं।

एक बात कही गयी सूद की, साढ़े बारह फीसदी का सूद जो लिया जायगा। अब तक ऐसा होता था कि जो कम्पनियां हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, कुछ सप्लाई कम्पनीज हैं वह कनज्यूमर्स से अपने चार्जेज ले लिया करती थीं और कई कई महीने तक सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी सरकारी खजानों में पैसा जमा नहीं करती थीं। तो जो समय निर्धारित है, जैसा कि इस विधेयक में भी प्रस्तुत किया गया है, अगर समय पर कम्पनियां पैसा जमा नहीं करती हैं तो क्योंकि वह सरकारी पैसा है वह तब तक साढ़े बारह फीसदी सूद देंगी जब तक वह सरकार में पैसा जमा न कर दें। यह पहले उनके पास में रहा आता था और चाहे वह उसे सूद पर उठाते थे या और किसी काम में इस्तेमाल करते थे तो यह कह दिया गया कि सरकार सूद लेती है और विधेयक में जो प्रस्तुत है उसको सोचने-समझने की कोशिश नहीं की गयी।

माननीय शाह जी ने कहा कि जहां तक इंडस्ट्रीज का सम्बन्ध है इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। छोटे उद्योग-धंधे और बड़े उद्योग-धंधे, इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते। हां, एक हलवाई है और वह मिठाई बनाता है तो एक तरफ की मिठाई पर ड्यूटी ले लें और दूसरी पर न लें तो यह डिस्क्रिमिनेशन है। यह नहीं है कि छोटे के हैं बड़े के हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यह अभिप्राय नहीं है।

इसी तरह से एक और माननीय एम० एल० ए० बदायूं के आते हैं, उन्होंने कहा कि पहले जो कंज्यूमर बिजली लेता है उससे भी चार्जेज ले लिये जाते हैं, दूसरा जो लेता है आगे ले जाने के लिए उससे भी ले लिये जाते हैं और तीसरे और चौथे भी ले लिये जाते हैं। तो यह प्रश्न विभाग के और सरकार के विचाराधीन है। हम लोग सर्वे इत्यादि करा रहे हैं और पूरे तरीके से इस बात पर सोच रहे हैं कि लाइन इत्यादि जो पहला कंज्यूमर इस्तेमाल करता

है और उसमें दूसरे लेते हैं तो दूसरों से खर्चा न लिया जाय, पहले से ले लिया जाय। मुझे अधिक नहीं कहना है। इधर के बैठने वालों ने उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की तमाम बातों का जवाब दे दिया है। इस तरह की इसमें कोई चीज नहीं है जिसमें तारे या आसमान का सवाल पैदा हो और यह कहा जाय कि आसमान गिरा जा रहा है, पूंजीपतियों के नाम पर दुहाई दी जा रही ह, डिफेमेशन किया जा रहा हो या कोई हंगामा हो रहा हो, ऐसी किसी बात का सम्बन्ध इस विधेयक से नहीं है। इन शब्दों के साथ, माननीय गेंदा सिंह जी ने और श्री यादव जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ को इस सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर प्रस्तुत करे और जिसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट तीन सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे :

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में— उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२ क धारा ३ का संशोधन

(क) खण्ड (ग) के अन्त में आये हुये "कामा" के स्थान पर "सेमी कोलन" रख दिया जाय;

(ख) खण्ड (घ) के अन्त में आये हुये "पूर्ण विराम" के स्थान पर "सेमीकोलन" रख दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "तथा" बढ़ा दिया जाय; और

(ग) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (ङ) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(ङ) किसी उपभोक्ता द्वारा किसी ऐसे उद्योग में जो वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, विधायन (processing) या मरम्मत में संलग्न किसी उद्योग में कोई उपभोक्ता हो।"

श्री मुरलीधर कुरील—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) द्वारा प्रस्तावित नये खंड (ङ) की दूसरी और तीसरी पंक्ति में आने वाले शब्द "किसी उद्योग में कोई उपभोक्ता" निकाल दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा सा संशोधन है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि बिल पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला हो। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) द्वारा प्रस्तावित नये खंड (ङ) की दूसरी और तीसरी पंक्ति में आने वाले शब्द "किसी उद्योग में कोई उपभोक्ता" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के प्रस्तावित उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जावे :

"प्रतिबन्ध यह है कि उद्योग से तात्पर्य केवल उन उद्योगों से है जो लघु कुटीर हों अथवा हस्तचलित यन्त्र (machine) द्वारा उत्पादित हो।"

"प्रतिबन्ध यह भी है कि उद्योग से तात्पर्य उन उद्योगों से है जो एक लाख रुपये के मूलधन से अधिक मूलधन के साथ चालू नहीं किये गये हों।"

श्रीमन्, आप देखें कि खंड २ में चार उपखंड (क), (ख), (ग) और (ङ) रखे गये हैं। उपखंड (ङ) के शब्द इस प्रकार से हैं :

"किसी उपभोक्ता द्वारा किसी ऐसे उद्योग में जो वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, विधायन (processing) या मरम्मत में संलग्न किसी उद्योग में कोई उपभोक्ता हो।"

मैं आपके सामने मूल अधिनियम का खंड ३, जिसमें कि यह संशोधन प्रस्तावित है, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हिन्दी की प्रति उपलब्ध ही नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में हमारी हमेशा से शिकायत और दिक्कत रही है।

श्री उपाध्यक्ष—आपकी पार्टी को कोई एतराज न हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

(हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी—पार्टी बेचारी इसमें क्या करेगी? आपकी लाइब्रेरी में हिन्दी की कापी है ही नहीं। पार्टी तो चाहती है कि अंग्रेजी की पुस्तक छुई ही न जाय लेकिन आपके यहां हिन्दी की पुस्तक हो तो? यहां तो हिन्दी के साधन ही नहीं हैं।

इसमें दफा ३ में इस प्रकार से लिखा हुआ है—

3. "*Electricity duty on energy supplied to consumers*—There shall be levied for, and paid to the State Government, on the energy consumed by a consumer, a duty (hereinafter referred to as the electricity duty) computed at a rate to be fixed by the State Government from time to time by notification in the official *Gazette* but not exceeding 25 per cent of the rate charged therefor by a licensee, by the Board or Government referred to in sub-clause (2) or (3) of clause (D) of section 2:

Provided, firstly, that the electricity duty shall not be leviable on the energy consumed—

(*a*) by the State Government or the Central Government save in respect of premises used for residential purposes;

(*b*) in the construction, maintenance or operation of any railway by the Central Government or a railway company operating a railway;

(*c*) by or in respect of any mine as defined in the Indian Mines Act, 1923, and

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(*d*) by a cultivator in agricultural operation carried on in or near his fields such as the pumping of water for irrigation, crushing, milling or treating of the produce of those fields or chaff-cutting."

अब इस (डी) के बाद आप एक दूसरा उपखंड जोड़ना चाहते हैं। अभी तक तो आप कहते थे कि राज्य सरकार को लगने वाली बिजली पर ड्यूटी नहीं लगेगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये निर्माण कार्यों पर बिजली की ड्यूटी नहीं लगेगी, रेलवे के कार्यों पर नहीं लगेगी या किसी ऐसे कार्य पर नहीं लगेगी जो कृषि के काम में लगायी गयी हो जो खेत के नजदीक हो, पानी निकालने, सिंचाई करने, कृषि की उपज को कुचलने या उसको रूपान्तर करने के कामों पर काम आने वाली बिजली पर नहीं लगेगी। अब आप पांचवीं चीज यह जोड़ना चाहते हैं—

"(ड) किसी उपभोक्ता द्वारा किसी ऐसे उद्योग में जो वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, विधायन या मरम्मत में संलग्न किसी उद्योग में कोई उपभोक्ता हो।"

अभी हमारे डिप्टी मिनिस्टर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, की तरफ से जो, सफाई दी गयी उसमें यह बताया गया कि हमने प्रत्येक उद्योग को यह छूट देकर बहुत ही न्यायप्रियता दिखायी है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि "किसी उद्योगपति" की बात कह कर बड़े बड़े उद्योगपतियों या धनपतियों को तो छूट नहीं दे दी गयी है जिनके बारे में हमारी शंकायें रहा करती है। यदि वह कहते हैं कि हम तो छोटे-छोटे उद्योगपतियों के ही पक्ष में हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों, जिनका कि मुनाफा पहले ही से कहीं अधिक है, उनके पक्ष में नहीं है, उनके प्रति हमारा समर्थन नहीं है तो मेरे संशोधन से उनका तात्पर्य बिल्कुल साफ हो जायगा, जो इस प्रकार है—

"प्रतिबन्ध यह है कि उद्योग से तात्पर्य केवल उन उद्योगों से है जो लघु कुटीर हों....

इसके द्वारा उद्योगों का विश्लेषण कर दिया गया है कि उन्हीं उद्योगों को दिया जाय जो छोटे हैं और जिनको देना उचित है क्योंकि छूट लघु उद्योगों को ही मिलनी चाहिये। दूसरा प्रतिबन्ध जो रखा गया है वह इसलिये है कि लघु उद्योग के बारे में यही नहीं है कि वह छोटे पैमाने पर ही हो लेकिन आजकल जो आधुनिक आविष्कार हुए हैं, उनके द्वारा यह उद्योग दूसरे रूप में भी चलाये जाते हैं, उन्नतिशील रूप में भी चलाये जाते हैं और उन्हें चलाने के लिये कभी कभी हस्तचालित यन्त्रों का भी उपयोग होता है। इन हस्तचालित यन्त्रों का उपयोग, जैसा कि हम जान पाये हैं, जापान देश में बहुत फैला हुआ है। वहां इन यंत्रों के द्वारा लोग अपने घरों में छोटे-छोटे उद्योगों को बड़ी आसानी के साथ चलाते हैं और अपनी आय में वृद्धि करते हैं जो कि छोटे-छोटे स्थानों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। जैसा कि जापानमें है वैसे ही उद्योग की वृद्धि करने की राय अपने देश में भी बहुत से लोग रखते हैं कि इस प्रकार से यहां उन्नति हो सकती है और होनी चाहिये। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लघु कुटीर उद्योग हस्तचालित यन्त्रों द्वारा हमारे यहां भी चलाये जा सकें जिनमें थोड़ी पूंजी लगे और वे छोटे दायरे में चलाये जा सकें। उनके साथ अवश्य रियायत दी जाय और रियायत जैसा कि इसके (डी में दिया गया है कि कृषि के सम्बन्ध में बिजली दी जायगी तो रियायत होगी, ठीक उसी प्रकार से इन उद्योगों को भी बिजली दी जाय। लेकिन संशोधन लाने का अर्थ यह है कि जो बात हम चाहते हैं, चाहे सरकार भी कहती है कि हम चाहते हैं तो उस चाहने को वह प्रकट कर दें, साफ जाहिर कर दे कि यह बिजली में छूट हम छोटे उद्योगों को देना चाहते हैं, निर्धनों को देना चाहते हैं, ग्राम जनता को देना चाहते हैं या देश की उस संस्था को देना चाहते हैं जो सचमुच में इसके लिये जरूरतमन्द हैं। किन्तु अगर सरकार इतना कहना नहीं चाहती और हमारा संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहती तो प्रत्यक्ष यह कह दे कि हम बिजली सबको और विशेष तौर पर बड़ों को उन छोटों के बहाने देना चाहते हैं जिसके लिये यह बिल लाया गया है।

अब इस सम्बन्ध में शंका की गयी और स्पष्ट शब्दों में विरोधी पक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकार इस उद्देश्य से बिजली को बढ़ाना चाहती है और उद्योगों को बढ़ाना चाहती है कि इससे बड़े-बड़े उद्योगपतियों और धनपतियों का पेट भरे।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

देश में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है? जो देहाती क्षेत्रों में रहते हुए भी बेकार हैं। देहाती क्षेत्रों में तो उद्योग बिल्कुल नहीं के बराबर है। वहां उद्योग जैसी कोई चीज दिखायी नहीं देती है। केवल कृषि ही एक ऐसा उद्योग है जिसके अन्दर हमारे देश के ७५ फीसदी किसान भरे हुए हैं। आज हमें उद्योग बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक उद्योग नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक किसानों को सहायक धन्धा नहीं मिल सकता। इस महत्व से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि इन उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिये। इन उद्योगों को बढ़ाने के लिये जहां कहीं भी बिजली पहुंच सके सरकार को पहुंचानी चाहिये और उसमें अगर छूट दी जायगी तो यह उचित ही कार्य होगा। सरकार के इस कार्य को हम सभी पसन्द करेंगे। लेकिन जब तक इस तरह की शंका है कि सरकार गरीबों की कोई मदद नहीं करना चाहती बल्कि बिजली में छूट देकर कुछ उद्योगपतियों या धनपतियों की ही मदद करना चाहती है तो अन्ततोगत्वा यह हमारे गरीब और निर्धन देश के लिये हानिकारक ही होगा।

आज हमारे देश में जो ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वे संख्या में थोड़े हैं, लेकिन वे मूलधन को इतना फैलाये हुये हैं कि ये जितने उद्योग हैं वे उन तक ही सीमित हैं, उनको वे अपने हाथ में हथियाये हुये हैं और देश की गरीब जनता उनकी कठपुतली है। बल्कि मैं अगर यह कहूं तो आप मुझे माफ करेंगे कि ये सरकार भी कठपुतली है। तो ऐसी हालत में उनके प्रति शंका होना अवश्यम्भावी और उचित है। हम चाहते हैं कि न सरकार किसी की कठपुतली रहे न देश कठपुतली हो। और वे उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ावें लेकिन जिस प्रकार एक साधारण किसान जो एक बीघा जमीन जोतता है तो वह भी लगान से बरी नहीं है, अगर कोई एक बिस्वा जमीन भी सींचता है तो वह आबपाशी से बरी नहीं है, यदि कोई दूकान से २ हजार रुपये महीने की आमदनी करता है तो वह सेल्स टैक्स से बरी नहीं है, यदि कोई एक कदम भी यातायात के साधनों का इस्तेमाल करता है तो वह टैक्स से बरी नहीं है, यदि इस प्रकार का नियम है तो इन उद्योगपतियों के लिये जिनके पास लाभ पर लाभ पहुंच रहा है, उनको रियायत देना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता है।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उनसे सरकार इस रूप में रुपया मांग सकती है कि जिस रूप में वह कहती है कि हम निर्धनों के शरीर से भी कुछ खून अवश्य लेंगे, जब उन में देने की पावर है तो उन के पास यह टैक्स क्यों छोड़ा जाय।

मैंने विशेष रूप से इस धारा में जो संशोधन रखा है उस का आशय यह है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि हम उद्योगों की वृद्धि के पक्ष में हैं या उन के पक्ष में हैं जो छोटे-छोटे उद्योग चलाने वाले हैं और छोटी पूंजी वाले हैं और जो सचमुच सरकार की सहायता के पात्र हैं या वे लोग जो देश का शोषण कर रहे हैं जो देश में तबाही ला रहे हैं और पूंजी को एक जगह जमा कर के सारे देश के पैसे को लेकर अपना पेट भर रहे हैं।

आज हमारे देश में चीजों के दाम इतने अधिक हैं कि कोई भी खुशहाल नहीं है, चाहे किसान हों, मजदूर पेशा हों, सब दुखी हैं, जो खुशहाल भी हैं वे भी अन्न की मंहगाई के कारण पीड़ित हैं और इसका कारण यह है कि हमारे देश की आर्थिक समस्या को अभी तक यह सरकार नहीं सुलझा पाई है और वह स्वयं उसमें उलझी हुई है और उलझती जाती है। हमारे सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही जो औसत आय है वह गिरी है, पिछले साल के मुकाबिले में, जो पहले ५५-५६ में १९२ थी वह अब घटकर १८३ के करीब ही रह गई है। यह सरकार ने खुद अपने आंकड़ों से कबूल किया है। इस तरह से जनता की आय गिरती जाती है और धनपतियों की आय बढ़ती जाती है। तो ऐसी हालत में आवश्यक है कि हम छोटे लोगों की सहायता करें।

हमें विशेष रूप से यह भी कहना है कि सरकार कभी-कभी यह नारा लगाती है कि हम को देश में वृहत् नियोजन करना है और उस के लिये अरबों रुपये की बात हमारे सामने आती है

और उस को सफल बनाने के लिये तरह तरह के टैक्स लगाने के कानून हमारे सामने आते रहते हैं और कहा जाता है कि बिना इन टैक्स के बढ़ाये हमारा नियोजन पूरा नहीं होगा। जब भी सरकार के पास धन की कमी होती है तो सरकार छोटे बड़े सब को टैक्स के चंगुल में फांसती है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम छोटे-छोटे दूकानदारों से भी टैक्स ले रहे हैं, अलाभकर जोतों पर भी टैक्स ले रहे हैं और अगर छूट देते हैं तो करोड़ों का घाटा सरकार को होगा और इस तरह से हम बड़े व्यय को नहीं सम्हाल पावेंगे। हमारे मंत्री जी ने रिट की फीस बढ़ाते हुये कहा था कि हमारे यहां ५० प्रतिशत आदमी ऐसे हैं, जो साधारण आदमी की तरह नहीं खा-पी सकते और निर्धन हैं, अगर हम उन के साथ रियायत करते हैं तो सरकार की सारी आय खत्म हो जायगी और ऐसी हालत में हम उनसे भी रुधिर का टैक्स अवश्य ले लेंगे; यह उनका कथन था। हमारे संशोधन का अर्थ तो यह है कि न्याय किया जाय और कुटीर उद्योगों को भी साथ में पनपने दिया जाय और पूंजीपतियों के साथ रियायत न हो।

इसके बाद इस का दूसरा भाग भी ध्यान देने योग्य है कि "प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लाइसेंसी द्वारा उपभोक्ता से उगाही गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर अदा न की जाय तो लाइसेंसी इस प्रकार अदा न की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर साढ़े १२ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तब तक के ब्याज का देनदार होगा, जब तक कि वह अदा न कर दी जाय।"

लघु और कुटीर उद्योग कौन हों और हस्तचालित यंत्र टाइप कौन हों, तो उनकी इसमें थोड़ी सी व्याख्या की है। लेकिन छोटे-बड़े उद्योगों के लिये एक सीमा मूलधन की भी होनी चाहिये और उसके लिये विशेषतौर से १ लाख रुपये की सीमा रखी है। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि एक लाख रुपये से ऊपर हो, दो, तीन लाख हो; लेकिन इसको निर्धारित करना सरकार के लिये आवश्यक है ताकि लघु उद्योगों तथा वृहद् उद्योगों में विभिन्नता की जा सके। छोटे उद्योगों के पक्ष में मैं हूं जिनको छोटे लोग चलाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जाते हैं उन छोटे उद्योगों का मैं संरक्षण चाहता हूं लेकिन बड़े उद्योगों के पक्ष में मैं नहीं हूं जो एक प्रकार से देश का सारा धन संग्रह करके देश का शोषण कर रहे हैं और अपने हाथ में सारे देश को घुमाते हैं, सरकार को घुमाते हैं।

अब यह सीमा जो मुकर्रर की गयी है मूलधन की, इससे आशा है कि उद्योगों का स्पष्टीकरण हो जायगा। इसलिये मेरा जो संशोधन है उसे अगर इस धारा (ड़) में नहीं जोड़ा जाता है तो यह बड़ा अन्यायकारी साबित होगा और सरकार को बड़ा भारी हथियार इसके जरिये मिल जायगा और सरकार मनमानी करेगी और यह बड़े उद्योगपतियों के लिये सहायक होगा। लेकिन अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार के लिये बाधा उपस्थित होगी और ऐसे ही लोगों को वह सहायता दे सकेगी जिनको सहायता मिलने की आवश्यकता है, जो कि छोटे उद्योग धंधे हैं और छोटी पूंजी द्वारा चलाये गये हैं। इसलिये सदन इस बात की आवश्यकता को महसूस करते हुये मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---जो अमेंडमेंट, अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र ने रखा है उसे मैंने बड़े ध्यान से देखा। उनकी जो मंशा है उसकी मैं तारीफ करता हूं कि सचमुच जो छोटे उद्योग धंधे करने वाले हैं उनको छूट मिले। लेकिन हमारे सामने पूरे प्रान्त की बेकारी का भी प्रश्न है और वह प्रश्न सिर्फ छोटे उद्योगों से ही हल नहीं हो सकता। हमारे प्रान्त के अन्दर हर प्रकार की इंडस्ट्रीज की जरूरत है--बड़ी की भी और छोटी की भी--तभी हम उस बेकारी के मसले को हल कर सकेंगे। हमारे प्रान्त के अन्दर १५--२० लाख की बेकारी की खबर है, इसको देखते हुये छोटी दस्तकारियों के जरिये ही उनको नहीं लगाया जा सकता है, बड़ी दस्तकारियों में भी उन्हें लगाना होगा। इसलिये सभी दस्तकारियों की हमारे प्रदेश में आवश्यकता है और उन सभी को प्रोत्साहन देना होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारी लाल]

पहले यह कहा गया कि साहब डिस्क्रिमिनेशन होता है। बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन जब उसकी सफाई की गयी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके साथ पूरी तरह से छूट है तो अब यह चीज लाई जा रही है कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिये।

यह भी मैं बतला दूं कि इस छूट से करीब ५० लाख रुपये का नुकसान होगा लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे सूबे में हैं उन पर ३ परसेंट का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का पड़ता है और इस प्रकार से हमारे सूबे के अन्दर करीब १०० करोड़ रुपये का टर्नओवर तमाम इंडस्ट्रीज के जरिये हो जाया करता है। जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स व अप्रत्यक्ष रूप से भी सरकार के पास काफी रुपया आता है, तो उसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिये। इस खयाल से मैं माननीय सदस्य के संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो अवस्थी जी ने संशोधन आपके सामने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। मुझे ऐसा विश्वास है कि यदि यह सरकार, कांग्रेस या मंत्री जी इसमें विश्वास करते हैं कि एक समाजवादी समाज का निर्माण हो तो जरूरी है कि प्रतिबंध लगाया जाय। जैसे भूमि के सम्बन्ध में सरकार एक अधिकतम सीमा निर्धारित करने जा रही है उसी प्रकार उद्योगपतियों के ऊपर भी अगर कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती तो आज तक निर्माण के नाम पर इस सरकार ने जो भी काम किया है उससे पूंजीपतियों को ही बढ़ावा मिला है और यह कहा जा सकता है कि यह निर्माण समाजवादी निर्माण नहीं है बल्कि पूंजीवादी निर्माण है। जो भी काम यह सरकार करती है, ऐसा मालूम होता है कि यह पूंजीपतियों की गोद में खेल रही है। बिजली-कर को ही ले लीजिये, उसमें जो लिस्ट थी उसको निकाल दिया जिसकी वजह से अब सरकार को खुल कर खेलने की छूट है, जिससे चाहे उससे ले, जिससे न चाहे उससे न ले। तो निर्माण के नाम पर इस देश को आप तबाह न करें। बार-बार यह सरकार दुहाई देती है कि यह प्रदेश गरीब है, जन-संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन जो उसके पास सीमित साधन हैं उन्हीं में से वह ऐसे लोगों को छूट देती है जिनको कोई जरूरत नहीं है।

अगर सरकार इस संशोधन को मान लेती है तो उसको कठिनाई क्या है? इसका सीधा सादा अर्थ यह है कि गरीब लोग पनपें और आगे बढ़ें। यह सही है कि घरेलू उद्योग धंधे का माल भले ही कम कीमत का हो, अधिक दिन चलने वाला हो मगर वह देखने में ऐसा नहीं होता जिसको गाहक मिल के बनाये हुये माल के मुकाबिले में पसन्द कर ले। इसलिये इस कम्पेटीशन के युग में अगर आप घरेलू उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि मिल की चीजों पर कड़ी ड्यूटी लगाइये। अगर ऐसा करने से बड़े-बड़े उद्योगपति बाजार से हट जाते हैं तो जैसे आपने कोआपरेटिव सोसायटी का नारा लगाया, कोआपरेशन की बेसिस पर यह देश तैयार है काम करने के लिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी प्रदेश में छोटे उद्योग धंधे पनप नहीं सकते।

चीनी के दाम के नियंत्रण के बारे में आपसे बार-बार कहा गया मगर आप नहीं कर पाये। आप कोआपरेटिव सोसायटीज की बात करते हैं मगर जो गन्ना कोआपरेटिव सोसायटीज लाखों, करोड़ों रुपये का गन्ना सप्लाई करती हैं उनको आप चीनी के वितरण का काम क्यों नहीं देते? जिन गन्ना उत्पादकों से यह सरकार करोड़ों रुपये टैक्स लेती है उन्हीं की सोसायटी पर इसको एतबार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिम्मत हो सरकार में तो उनके जरिये बंटवाये तब देखे क्या होता है। लेकिन यह सरकार तो पूंजीपतियों की चेरी है और उनकी गोद में ही खेलना चाहती है। लोहे के, कपड़े के और चीनी के दाम बढ़ते जायेंगे और यह न तो नियंत्रण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे और न कुछ करेंगे और कहेंगे कि हमारे मान का नहीं है। लेकिन उत्पादन के लिये वह बड़े लोगों को जरूर छूट दे देंगे ताकि छोटे लोग कम्पेटीशन में डाउन हो जायं। उधर वह समाजवादी समाज के निर्माण की बात कहते हैं लेकिन इस ढंग से तो यह खाई और भी बढ़ जायगी। आज गरीबी बढ़ती जा रही है और जनता का आपके ऊपर से विश्वास हटता चला जा रहा है। इसलिये सरकार को आज आगे बढ़ना चाहिये और बड़े लोगों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ताकि छोटे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को कबूल कर लें। यह प्रगतिवादी कदम होगा और जनता आपको बधाई देगी और जिसके पास पैसा कम है वह भी कहेंगे कि सरकार ने हमें बढ़ावा दिया है ताकि हम लोग भी मारकेट में टिक सकें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, डिबेट में आज इंटरवीन करने का मेरा इरादा नहीं था लेकिन मामले की अहमियत को देखते हुए खयाल आया, और चन्द दोस्तों ने कहा कि इस संशोधन का समर्थन होना चाहिये इसलिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, जैसा कि अवस्थी जी ने कहा, वह बड़े विद्वान हैं और उनसे कोई बात मेरे कहने के लिये बची नहीं होगी। लेकिन मैं उनकी बातें सुन नहीं पाया। श्रीमन, आशा है कि मुझे माफ करेंगे कि उनकी बात समझ नहीं पाया कि "प्रतिबन्ध यह है कि उद्योग से तात्पर्य केवल उन उद्योगों से है जो लघु कुटीर हों अथवा हस्तचालित यंत्र द्वारा उत्पादित हों।" इस के अतिरिक्त प्रतिबन्ध यह भी है कि "उद्योग से तात्पर्य उन उद्योगों से है जो एक लाख रुपये के मूलधन से अधिक मूलधन के साथ चालू नहीं किये गये हों।" श्रीमन, बड़ा सीधा सादा यह संशोधन है। मंत्री जी ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो मान जायेंगे। आज यहां का टेम्परेचर भी कम है। जिस दिन यह बिल पेश हुआ था उस दिन टेम्परेचर हाई था। लेकिन आज सोचें तो समझ में आ सकता है।

१९५२ में जब बिजली पर २५ परसेंट टैक्स लगाया गया था और उसके हटाने की बात अब की जा रही है तो उस समय यहीं सोच समझकर यह टैक्स लगाया गया होगा। उस समय हम लोगों की तादाद ४० थी और सरकारी पक्ष की तादाद ३९० थी। उनको ज्यादा अक्ल रही होगी और जो उन्होंने किया होगा वह ठीक ही किया होगा, क्योंकि आप लोग अच्छा सोच सकते हैं, आप ज्यादा तजुर्बेकार हैं, ऐसा आपका कहना है। उस जमाने में आप लोग और भी तजुर्बेकार थे। उस समय आर्गूमेंट दिया गया था कि टैक्स इसलिये जरूरी है कि बिना इसके इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ सकती हैं, तो टैक्स बिजली पर लगाया गया। भूतपूर्व मंत्री जी की पुरानी तकरीरों को केवल देखा जाय; बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं उनकी कही हुई बात को ही दिखाना चाहता हूं कि कल आप एक बात कहते थे और उसको सही समझते थे। लेकिन आज कैसे पलट गये जो आज आप कहने लगे कि कल की बात गलत है यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर टैक्स इसलिये नहीं लगाया गया जिससे छोटे लोग कम्पेटीशन में न टिक सकें। मिल जो कपड़ा बनाती हैं उनके कम्पेटीशन में आपके खादी बोर्ड का कपड़ा न चल सका तो सरकार को खादी बोर्ड की मदद करनी पड़ती है, सब्सीडी देनी पड़ती है और ग्रांट देनी पड़ती है ताकि आपका खादी बोर्ड चल सके। हमारे मंत्री जी समाजवादी समाज के ढांचे के कायल हैं, मैं तो नहीं हूं लेकिन यह अर्ज कर दूं कि हमारे मंत्री जी विश्वास करते हैं कि समाजवादी समाज बनायें यानी समाजवाद के जरिये नीचे का तबका ऊपर उठे। अगर आप ऊपर वाले को और उठा देंगे और आपका कोई वैसा इंटेंशन न हो और मान लो कि उनकी बिल्कुल साफ नीयत है यह देखते हुए लेकिन एक आदमी तो इतना ऊंचा चढ़ा हुआ है, बड़ी बड़ी कम्पनियां, और फैक्टरियां रखता है, उस पर भी आप उतना ही टैक्स का बोझ रखते हैं जितना कि उस पर जो कि नीचे है, गरीब है, सिसकता है और मुश्किल से छोटी इंडस्ट्री लगा रहा है; तो लाजिमी है कि छोटी इंडस्ट्री नहीं चल पायेगी पूंजीपति के मुकाबले में। उदाहरण के लिये हिल्स में ऊनी उद्योग है। मिल के मुकाबले में वे नहीं बना पाते और लालइमली के मुकाबले में उनका माल बिकता नहीं,

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

क्योंकि मंहगा पड़ता है। वह कम्पेटीशन में नहीं टिक पाते। अगर आपको अपनी समाजवाद की घोषणा पर यकीन नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आपको उस पर यकीन है तो अपने घोषित सिद्धांतों की बिना पर आप जो कहते हैं कि प्रोलेटेरियेट का राज्य होगा, तो नीचे तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिये मंत्री जी को सोचना होगा कि उनको रिबेट दें, बड़े-बड़े लोगों को जो सुभीता देते हैं उससे उनको ज्यादा सुभीता दें।

नम्बर दो, इस बिल द्वारा जिससे मंत्री जी को पैसा मिलता है, बिड़ला, टाटा, सिंहानिया उनसे टैक्स नहीं लिया, उनको रिबेट दे दिया गया है। रिहंद डैम के बारे में कोई छिपी बात नहीं है। आज जो उधर के बैठने वाले ९८ लोग हैं बड़े गोपनीय तरीके से कहते हैं कि २५ करोड़ का नफा बिड़ला को होगा बिजली देने से। यह उन्होंने कैलकुलेट किया है। यहां खोल कर नहीं कहा लेकिन चुपके से हमको भी बतलाते रहते हैं, बड़े भले आदमी हैं। उन्होंने कैलकुलेट किया है जिन्होंने रकार्ड से देखे हैं कि २५ करोड़ रुपया बिड़ला साहब को इससे फायदा होगा। इस रिहंद डैम की बिजली को बिड़ला को दे दें और जो बचेगी वह साहू जैन के पल्ले बांध दें; यह सब क्या है? कहा यह गया था कि पूर्वी जिले बड़े पिछड़े हुए हैं। रिहं के सिलसिले वाले बजट भाषण में कहा गया था कि १४ पूर्वी जिलों को बिजली मिलेगी, वह केवल कहने की बात रह गयी। बिजली में जो कंसेशन होगा वह बिड़ला या डालमिया, जैन को मिलेगा क्योंकि उनका बैंक बैलेंस देश में ही नहीं बाहर भी है। ऐसे लोगों को आप छूट देते हैं। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि क्या गारंटी है कि आप के इतना छूट देने पर भी वह माल सस्ता करेंगे ताकि कंज्यूमर को सस्ता माल मिले। अनुभव यह कहता है कि जितनी बार टैक्स बढ़ा उतनी बार बनिये ने कीमत बढ़ा ली लेकिन जब सरकार ने टैक्स घटाया तो बनिये ने कीमत नहीं घटायी। ग्राहक से पूरा का पूरा वसूल किया जाता रहा है। बिजली के संबंध में हमारा बजट वैसे ही डेफिसिट चल रहा है। हमको करोड़ों रुपये का घाटा है। जब घाटा है तो 'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चलीं भुनाने' वाली कहावत के आधार पर मंत्री जी कहते हैं कि हम सेठों को खैरात बांटेंगे। लेकिन गरीब को नहीं बांटेंगे। इससे तो गरीब को दाल में नोन के बराबर राहत नहीं मिलगी। उनको राहत मिलेगी जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं। अगर उनको बिजली नहीं देते तो सरकारी पार्टी के ९८ लोगों का झगड़ा नहीं होता। उनका कहना है कि क्यों नहीं रिहन्द डैम का मामला हमारी पार्टी में डिस्कस हुआ, क्यों दो-चार मिनिस्टरों ने पीछे-पीछे तय कर दिया। उनका झगड़ा इस बात का भी है चाहें मंत्री कहें या न कहें। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अपनी पार्टी में मेल रखने के लिये, अपनी बात को भी बनाये रखने के लिये और सन १९६२ को याद करते हुए आप इस बात पर विचार करें। आप तो हर तरह से अपने नफे की बात सोचते हैं लेकिन अब आप इस तरह से न सोचें। अब वे दिन चले गये। जब मौदहा का चुनाव लड़ा तो वहां पर क्य नहीं किया गया और कितना रुपया खर्च नहीं किया? और यहां लखनऊ में भी एक चुनाव में कितना रुपया खर्च किया गया? लेकिन उसका परिणाम आपने देखा। आज वोटर बड़ा चालाक हो गया है। आप कितने भी मिल मालिकों की मदद लें लेकिन तब भी आप पार नहीं पा सकते। अगर आप टैक्स-पेयर को सुखी करेंगे, देहात में चीजें सस्ती करेंगे और वहां पर सस्ती बिजली देंगे तो आप का लाभ हो सकता है। यदि इस प्रकार से आप करेंगे और मेरे सुझाव पर विचार करेंगे तो यह जो अरबनाइजेशन स्पीडिली बढ़ रहा है वह रुकेगा। देहात में इससे काटेज इंडस्ट्री को मदद मिलेगी जब वहां पर बिजली सस्ती होगी। देहात के लोग इससे वहां लाभ उठा सकते हैं जो शहरों के लोग आज उठा रहे हैं। वे अपने यहां पंखा भी इस्तेमाल कर सकेंगे वे रेडियो भी सुन सकेंगे और अपने यहां उद्योग धंधे भी लगा सकेंगे। तो यह जो शहर का आकर्षण है वह देहात में भी लोगों को मिलेगा और इसका परिणाम यह होगा कि शहर की तरफ लोगों का आना कम होगा। आज शहरों में इस तरह के आकर्षण हो गये हैं कि जो हमारे देश के लिये एक प्राब्लेम बन गया है। तमाम

लोग देहात छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। अगर सरकार पूंजीपतियों का खयाल करती है तो यह शहरों को बढ़ाने की बात है। देहात की तरफ सरकार खयाल करेगी तो यह विषमता घटेगी।

मेरा निवेदन यह है कि बिजली को सेठों के लिये ही न पैदा करें। सबके लिये पैदा करें तो आपको ज्यादा टैक्स भी लगाना नहीं पड़ेगा। आप तो केवल सेठों के लिये अपना विचार सीमित रखते हैं और उनके लिये अपनी कृपा करना चाहते हैं। अभी पिछली दफा आपने सिनेमा जाने वालों पर कृपा की। उनके लिये भगवान की नाईं आप नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। जब सिनेमा देखने वाले आपके भक्तों ने पुकार की कि मंत्री जी महाराज हम सिनेमा के देखे बगैर मर रहे हैं तो मंत्री जी रूपी भगवान उनकी पुकार को सुनकर नंगे पैर तुरन्त पहुंचे और कहने लगे ऐ भक्तो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा है। उनकी पुकार को सुनकर मंत्री जी ने उनके इंटरटेनमेंट टैक्स को कम कर दिया। सरकार ने उनके ऊपर कृपा की तो सरकार की थोड़ी आमदनी भी घट गई।

अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सेठों पर ही केवल कृपा न कीजिये क्योंकि आप इसका जवाब अब तक नहीं दे पाये। आपने सन् ५२-५३ में जो बिजली का रेट स्वयं जिस आधार पर बढ़ाया था, तो पहले उस बात का जवाब दीजिये, आप जिस चीज को पहले दिन 'दिन' कहते हैं दूसरे दिन उसी चीज को 'रात' कहते हैं। इस प्रकार से दुनिया में कोई एतबार नहीं कर सकता। आज की दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। कल जिस चीज को आप बुरा कहते थे आज उसको अच्छा कहते हैं। तो उन बातों का आपको खयाल रखना चाहिये। अपने पुराने वायदे को आप याद कीजिये और इस संशोधन को मान लीजिये। यह आपके लिये कल्याणकारी बात होगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैंने विष्ट जी का भाषण सुना। जैसा उनका साधारण भाषण होता है, सरकारी बिलों के खिलाफ, वह वैसा ही था। इसके साथ ही इस संशोधन को भी मैंने देखा। इस प्रदेश में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय अथवा बड़े अथवा दोनों को ही, आज यह प्रश्न सदन के सामने है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ८५ प्रतिशत खेतिहर हैं और हम अपनी योजनाओं में दोनों को रखना चाहते हैं। छोटे उद्योग भी हम बढ़ाना चाहते हैं और बड़े भी। इस प्रतिबन्धात्मक वाक्य के द्वारा क्या यह समझा जाय कि हम बड़े उद्योगों को न स्थापित करें और केवल छोटे उद्योगों को ही स्थापित किया जाय ? मैं समझता हूं कि इसमें कुछ भ्रम हैं। सरकार की नीति है कि प्रत्येक प्रकार के उद्योग इस प्रदेश के लिये आवश्यक हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिये दोनों प्रकार के उद्योगों को होना चाहिये। केंद्र से हम इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने की मांग करते हैं, बड़े उद्योग हमको कायम करने हैं, लेकिन बड़े उद्योगों के साथ बिरला जी, उनकी अल्मूनियम फैक्ट्री, मुगलसराय की बात और रिहन्द डैम की बात, सभी आ जाती है और प्रदेश के जितने बिजली पैदा करन के स्थान हैं उन सबको ले कर सरकारी नीति की आलोचना कर दी जाती है। मैं समझता हूं कि ऐसे भाषण यहां उपयुक्त नहीं होते। मैं समझता हूं कि छोटे और बड़े, दोनों प्रकार के उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये आवश्यक है कि बिजली दोनों के लिये सस्ती हो और प्रदेश में दोनों प्रकार के उद्योगों को विकसित होना चाहिये। अपने इस सुझाव के साथ मैं मंत्री जी के ओरिजिनल बिल का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी द्वारा इस संबंध में जो जवाब दिया गया उसके बाद आप देखें कि मेरा संशोधन और पुष्ट हो रहा है। श्रीमन, आप हमारी दिक्कतों को देख लें कि कितनी भी उचित से उचित बात हम कहना चाहें और उसमें कितना ही तथ्य हो, सरकार अपने बहुमत के बल पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, सुनना चाहती ही नहीं और अभी हमारे पक्ष के कई मित्र इस पर प्रकाश डालना चाहते थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट व्हिप साहब जबान बन्द करना चाहते हैं और लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। यह उनका रवैया आज हमें बड़ा खेदजनक मालूम पड़ा कि वह विवाद का गला घोंट देना चाहते हैं।

अभी निर्माण मंत्री जी ने कहा कि ५० लाख रुपये का फर्क इस छूट को देने से पड़ेगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह ५० लाख रुपया छोटे उद्योगों की उन्नति के लिये दिया जा सकता है और क्या ऐसा करना अनुचित होगा? उनकी इस बात पर कि वह अपनी टैक्स पालिसी पर कोई न्याय कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है। मोटी सी बात यह है कि आज हमारे सामने इस गिरे हुए देश को उठाने का सवाल है। हमें उन उद्योगों को तरक्की देना है जो पनप नहीं रहे हैं। सरकार ने कुछ उपाय सोचे अवश्य हैं लेकिन वे उपाय दुरुपाय हो जाया करते हैं यदि उनका सदुपयोग न किया जाय। इस विधेयक में जो विशेष बात सरकार ने की है वह यह है कि इससे २० प्रतिशत हम छोटे उद्योगों से टैक्सेज पावेंगे और बड़े उद्योगों से ३ प्रतिशत टैक्स पाते हैं। हमें उनके आंकड़ों में संदेह है। वे प्रमाणित नहीं हैं, उनका कोई आधार नहीं है। यदि उनका आधार होता तो मैं सुनना चाहता कि कितने किलोवाट बिजली बड़ी इंडस्ट्री के लोग खर्च करते हैं और कितने छोटे उद्योग वाले करते हैं, लेकिन वह न करके आपने और फ गर्स बता दिये।

यह संशोधन जो कि बहुत ही सरल था और गवर्नमेंट की पालिसी को स्पष्ट करने वाला था उसको वह इसलिये स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि इसमें उनकी हेठी होगी, ऐसा उनका खयाल है। उन्होंने माना कि संशोधन अच्छा है और आवश्यक भी है, अच्छे अमेंडमेंट लाया है लेकिन फिर न मालूम किस काम्पलीकेशन में पड़ जाते हैं और स्वीकार नहीं कर पाते। वह कहते हैं कि इंडायरेक्ट वे में जितने भी टैक्सेज हैं वे सभी पीपल्स से लिये जाते हैं अतः यह भी लेंगे। अर्थ यह निकला कि इंडायरेक्ट टैक्स लेना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको ओवरबर्डेन नहीं कर देंगे। जैसा कि कहा गया है कि ऊंट की कमर को तोड़ने के लिये कभी-कभी तिनका काफी होता है तो टैक्सपेयर की कमर को तोड़ने के लिये आखिरी तिनके तक उसको लादा जायगा। मैं फिर प्रार्थना करूंगा मंत्री जी से कि वह इस खयाल को छोड़ें कि इस संशोधन के प्रस्ताव को मानने में उनकी हेठी होगी, बल्कि उचित को उचित मानते हुए इसे स्वीकार करना चाहिये और अपने बड़प्पन को पालना चाहिये।

श्री धर्मसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जितना संबंध है उसका उत्तर दे दिया गया है और जैसा कि अवस्थी जी कहते हैं इसको मानने की कोशिश करें, तो विधेयक में सब मौजूद है जो उन्होंने छोटे उद्योग-धंधों के लिये कहा है। परिभाषा में सभी वस्तुयें आ गयी हैं उसमें छोटे उद्योग धंधे भी शामिल हो जाते हैं। तो आपका अमेंडमेंट संकुचित है, उससे ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है।

दूसरे यह कि हस्तचालित यंत्र, यानी हाथ से चलाये जाने वाली मशीनें, उनमें बिजली इस्तेमाल नहीं होती, तो उसको बढ़ाने से क्या फायदा? जहां तक एक लाख की बात है जो इंडस्ट्री सवा लाख में चालू हुई है, फारेन एक्सचेंज उससे प्राप्त होता है तो उसे क्यों न रखा जाय? इसलिये इसमें कोई खास बात नहीं है जिससे यह स्वीकार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के प्रस्तावित उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जावे :---

"प्रतिबन्ध यह है कि उद्योग से तात्पर्य केवल उन उद्योगों से है जो लघु कुटीर हों अथवा हस्तचलित यंत्र (machine) द्वारा उत्पादित हों।"

"प्रतिबन्ध यह भी है कि उद्योग से तात्पर्य उन उद्योगों से है जो एक लाख रुपये के मलधन से अधिक मूलधन के साथ चालू नहीं किये गये हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३---मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय तथा सदैव से ही बढ़ाया गया समझा जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२ में एक नई धारा ३-क का बढ़ाया जाना।

"उपभोक्तताओं द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का दिया जाना"

"३-क---उपभोक्ता द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर धारा ३ क अधीन लगाई गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) की धनराशि आगे व्यवस्थित रीति से उपभोक्ता द्वारा देय होगी, तथा उससे उगाही तथा वसूल की जायगी।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४---मूल अधिनियम की धारा ४ में---

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२ की धारा ४ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में---

(क) शब्द "इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क)" तथा शब्द "उगाह करके" के बीच में शब्द "उपभोक्ता से" बढ़ा दिये जायं और सदैव से ही बढ़ाये गये समझे जायं;

(ख) प्रतिबन्धात्मक खंड के अंत में आये हुए "पूर्ण विराम" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय, तथा

(ग) प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लाइसेन्सी द्वारा उपभोक्ता (कन्ज्यूमर) से उगाही गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) की धनराशि राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर अदा न की जाय तो लाइसेंसी इस प्रकार अदा न की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर १२ १/२ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तब तक के ब्याज का देनदार होगा, जब तक कि वह अदा न कर दी जाय।"

(२) उपधारा (२) में शब्द "देय ड्यूटी (शुल्क)" तथा "लाइसेंसी" के बीच में शब्द "तथा ब्याज, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जायं तथा शब्द "होगी" के स्थान पर शब्द "होंगे" रख दिया जाय ;

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा दूसरा संशोधन रखना चाहता हूं। मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् यह प्रतिबन्ध और बढ़ाया जा रहा है : "प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि..

श्री अध्यक्ष---आप अपना संशोधन तो पेश कर दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ग) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति पांच में अंक "१२ १/२" के स्थान पर अंक "२५" रख दिये जावें।

इसी सम्बन्ध में मैं वह प्रतिबन्धात्मक खंड जो बढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ रहा था। वह इस प्रकार से है :---

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लाइसेन्सी द्वारा उपभोक्ता (कन्ज्यूमर) से उगाही गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) की धनराशि राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर अदा न की जाय तो लाइसेन्सी इस प्रकार अदा न की गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर १२ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तब तक के ब्याज का देनदार होगा, जब तक कि वह अदा न कर दी जाय।"

अब मूल अधिनियम की धारा ४ में सरकार यह प्रतिबन्ध जोड़ना चाहती है कि यदि लाइसेंसी द्वारा उपभोक्ता से उगाही गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर अदा न की जाय तो लाइसेंसी इस प्रकार अदा न की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर साढ़े बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तब तक के ब्याज का देनदार होगा जब तक कि वह अदा न कर दी जाय। पहले यह था कि किसी भी उपभोक्ता से या किसी नियत अधिकारी से यह ड्यूटी देय नहीं होगी यदि इस सम्बन्ध में टैक्स उपभोक्ता से वसूल न कर लिया हो। यह ड्यूटी तभी उन पर बाकी रहेगी। यह रुपया कर्ज के रूप में समझा जायगा, इतना था। इसके बाद उसके ऊपर कोई विशेष बाध्यता नहीं थी। इसमें आगे यह भी है कि बकाया ड्यूटी एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल की जाती थी। यह पहले से था।

अब सरकार ने एक प्रतिबन्धात्मक खंड लगा कर यह चाहा है कि बाकी के अदा न करने पर साढ़े बारह परसेंट का सूद उनसे लिया जायगा। ये लोग अपना कर्तव्य पहले से ही नहीं निबाह रहे हैं, यह सभी जानते हैं। इसलिये इनके सम्बन्ध में उद्देश्य और कारणों में भी लिखा गया है कि यह देखा गया है कि लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं से वसूल की गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि सरकारी कोष में नियत समय के भीतर जमा नहीं करते। इसको रोकने के लिये लाइसेंसधारियों से विद्युत शुल्क की उस धनराशि पर जिसे वे उपभोक्ताओं से वसूल करें और सरकारी कोष में समय पर जमा न करें, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज लेने का प्रस्ताव है। तो सरकार यह कहती है कि ये लोग उपभोक्ताओं से लिये हुए धन को जमा नहीं करते हैं। अंग्रेजी का शब्द है "डैटेरेन्ट पनिशमेन्ट" उसको देने के लिये यह रखना चाहती है। इसके बारे में बार-बार यहां प्रश्नों के उत्तर में भी कहा गया कि क्यों नहीं सरकार ने आज तक वह ड्यूटी वसूल की। सरकार ने यही जवाब दिया कि सरकार नियम के मुताबिक धीरे-धीरे उनसे वसूल कर रही है। लेकिन यह कभी सरकार ने नहीं कहा कि उनके प्रति कोई सख्त कदम उठाने का सरकार का इरादा है। जब कभी सदन की ओर से यह चाहा गया कि उन लोगों पर रियायत करना उचित नहीं होगा क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तभी सरकार यही कहती रही कि वह उसे लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल कर सकती है और सख्ती करेगी। अब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार उनसे यह केवल साढ़े बारह परसेंट व्याज की बात कहती है। यह इतना कम है कि उनको रुपया टाइम पर जमा करने के लिये बाध्य नहीं करेगा। कभी-कभी वह लोग इससे कहीं अधिक व्याज उपभोक्ताओं से लेते हैं। अगर वह सरकार का रुपया रोक कर अधिक व्याज कमाने लगें तो सरकार उनको झुका नहीं सकेगी। मैं समझता हूं कि एक तो सरकार ने उनके साथ गलती यह की कि जो भी उपाय कभी निकाले और प्रतिबन्ध कायम किये वे सब "ना" के समान ही रहे। मैं यह मानता हूं कि जितना भी बड़ा या ऊंचा या अमीर आदमी हो और वह सरकारी रुपया देने में लापरवाही करे तो उसका कसूर उससे कहीं अधिक है जो गरीब है और गरीबी के कारण सरकार का रुपया नहीं दे पाता है। सरकार किसानों के साथ तो एक मिनट की भी रियायत करने के लिये तैयार नहीं है कि उनकी कुर्की जरा सी देर के लिये भी रुक जाय। मगर जो सामर्थ हैं और देय धन नहीं देते उनको कोई रियायत नहीं देनी चाहिये। अतः इन सामर्थ वालों को उसी आधार पर रियायत देना अन्याय है। इस लापरवाही के लिये बड़े से बड़ा दंड सरकार को देना चाहिये। उचित भी यही है कि जो भी तरीके सरकार अब तक अख्तियार करती रही है वही उनके साथ भी बरते। अभी सेल्स टैक्स के बारे में अनेक संशोधन आये। उनमें से एक में कहा गया था कि अगर कोई अपने खाते, बहियों को दिखाने से इनकार करे, या कोई अवरोध पैदा करे तो उसे ६ महीने की सजा दी जायगी तो क्या इस मौके पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती? केवल व्याज लेने से कोई काम चलने वाला नहीं है। धनपतियों के लिये व्याज दे देना बहुत सरल बात है। मैं ऐसे बहुत से ट्रेजरर्स को जानता हूं जो वक्त पर लोगों को तनख्वाह नहीं देते हैं और रुपये को दो एक दिन रोक कर उन्हीं वेतन पाने वालों से व्याज लेकर रुपया देते हैं। इसी प्रकार से व्यापारीवर्ग रुपय से सदा ही लाभ उठाता है। इसलिये सरकार ने जो प्रतिबन्ध लगाया है वह इस चीज को रोकने के लिये काफी नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति को दोहराये। अगर सचमुच ही सरकार अपने कानून की पाबन्दी कराना चाहती है तो उसको वही उपाय काम में लाने चाहियें जो वह वक्तन फवक्तन लाती रही है।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

नियम ५० के अन्तर्गत ३१ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न ११७ के सम्बन्ध में श्री त्रिलोकीसिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न पर विवाद

श्री अध्यक्ष---कुंवर श्रीपालसिंह जी के प्रश्न के सम्बन्ध में, जो त्रिलोकीसिंह जी ने उठाया था, उस पर जो बहस होने वाली थी, उसके विषय में श्री त्रिलोकीसिंह ने मेरे पास यह सूचना भेजी है कि वह चाहते हैं कि इसको कल ले लिया जाय। सम्बन्धित मंत्री जी भी इससे सहमत हैं। इसलिये इसको कल लिया जायगा।

श्री चरणसिंह द्वारा वक्तव्य न दिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरी सूचना में यह देना चाहता हूं जो चरणसिंह जी ने भेजी है---"आपने कृपया मुझको अपने त्याग-पत्र के कारणों पर प्रकाश डालने के लिये २१ अगस्त का समय दिया था। अब मैं जनहित में इस प्रकार का कोई वक्तव्य देना उचित नहीं समझता। सूचनार्थ निवेदन है।"

वह कल कोई वक्तव्य नहीं देंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२० अगस्त, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

विवरण-पत्र

जिला	खरीदी या एक्वायर की गयी भूमि का नाम	ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़)	दर (प्रति एकड़) जोत के अन्तर्गत की भूमि	दर (प्रति एकड़) बिना जोती हुई भूमि	कुल मूल्य
				रु०	रु०	रु०
बिजनौर ..	१—सर्वश्री लोकेन्द्र प्रसाद रघुवीर कृष्ण खन्ना इत्यादि की भूमि	चांदपुरी	५११.००	२५०	३०	१,२०,८७५.००
	२—श्री सत्यवीर और दूसरे व्यक्तियों की भूमि	धर्मनगरी	७३०.००	२५०	३०	१,६७,८०५.००
	३—श्री मरगूबुर रहमान और दूसरे साथियों की भूमि	घासीवाला	४१७.००	२५०	३०	१,०१,६७५.००
पीलीभीत ..	१—सर्वश्री कान्तिवीर गुप्ता तथा वेद मित्र के वीरा कृषि फार्म तथा ग्राम कृषि उद्योग फार्म की भूमि	न्योरिया	१,१११.५२	२७५	१८०	२,४२,०१३.९०
	२—श्री शैलेन्द्र सिंह की भूमि ..	बिहरवा तथा टोंडरपुर	४१२.५४	२६१	..	१,४२,९६१.३८
	३—श्री पी० एन० जोशी और दूसरे साथियों की भूमि	बिहरवा तथा टोंडरपुर	२२८.४२	२८२	१८०	७६,४३२.७९
	४—श्री वी० एन० सिंह विसेन और दूसरे साथियों की भूमि	गभिया सहराय	५३०.००	२५०	१५०	१,२८,७६२.५०

अवध प्रदेश विधान सभा

	५—श्री जी० एल० भारतीय के भारतीय मेकानाइज्ड फार्म की भूमि ..	कन्जा हरय्या	५६४.५७	१५८	१८०	१,६८,६१६.८५
	६—श्रीमती बिमला देवी तथा श्री धनेश्वर प्रसाद की भूमि ..	ढकिया, एदवारा तथा तादाविदारी	१९०.०६	२७०	१८०	४७,४७७.७०
	७—श्री जीवनलाल शर्मा और दूसरे साथियों की भूमि	"	२९७.७६	१६८	६८	३४,७५५.९३
	८—सर्वश्री चन्द्र कुमार गर्ग, शान्ति स्वरूप गुप्ता और दूसरे साथियों की भूमि ..	न्योरिया हुसेनपुर तथा न्योरिया हुसेनपुर शुमाली मुस्तकिल	३८६.५७	इस भूमि को लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट (Land Acquisition Act) के अन्तर्गत प्राप्त किया गया है किन्तु अभी प्रतिकर की रकम निश्चित नहीं हुई है।		
नैनीताल	१—राजा साहब भद्री तथा उनके अन्य साथियों के शक्ति फार्म की भूमि।	तराई तथा भावर राजकीय सम्पत्तियों (Tarai and Bhabar Govt. Estates)	३,७३४.००	"	"	"
	२—रतन तथा करनी फार्म की भूमि ..	"	२,३८६.००	"	"	"
बहराइच ..	.. .. ..	..	..	..	..	..
	कुल योग ..	..	११,४९९.४४	..	..	१२,३१,३७६.०५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

औद्योगिक आस्थान, आगरा, में जो प्रगति हुई है तथा जो कार्य करना शेष है उसकी सूचना निम्नलिखित है :

५० एकड़ भूमि प्राप्त करने के बाद उस पर ३१ इमारतें इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, आगरा, द्वारा तथा ३३ इमारतें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने का काम सौंपा गया। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा इमारतें बनाई जा रही हैं। इन इमारतों के आफिस के भाग में छतें पड़ चुकी हैं तथा वर्कशाप के भाग निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ३३ इमारतों का काम शीघ्र आरम्भ होने जा रहा है।।

उपरोक्त इमारतों को पूरा करने के अतिरिक्त लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग द्वारा पानी की व्यवस्था का, आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली की व्यवस्था का तथा डाक तथा तार विभाग द्वारा टेलीफोन लगाने की व्यवस्था करने का कार्य आरम्भ होने वाला है।

उपरोक्त आस्थान में सड़कों का निर्माण हो चुका है।

नैनी के औद्योगिक आस्थान को भारत सरकार ने नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा बनवाया है। इसमें २३ एकड़ भूमि पर ३४ औद्योगिक फैक्टरियां बन चुकी हैं जिनमें से ३१ उद्योगपतियों को एलाट हो गई हैं। यह आस्थान भारत सरकार के अधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के अधिकारी एवं कर्मचारी जो नई मशीनरी के निरीक्षण हेतु तथा उससे कल पुर्जों को बनाने, एकत्र करने व चलाने का काम सीखने के लिये जेकोस्लोवेकिया गये हुए हैं

१ निरीक्षण के हेतु	श्री टी० एल० महेन्द्र, संचालक।
२—कल पुर्जों को बनाने, एकत्र करने व चलाने का काम सीखने के लिये।	१—श्री डब्ल्यू० के० डिके, प्रोजेक्ट इन्जीनियर। (स्थानापन्न चीफ इन्जीनियर) २—श्री एस० के० दास, पावर स्टेशन इन्जीनियर। ३—श्री एन० एन० गुलाठी, असिस्टेन्ट मेकैनिकल इन्जीनियर। ४—श्री आर० एन० मेहरोत्रा, केमिकल इन्जीनियर। ५—श्री बेनीपालसिंह, सीनियर केमिस्ट। ६—श्री एस० पी० मिश्रा, वेल्डर।

नोटः श्री डब्ल्यू० क० डिके संचालक को निरीक्षण क काम में भी मदद देंगे।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध विधि को संशोधित करने के लिये विधेयक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९५९

उत्तर प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों पर प्रवृत्त विधि को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ गवर्नर द्वारा २२ जून, १९५९ को प्रख्यापित किया गया था ;

और "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अनुसार उक्त अध्यादेश विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से ६ सप्ताह व्यतीत हो जाने पर प्रवर्तन में न रहेगा और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि वह विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ कहलायेगा ।

(२) यह २२ जून, १९५९ से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है, तथा

(ख) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय से है ।

विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर निबन्धन

३—किसी विश्वविद्यालय पर प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात होते हुए भी, राज्य सरकार की लिखित पूर्व-स्वीकृति के बिना किसी विश्वविद्यालय की कोई अचल सम्पत्ति—

(१) निबंधक, विक्रय, विनिमय या दान द्वारा या अन्यथा हस्तांतरित की जायगी और न उसकी प्रतिभूति पर कोई धनराशि उधार ली जायगी या कोई अग्रिम धन लिया जायगा,

(२) किसी ऋणदाता के कहने पर किसी न्यायालय की आदेशिका द्वारा, विश्वविद्यालय के विरुद्ध की गयी किसी मांग के निमित्त या उक्त न्यायालय की किसी आज्ञप्ति (डिक्री) या आज्ञा के निष्पादन के हेतु न अभिगृहीत या कुर्क की जा सकेगी और न पृथक् की जा सकेगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व निष्पादित किसी बंधक या संविदा किये गये किसी ऋण पर प्रवृत्त नहीं होंगे ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये सामान्य क्रम में दिया गया पट्टा (lease) इस धारा के अर्थ में हस्तांतरण नहीं समझा जायगा ।

४—लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९५८ का संशोधन

(१) धारा ११ की उपधारा (२) में शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "तीस" रख दिया जाय,

(२) धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ११—क के रूप में बढ़ा दी जाय :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९५८

पद या सदस्यता की अवधि समाप्त करने का अधिकार

" ११-क(१) यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी (authority) या निकाय (body) के किसी ऐसे सदस्य की पदावधि जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम के अथवा उक्त दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन निर्मित परिनियमों (statutes) के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट (नामांकित) हुआ हो, या

(२) यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी (officer) तथा ऐसे सदस्य की पदावधि, जो ऊपर लिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसी भी दशा हो, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस सम्बन्ध में जारी की गई या जारी की गई प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी और समाप्त हुई समझी जायगी, मानो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो।" और

(३) धारा १२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

कठिनाइयों के निवारण का अधिकार

"(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाई के निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, अथवा

(ख) यह निदेश दे सकती है कि यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों (authorities) के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन, जैसी भी दशा हो, किसके द्वारा तथा किस रीति से उस समय तक किया जायगा जब तक कि धारा ११ के अधीन निर्मित परिनियमों के अनुसार उनका संघटन न कर दिया जाय, अथवा

(ग) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५८ का संशोधन

५--इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम १९५७ में :

(१) धारा ९ की उपधारा (२) में शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "तीस" रख दिया जाय।

(२) धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा ९-क क रूप में बढ़ा दी जाय :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५८

पद या सदस्यता की अवधि समाप्त करने का अधिकार

"९-क--(१) यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी (authority) या निकाय (body) के किसी ऐसे सदस्य की पदावधि जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम के, अथवा उक्त दोनो अधिनियमों में से किसी के अधीन निर्मित परिनियमों (statutes) के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट (नामांकित) हुआ हो, या

(२) यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी (officer) तथा ऐसे सदस्य की पदावधि जो ऊपर लिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसे भी दशा हो, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस सम्बन्ध में जारी की गई या जारी की गई प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी, और समाप्त हुई समझी जायगी मानो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो" ; और

(३) धारा १० की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

कठिनाइयों के निवारण का अधिकार

"(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाई के, निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके--

(क) यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, अथवा

(ख) यह निदेश दे सकती है कि यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों (authorities) के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन, जैसी भी दशा हो, किसके द्वारा तथा किस रीति से उस समय तक किया जायगा जब तक कि धारा ९ के अधीन निर्मित परिनियमों के अनुसार उनका संघटन न कर दिया जाय, अथवा

(ग) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।"

६—आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९५८ का संशोधन

(१) धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १२—क के रूप में बढ़ा दी जाय:

"१२—क—(१) यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी (authority) पद या सदस्यता या निकाय (body) के किसी ऐसे सदस्य की पदा-की अवधि समाप्त वधि, जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम करने का अधिकार के अथवा मूल अधिनियम या आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३ के अधीन निर्मित परिनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट (नामांकित) हुआ हो, या

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३१, १९५३

(२) यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी (officer) तथा ऐसे सदस्य की पदावधि, जो ऊपर लिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसी भी दशा हो, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस सम्बन्ध में जारी की गई या जारी की गई प्रकट होने वाली या जारी होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी, मानों उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो", और

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९५८

(२) धारा १३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतः मूल अधिनियम कठिनाइयों के निवारण के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथा-का अधिकार संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाई के, निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप क रूप में हों, प्रभावी होगा, अथवा

(ख) यह निदेश दे सकती है कि यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों (authorities) के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग, या निर्वहन जैसी भी दशा हो, किसके द्वारा तथा किस रीति से उस समय तक किया जायगा, जब तक कि प्रचलित परिनियमों के अनुसार उनका संघटन न कर दिया जाय, अथवा

(ग) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से चौबीस महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०, १९५६ का संशोधन

७—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ में:

(१) धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"४—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई किसी अन्य व्यवस्था को छोड़कर, विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकार गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, मिर्जापुर तथा वाराणसी के जिलों में सम्मिलित क्षेत्र में प्रयुक्त होंगे।"

अधिकारों का क्षेत्रीय प्रयोग

(२) धारा ५ की उपधारा (१) तथा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या ८, १९२६

"(१) धारा ४ में उल्लिखित जिलों में स्थित कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध (affiliated) हों, ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझे जायेंगे तथा भिन्न-भिन्न कालेजों के सम्बद्ध होने के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

(२) विश्वविद्यालय, कुलपति के अनुमोदन से, उपधारा (१) के अधीन न आने वाले अन्य कालेजों को सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकारों के निमित्त स्वीकृति दे सकता है तथा परिनियमों एवं अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा अनुसार पहले से ही सम्बद्ध कालेजों के विशेषाधिकारों में अभिवृद्धि कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के कनवोकेशन हाल से दस मील के अर्धव्यास के भीतर कोई भी नया कालेज स्थापित नहीं किया जायगा" ; तथा

(३) धारा ५३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "दिनांक से" तथा "मास" के बीच में आये हुये शब्द "छत्तीस" के स्थान पर शब्द "अड़तालिस" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा ५० का संशोधन

८—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ५० के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "छत्तीस" के स्थान पर शब्द "अड़तालिस" रख दिया जाय।

९—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ की धारा १ से ७ तक के उपबन्ध निरस्त किये जाते हैं तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस निरसन पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो उक्त अध्यादेश किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित अधिनियमिति (enactment) हो।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या १, १९५ यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०

अनुसूची

[धारा २ (ख) देखिये]

विश्वविद्यालयों के नाम

१—आगरा यूनिवर्सिटी।

२—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।

३—लखनऊ यूनिवर्सिटी।

४—गोरखपुर विश्वविद्यालय।

५—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय।

उद्देश्य तथा कारण

२२ जून, १९५९ को गवर्नर ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित किया था, जिसके उद्देश्य तथा कारण २७ जुलाई, १९५९ को सदन के समक्ष रक्खे गये ज्ञापन में बताये गये हैं। उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से अब यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
गृह मंत्री।

विधेयक के उपबन्धों में किये गये परिवर्तन स्पष्ट करने के लिये विवरण

इस विधेयक की धारायें ७ (३) तथा ८ नयी हैं। ये उपबन्ध उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ में नहीं थे। राज्य सरकार को गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक और वर्ष तक कठिनाई निवारण आदेश जारी करने के निमित्त अधिकृत करने के उद्देश्य से इनका समावेश किया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में राज्य सरकार का यह अधिकार ८ जून, १९५९ को समाप्त हो गया तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में १४ सितम्बर, १९५९ को समाप्त हो जायगा। क्योंकि अब तक दोनों में से किसी भी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संघटन नहीं हुआ है अतः यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तो विश्वविद्यालय अपना कार्य समुचित रीति से नहीं कर सकेंगे। ऐसी परिस्थिति में उक्त अधिकारों का एक और वर्ष तक सरकार में निहित रहना आवश्यक है। यह आशा है कि तब तक विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों का संघटन यथाविधि कर दिया जायगा और वे इस अवधि के भीतर कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे।

कमलापति त्रिपाठी,
गृह मंत्री।

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

उत्तर प्रदेश में जोतों पर अधिकतम सीमायें आरोपित करने तथा उससे संबंधित कतिपय अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

सामुदायिक हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि की इस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोक-हित साधन हो;

और भूमि का अधिक साम्यपूर्ण वितरण आवश्यक है:

और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में जोतों पर अधिकतम सीमायें आरोपित करने की व्यवस्था करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा २ में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में तुरन्त प्रचलित हो जायगा तथा उक्त उल्लिखित क्षेत्रों में यह उस दिनांक से तथा ऐसी रीति से प्रचलित होगा जो उक्त धारा के अधीन विज्ञापित की जाय, तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

कतिपय क्षेत्रों में अपवादों तथा परिष्कारों के साथ अधिनियम की प्रवृति

२--राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को, ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन रहते हुए जिनका मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और जो मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त कर सकती है:--

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५७

२--(१) नागर-क्षेत्र जिनमें उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का प्रसार है।

(२) संपूर्ण कुमायूं मंडल (डिवीजन) सिवाय काशीपुर परगने के तथा तराई और भावर परगने के उस भाग के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है; तथा

(३) देहरादून जिले का जौनसार बावर परगना।

परिभाषायें

३--विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस अधिनियम में:--

(क) अधिकतम क्षेत्र का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के उस क्षेत्र से है जो धारा ४ के उपबंधों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो;

(ख) "अच्छी औसत प्रकार की भूमि" का तात्पर्य उस भूमि से है जिसकी लागू मौरूसी दर पांच रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो;

(ग) "परिवार" का तात्पर्य पति या पत्नी जैसी भी दशा हो, आश्रित पिता, आश्रित माता, विवाहित पुत्रियों तथा पृथक हुए बच्चों से भिन्न बच्चों और पृथक न हुए पुत्र की बधू या विधवा से है:

स्पष्टीकरण १—इस खंड के प्रयोजनों के लिये बच्चा उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब पारिवारिक समझौते अथवा न्यायालय की डिक्री के अधीन उसका पृथक अंश घोषित कर दिया गया हो या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२-ख के अधीन उसका अंश पृथक कर दिया गया हो अथवा उत्तर प्रदेश बृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उसके अंश का पृथक्करण स्वीकृत कर लिया गया हो। उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

स्पष्टीकरण २—बच्चों के अन्तर्गत मृत पुत्र के बच्चे भी होंगे।

(घ) "जोत" का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव समाज के असामी या १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ११ के अधीन असामी अथवा यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अधीन शिकमी काश्तकार (sub-tenant) से भिन्न, काश्तकार के या सरकारी पट्टेदार के रूप में हो। १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ यू० पी० ऐक्ट सं० १७, १९३९ ई०

(ङ) "यंत्रकृत फार्म" का तात्पर्य उस जोत से है जिस पर, इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पूर्व, लगातार तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक मुख्यतया ट्रैक्टर द्वारा खेती की गई हो;

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत परिवार भी सम्मिलित होगा;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

(ज) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो, राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो तदर्थ उल्लिखित किये जायं इस अधिनियम के अधीन "नियत प्राधिकारी" के कृत्य करने के लिये अधिकृत किया गया हो;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ञ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ट) "अतिरिक्त भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी व्यक्ति के पास प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो; तथा

(ठ) उन शब्दों तथा पदावलियों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गयी है किन्तु जिनका प्रयोग १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में दिये गये हैं। १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र

४—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में उसकी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी, चाहे वह भूमि उसके पास उसके ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से।

(२) (क) किसी एक व्यक्ति की या पांच से अधिक सदस्यों वाले किसी परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी औसत प्रकार की भूमि के चालीस एकड़ का समझा जायगा।

(ख) पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी औसत प्रकार की भूमि के चालीस एकड़ और इसके अतिरिक्त परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये आठ एकड़ का समझा जायगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के चौबीस एकड़ से अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन अच्छी औसत प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के संबंध में अधिकतम क्षेत्र की गणना में ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़ जिसकी लागू मौरूसी दर तीन रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो किन्तु पांच रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो, और ऐसी भूमि के दो एकड़ जिसकी लागू मौरूसी दर तीन रुपये प्रति एकड़ या उससे कम हो, अच्छी औसत प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर समझे जायेंगे।

(३) किसी ऐसी निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी समिति की दशा में जिसके सदस्यों के पास अपने व्यक्तिगत नामों में भूमि हो, अधिकतम क्षेत्र समिति के समस्त सदस्यों के ऐसे अधिकतम क्षेत्रों का योग समझा जायगा जिनकी गणना उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार की गयी हो।

अध्याय २

जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण तथा अतिरिक्त भूमि का अर्जन

वर्तमान जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण

५—(१) इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से कोई व्यक्ति किसी जोत में इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्य व्यवस्था से अन्यथा प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अपने पास रखने का हकदार न होगा, भले ही उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि, रुढ़ि अथवा प्रथा में या अनुबन्ध में कोई प्रतिकूल बात हो।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में १५ अगस्त, १९५९ ई० के बाद किये गये ऐसी भूमि के हस्तान्तरण या विभाजन की, जो उस हस्तान्तरण या विभाजन के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की जाती, उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्ध किसी हिन्दू संयुक्त परिवार के जोत संबंधी किसी ऐसे विभाजन, वाद या कार्यवाही पर प्रवृत्त न होंगे जो १५ अगस्त, १९५९ को विचाराधीन हों।

६—इस अधिनियम के प्रवर्त्तन के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नियत प्राधिकारी सरकारी गजट में नोटिस प्रकाशित करके ऐसे सब व्यक्तियों को जिनके पास इस अधिनियम के प्रवर्त्तन के दिनांक पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह उसे (प्राधिकारी को) उक्त नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर ऐसे आकार में तथा ऐसे ब्योरों सहित जो नियत किये जायं, एक विवरण प्रस्तुत करे, जिसमें वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायं, जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहे।

उन व्यक्तियों को जिनके पास अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, उसके संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिये सामान्य नोटिस।

७—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा ६ के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत न करे या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करे तो ऐसी प्रत्येक दशा में नियत प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, एक विवरण तैयार करायेगा जिसमें ऐसे ब्योरे दिये होंगे जो नियत किये जायं तथा जिसमें वह गाटा या वे गाटे भी दिये जायेंगे जिन्हें अतिरिक्त भूमि घोषित करने का विचार हो।

विवरण प्रस्तुत न करने वाले या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को नोटिस

(२) तत्पश्चात् नियत प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये विवरण की एक प्रति के सहित एक नोटिस, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, तामील करायेगा जिसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से कहा जायगा कि वह उस नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जो अवधि उसकी तामील के दिनांक से १० दिन से कम की न होगी, कारण प्रकट करे कि उक्त विवरण क्यों ठीक न मान लिया जाय।

८—(१) यदि धारा ६ के अधीन प्रकाशित नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय अथवा यदि धारा ७ के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति न की जाय तो नियत प्राधिकारी तदनुसार उस व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि अवधारित करेगा।

आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने पर अतिरिक्त भूमि का अवधारण।

(२) नियत प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन आदेश दिया गया हो, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उक्त आदेश को रद्द कर सकता है तथा उक्त व्यक्ति को धारा ७ के अधीन तैयार किये गये विवरण के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे सकता है और धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार उसका निर्णय करने के लिये कार्यवाही कर सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त आदेश के दिनांक से तीन दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि स्थित हो।

(४) उपधारा (२) और (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियत प्राधिकारी का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा तथा उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर नियत प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त भूमि का अवधारण

९—(१) यदि धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसरण में या धारा ८ की उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन दिये गये किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाय तो नियत प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उसका निर्णय करेगा तथा अतिरिक्त भूमि अवधारित करेगा।

(२) यदि धारा १० के अधीन अपील प्रस्तुत की जाय तो उसके परिणाम के अधीन रहते हुये, उपधारा (१) के अधीन नियत प्राधिकारी का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अपील

१०—(१) धारा ९ के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि स्थित हो।

(२) जिला न्यायाधीश अपील को यथाशक्य शीघ्र निस्तारित करेगा तथा उस पर उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी विधि-न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(३) यदि इस धारा के अधीन अपील की जाय तो जिला न्यायाधीश नियत प्राधिकारी द्वारा धारा ९ के अधीन दिये गये आदेश के प्रवर्तन को ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो उचित समझी जायं।

अतिरिक्त भूमि का अर्जन

११—(१) नियत प्राधिकारी—

(एक) उस दशा में जब धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम हो गया हो; अथवा

(दो) यदि धारा ९ के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत न की गई हो, तो उसके लिये निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अथवा

(तीन) यदि धारा १० के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो उसके निर्णय के पश्चात्

धारा ८, ९, या १० के अधीन, जैसी भी दशा हो, अवधारित अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में विज्ञापित करेगा और तत्पश्चात् वह भूमि, उपधारा (२), (३) तथा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित की जायगी और अर्जित की गई समझी जायगी तथा वह समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जायगी और निहित हुई समझी जायगी तथा उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से उस भूमि में स्वत्व का दावा करने वाले समस्त व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन पर कोई व्यक्ति जो उस अतिरिक्त भूमि में जिसके सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई हो, स्वत्व का दावा करता हो उस विज्ञप्ति के तीस दिन के भीतर नियत प्राधिकारी के समक्ष ऐसी भूमि का उल्लेख करते हुये जिसमें वह स्वत्व का दावा करता हो आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(३) नियत प्राधिकारी आपत्तिकर्ता, सम्बद्ध खातेदार तथा राज्य सरकार को सुनवाई का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायंगे, उक्त आपत्ति को निस्तारित करेगा।

स्पष्टीकरण—नियत प्राधिकारी आपत्ति का निस्तारण करने में पक्षों के अधिकारों पर किसी सक्षम न्यायालय के किसी भी अन्तिम निर्णय को स्वीकार करेगा। यदि भूमि में अधिकारों के सम्बन्ध में कोई अपील विचाराधीन हो तो जहां तक वह ऐसी भूमि से सम्बन्धित हो, वह अवसित (abate) हो जायगी और नियत प्राधिकारी आपत्तियों का निर्णय करेगा।

(४) उपधारा (३) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में उक्त भूमि स्थित हो। जिला न्यायाधीश का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा तथा किसी विधि-न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(५) कलेक्टर उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् तथा उपधारा (३) और (४) के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये किसी भी समय अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर सकता है तथा तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो।

अतिरिक्त भूमि पर छोड़ी गई संपत्ति का निस्तारण

१२—(१) यदि धारा ११ की उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया जाय तो कलेक्टर उसे इस बात की अनुज्ञा देगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश के दिनांक से २१ दिन से कम की न हो और जो कलेक्टर इस सम्बन्ध में निश्चित करे, उक्त भूमि पर विद्यमान :—

(एक) एकत्रित न की गई फसल या वृक्षों के फलों की देखभाल करे या उन्हें इकट्ठा करे या हटाये, तथा

(दो) अपनी किसी अन्य सम्पत्ति को हटाये।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर अतिरिक्त भूमि पर एकत्रित न की गयी फसल या वृक्षों के फलों या किसी अन्य सम्पत्ति की देखभाल न करे या उसे इकट्ठा न करे या न हटाये, तो कलेक्टर ऐसी फसल, फलों, पेड़ों या सम्पत्ति को ऐसी रीति से जो नियत की जाय हटा सकता है या हटवा सकता है अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसका निस्तारण कर सकता है।

(३) यदि किसी सम्पत्ति का उपधारा (२) के अधीन विक्रय किया जाय तो उसके विक्रय से होने वाली आय का भुगतान, विक्रय का व्यय काटने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायगा जो कलेक्टर को उसके हकदार प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कलेक्टर यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि उक्त आय का अवशेष किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को देय है या उसका किस प्रकार विभाजन किया जाय तो वह सम्बद्ध पक्षों को निदेश दे सकता है कि वे विवादग्रस्त मामले का निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा करवा लें। तत्पश्चात् विक्रय से होने वाली आय के अवशेष का भुगतान या विभाजन, जैसी भी दशा हो, न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायगा।

(४) इस धारा के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग उस परगने का जिसमें अतिरिक्त भूमि स्थित हो, अवधायक प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर, अथवा प्रथम श्रेणी का कोई अन्य असिस्टेंट कलेक्टर जो कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, कर सकता है।

अधिकतम सीमा के आरोपण से कुछ भूमि की विमुक्ति

१३—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी निम्नलिखित वर्गों में से किसी के अन्तर्गत आने वाली भूमि का विचार किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अर्जित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं किया जायगा।

(१) वह बाग भूमि जो इस रूप में पहली मई, १९५९ के पूर्व विद्यमान रही हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(२) वह भूमि जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १४३ के अर्थ में उद्योग के काम में लायी जाती हो;

(३) वह भूमि जो पशुशाला, खाद के गड्ढों, खलिहान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं उपयोग में लाई जाती हो, और जिसका कुछ क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक न हो;

(४) वह भूमि जिस पर निवास-गृह हो तथा उससे अनुबद्ध क्षेत्र;

(५) वह भूमि जिस पर बाग हो किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि-योग्य भूमि नहीं है;

(६) वह भूमि जिस पर चाय, काफी तथा रबड़ की रोपस्थलियां हों;

(७) वह भूमि जिस पर भेषज्य तथा ऐसी जड़ी बूटी की तथा अन्य रोपस्थलियां हों जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा विमुक्त करे;

(८) वह भूमि जो किसी दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबन्ध (Endowment) के पास या अधीन हो;

(९) वह भूमि जो किसी धर्मोत्तर वक्फ, न्यास या निबन्ध के पास या अधीन पहली मई, १९५९ के पहले से लगातार रही हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

स्पष्टीकरण—खण्ड (८) तथा (९) के प्रयोजनों के लिये किसी दानोत्तर या धर्मोत्तर वक्फ, न्यास या निबन्ध का वही अर्थ होगा जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ७६ में दिया गया है।

ऐक्ट सं० २१, १८६०

(१०) वह भूमि जो किसी शिक्षा संस्था के प्रयोजनों के लिये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबंधित किसी समिति या किसी निगमित निकाय के पास हो;

(११) वह भूमि जो राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से अभिज्ञात गोसदनों तथा गोशालाओं के पास हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(१२) वह भूमि जो संघ सरकार की सम्पत्ति हो तथा वह भूमि जो राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी में जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी है निहित हो या उसके कब्जे में हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा (३) के खंड (१४) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिये उठा दी गयी हो;

(१३) वह भूमि जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ या ११७-क के अधीन किसी गांव-समाज या स्थानिक अधिकारिकी में निहित हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो उक्त अधिनियम की धारा १९८ के अधीन उठा दी गयी हो; १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(१४) वह भूमि जो उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अनुसार वितरण के लिये किसी भूदान यज्ञ समिति के पास हो, किन्तु वह भूमि नहीं जिसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन कोई अनुदान कर दिया गया हो; उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १०, १९५३ ई०

(१५) वह भूमि जो किसी भूतपूर्व विलीन राज्य के भूतपूर्व शासक के पास हो और जो उसके तथा भारत सरकार के बीच विलयन सम्बन्धी अनुबन्ध की शर्तों या उससे संलग्न संयाश्विक पत्रों के कारण राज्य सरकार द्वारा बिना उस भूतपूर्व शासक की सहमति के अर्जित न की जा सकती हो ;

(१६) वह भूमि जो किसी भूमि बन्धक बैंक (Land Mortgage Bank) या जिला सहकारी बैंक (District Co-operative Bank) द्वारा किसी खातेदार से बन्धक-ऋण के बदले में क्रय द्वारा अर्जित की गयी हो;

(१७) केवल कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषित (specialised) फार्मों में सम्मिलित हो और जो अनन्य रूप से कुक्कुट-पालन, दुग्ध व्यवसाय (Dairying) या चारा उगाने के या इसी प्रकार के अन्य ऐसे कार्यों के लिये जो नियत किये जायं, प्रयुक्त होती हो;

(१८) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् किसी सरकारी पट्टेदार को पुनरुद्धारण के पश्चात् कृषि के लिये या नियत विशेषित फसलों के लिये अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर जो नियत की जायं, पट्टे पर दी गयी हो।

पान, केवड़ा, बेला आदि की कृषि वाली भूमि को विमुक्त करना

१४—(१) यदि किसी व्यक्ति की भूमि जिस पर पान, केवड़ा, बेला, चमेली या गुलाब की खेती की जाती हो, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो; और

(क) उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी भूमि न हो जिस पर अन्य किसी प्रकार की खेती होती हो, या

(ख) वह ऐसी समस्त भूमि को जिस पर अन्य प्रकार की खेती होती हो धारा ६ या ७ के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित करे,

तो ऐसी समस्त भूमि जोत की अधिकतम सीमा के आरोपण से विमुक्त होगी, भले ही इस अधिनियम में इसके प्रतिकूल कोई अन्य बात हो।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसार घोषणा नहीं करता अथवा यदि वह क्षेत्र जिस पर पान, केवड़ा, बेला, चमेली या गुलाब की खेती की जाती हो प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से कम हो और उसकी अन्य प्रकार की खेती के क्षेत्र से मिलकर वह प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, तो धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार अधिकतम सीमा आरोपित की जायगी।

ऐसे असामी की भूमि को विमुक्त करना जिसके पास "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ के अधीन भूमि हो। १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

१५—(१) पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी मुख्य खातेदार का अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में उसकी उस भूमि का जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ के अधीन भरण-पोषण के लिये उसके असामी के पास हो, उस समय तक जब तक कि वह भूमि इस प्रकार उसके असामी के पास रहे असामी के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, विचार नहीं किया जायगा।

ऐसी भूमि का बन्दोबस्त

(२) मुख्य खातेदार द्वारा प्रार्थना की जाने पर तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसे असामी को देय प्रतिकर का भुगतान किये जाने पर किसी ऐसी भूमि का जो उस असामी के पास अपने प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो और जो अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गई हो, मुख्य खातेदार के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, उसके (मुख्य खातेदार) के साथ बन्दोबस्त किया जा सकता है।

बाग लगाने के लिये अतिरिक्त भूमि के भाग का बन्दोबस्त

१६—(१) धारा ५ में किसी बात के होते हुये भी, तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत किये जायं, किसी व्यक्ति की इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित अतिरिक्त भूमि की दस प्रतिशत भूमि का जो, यदि उपलभ्य हो, तो कम से कम दो एकड़ तथा अधिक से अधिक दस एकड़ होगा, उसके साथ उसके उस भूमि पर ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय बाग लगाने का बचन लिखित रूप में देने पर बन्दोबस्त किया जा सकता है।

(२) यदि किसी भूमि का इस प्रकार बन्दोबस्त कर दिया गया हो और नियत अवधि के भीतर उस पर बाग न लगाया जाय तो ऐसी भूमि नियत प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से, ऐसी रीति के अनुसार जो नियत की जाय, वापस ली जा सकती है;

(३) उपधारा (२) के अधीन किये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध कलेक्टर को अपील प्रस्तुत कर सकता है जो सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उस पर अपना निर्णय देगा।

विधान सभा

(४) उपधारा (३) के अधीन कलेक्टर का निर्णय अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जायगी ।

अध्याय ३

प्रतिकर के सिद्धान्त

प्रतिकर की गणना की रीति

१७--(१) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका किसी भूमि में अधिकार, आगम या स्वत्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया गया हो, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में दी हुई रीति से अवधारित प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायगा ।

स्पष्टीकरण--पूर्वोक्त रीति से अवधारित प्रतिकर के अन्तर्गत वह प्रतिकर भी, यदि कोई हो, है जो उपधारा (२) में व्यवस्थित रीति से शिकमी काश्तकार या असामी, को देय हो,

(२) मुख्य खातेदार और उसकी शिकमी काश्तकार या असामी का प्रतिकर निम्नलिखित रीति से विभाजित किया जायगा:--

(क) यदि असामी के पास भूमि सदा के लिये हो तो उसे प्रतिकर की धनराशि का ७/८ भाग दिया जायगा तथा शेष मुख्य खातेदार को दिया जायगा ;

(ख) यदि शिकमी काश्तकार या असामी जीवनपर्यन्त स्वत्व रखता हो तो उसे प्रतिकर की धनराशि का ३/८ भाग दिया जायगा और शेष भाग मख्य खातेदार को दिया जायगा ।

(ग) यदि शिकमी काश्तकार या असामी के पास भूमि एक वर्ष से अधिक की किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो उसे अव्यतीत अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये शिकमी काश्तकार या असामी के एक वर्ष के लगान की दर से भुगतान किया जायगा ;

(घ) यदि शिकमी काश्तकार या असामी के पास भूमि एक वर्ष के या वर्ष प्रति वर्ष के लिये हो तो उसे प्रतिकर की कोई धनराशि नहीं दी जायगी ।

प्रतिकर अधिकारी

१८--धारा ११ के अधीन अर्जित अतिरिक्त भूमि के संबंध में प्रतिकर के निर्धारण से और उसके हकदार व्यक्ति को उसके भुगतान से संबंधित समस्त कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रतिकर अधिकारी के समक्ष होंगी ।

प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्रारम्भिक प्रकाशन

१९--(१) प्रतिकर अधिकारी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसकी अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के अधीन अर्जित की गई हो, प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से तैयार करायेगा जो नियत की जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार की गयी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका, एक ऐसे नोटिस के साथ जिसमें उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह नोटिस में उल्लिखित की जाने वाली अवधि के भीतर जो उसके तामील किये जाने के दिनांक से चौदह दिन से कम की न होगी, यह कारण प्रकट करे कि प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका को क्यों न अन्तिम मान लिया जाय, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर ऐसी रीति से तामील की जायगी जो नियत की जाय ।

मामले जिन में कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गई हों

२०—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा १९ के अधीन उसे भेजी गयी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की शुद्धता पर आपत्ति नहीं प्रस्तुत करता तो प्रतिकर अधिकारी तदनुसार प्रतिकर निर्धारण करेगा ;

(२) प्रतिकर अधिकारी, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया हो, उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर उक्त आदेश को रद्द कर सकता है, आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है और उसके संबंध में धारा २१ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करने की कार्यवाही कर सकता है ;

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि स्थित हो ;

(४) उपधारा (३) के अधीन जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी :

आपत्तियों का निस्तारण

२१—(१) यदि धारा १९ के अधीन नोटिस के अनुसरण में या धारा २० की उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन दिये गये किसी आदेश के परिणाम स्वरूप कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो तो प्रतिकर अधिकारी पक्षों को सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का, समुचित अवसर देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुए, उस पर अपना निर्णय देगा और प्रतिकर निर्धारित करेगा ।

(२) यदि कोई अपील की गई हो तो उसके परिणाम के अधीन रहते हुए, उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर अधिकारी का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

(३) प्रतिकर अधिकारी के उपधारा (१) या धारा २० के अधीन आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि स्थित हो ।

(४) जिला न्यायाधीश अपील का यथासंभव शीघ्र निस्तारण करेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

प्रतिकर के भुगतान की रीति

२२—(१) धारा २३ तथा धारा २४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा २० या धारा २१ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नकदी में या, बंधों के रूप में अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः बंधों के रूप में, जैसा भी नियत किया जाय, उस व्यक्ति को किया जायगा जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अतिरिक्त भूमि के अर्जन के दिनांक से छः मास के भीतर प्रतिकर की पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तो उसकी शेष धनराशि पर साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार को अधिकार पूर्ण दावा रखने वाले किसी व्यक्ति को भुगतान करने के दायित्व से पूर्णतया उन्मुक्त न करेगा किन्तु ऐसे प्रतिकर के भुगतान से किसी अन्य व्यक्ति के उक्त प्रतिकर से संबंधित किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिसे वह विधि की यथोचित प्रक्रिया द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तित करने का अधिकारी हो जिसे उक्त भुगतान किया गया हो।

प्रतिकर की धनराशि न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में रक्खी जायगी

२३—यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने कोई ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के धारा २० या धारा २१ के अधीन निर्धारित सम्पूर्ण प्रतिकर या उसका कोई भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो तो, वह न्यायालय या प्राधिकारी प्रतिकर अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह इस प्रकार देय धनराशि को उसक अधिकार में रख दे या उसका निस्तारण उसके आदेश के अनुसार करे। प्रतिकर अधिकारी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के ऐसे किसी भी आदेश का पालन करेगा।

अध्याय ४

अतिरिक्त भूमि का निस्तारण और बन्दोबस्त

अतिरिक्त भूमि का निस्तारण और बन्दोबस्त

२४—धारा ११ के अधीन विज्ञापित अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, धारा २५ के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त

२५—(१) धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन अधिकतम क्षेत्र के अवधारण के पश्चात् पायी गयी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय, समिति के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ इस प्रकार किया जा सकता है कि किसी सदस्य के पास १२ १/२ एकड़ से अधिक भूमि न रहे, और यदि कोई भूमि शेष रह जाय तो उसका बन्दोबस्त उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

(२) राज्य सरकार यह कर सकती है कि ऐसी अवधि तक जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की धारा ११ के अधीन अर्जित अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त न करे और उसे राजकीय फार्म के रूप में चलाये और वह उक्त प्रयोजन के लिये किसी उपयुक्त व्यक्ति को प्रबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकती है और यदि यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति (holder) उपयुक्त हो तो उसे अधिमान देगी तथा एसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, वे शर्तें तय करेगी जिन पर उक्त प्रबन्धक कार्य करेगा।

(३) किसी ऐसे गांव में जहां सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कोई भूमि न हो या ऐसे प्रयोजनों के लिए १५ एकड़ से कम भूमि हो, धारा ११ के अधीन अर्जित अतिरिक्त भूमि का १५ एकड़ तथा बन्दोवस्त संबद्ध गांव समाज के साथ पेड़ लगाने या चारा उत्पन्न करन के प्रयोजनों के लिये या ऐसे अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिये, जो नियत किय जायं, किया जायगा; किन्तु यह इस प्रकार

किया जायगा कि इस प्रकार 'बन्दोबस्त की गई भूमि गांव' में सामुदायिक प्रयोजनों की अन्य भूमि को मिला कर १५ एकड़ से अधिक न हो।

(४) उपधारा (२) और (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारा ११ के अधीन अर्जित किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त—

(क) यदि किसी गांव में १५ एकड़ से अधिक भूमि हो तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि-समिति के साथ; और

(ख) यदि किसी गांव में १५ एकड़ से कम भूमि हो तो अलाभकर खातेदारों की निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि-समिति के साथ किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—'अलाभकर खातेदार' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि हो।

भावी अर्जन

२६—(१) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी व्यक्ति के कब्जे में हस्तान्तरण या उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप या किसी अन्य प्रकार से कोई भूमि आ जाय और वह उस भूमि को मिला कर जो उसके पास पहले से हो उसके प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो तो वह ऐसे कब्जे के दिनांक से ३० दिन की अवधि के भीतर धारा ६ के अधीन निर्धारित आकार में और रीति से नियत प्राधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह ऐसे गाटे या गाटों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह अपने अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहे।

स्पष्टीकरण—यदि अधिकतम सीमा के आरोपण के पश्चात् किसी भी समय किसी व्यक्ति की धारा १३ या धारा १४ के अधीन विमुक्त की गयी सम्पूर्ण भूमि या उसका कोई भाग स्वरूप बदल जाने से ऐसा हो जाय कि वह उनमें उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत न आये या यदि वह भूमि जिस पर धारा १६ के अधीन बाग लगाया गया हो बाग भूमि (groveland) न रह जाय तो ऐसी भूमि इस धारा के अधीन उसके कब्जे में आयी हुई समझी जायगी।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया जाय, तो वह अतिरिक्त भूमि का अवधारण तदनुसार करेगा और तत्पश्चात् अतिरिक्त भूमि के अर्जन, निस्तारण और बन्दोबस्त के विषय में इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

(३) ऐसी प्रत्येक दशा में जब कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करे अथवा अपूर्ण या गलत विवरण प्रस्तुत करे, नियत प्राधिकारी धारा ७ के अधीन निर्धारित रीति से कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् अतिरिक्त भूमि की घोषणा, अर्जन, निस्तारण और बन्दोबस्त के विषय में इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

नदी के हट जाने से भूमि की प्राप्ति १८२५ का बंगाल रेगूलेशन ११

२७—(१) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी नदी के हट जाने से किसी जोत में भूमि की क्रमशः अनुवृद्धि हो तो वह भूमि उस जोत में हुई अनुवृद्धि नहीं समझी जायगी वरन् राज्य में निहित हो जायगी, भले ही बंगाल एलूबियन ऐन्ड डिलूबियन रेगूलेशन, १८२५ (The Bengal Alluvian and Diluvian Regulation, 1825) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, रूढ़ि या प्रथा में इसके प्रतिकूल कोई बात हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी जोत में क्रमशः अनुवृद्धि द्वारा प्राप्त उक्त भूमि का बन्दोबस्त, उसी अनुपात से अतिरिक्त मालगुजारी दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति के साथ, जिसके पास वह जोत हो, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन जिनके अधीन वह जोत उसके पास हो, इस प्रकार किया गया समझा जायगा कि वह किसी अन्य भूमि को मिला कर जो उसके पास हो, उसके प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो।

(३) धारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि किसी व्यक्ति की जोत में क्रमशः अनुवृद्धि द्वारा प्राप्त भूमि का कोई भाग उसके प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही धारा २५ के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।

अध्याय ५

विविध

इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में राज्य सरकार एक पक्ष होगी

२८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही में एक पक्ष होगी और समझी जायगी।

(२) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से अपील प्रस्तुत करने की अवधि उस आदेश के दिनांक से जिसक विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन की होगी।

लागू मौरूसी दरों के अवधारण या परिष्कार का अधिकार

२९—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए:

(एक) नियत प्राधिकारी ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई मौरूसी दरें स्वीकृत न की गई हों, लागू मौरूसी दरें, ऐसे सिद्धान्तों पर जो नियत किये जायं, निश्चित कर सकता है;

(दो) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में जहां पिछले बन्दोबस्त के समय में कृषि भूमि के विस्तार या सिंचाई के विस्तार तथा उसकी रीति संचार के साधनों, आबादी की सघनता अथवा कृषि की पद्धति में लक्षित परिवर्तन हुआ हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वर्तमान स्वीकृत मौरूसी दरों को नियत रीति से परिष्कृत कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के खण्ड (एक) के अधीन लागू मौरूसी दरों का निश्चय अथवा उस उपधारा के खण्ड (दो) के अधीन उनका परिष्कार इस प्रकार किया जायगा कि उक्त दरों का निश्चय अथवा परिष्कार, जैसी भी दशा हो, एक क्षेत्र में ही एक ही वर्ग की भूमि (soil) के लिये यथासम्भव समान हो तथा निष्कृत अथवा परिष्कृत दरें किसी भी दशा में भूमि के उत्पादन मूल्य (produce value) के पंचमांश से अधिक न हों।

ऐसे व्यक्ति की, जिसके पास यंत्रकृत फार्म हो, प्रार्थना पर उसके प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अर्जन

३०---(१) ऐसे व्यक्ति का जिसके पास यंत्रकृत फार्म हो, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र, उसके द्वारा नियत प्राधिकारी को उसके अर्जन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, अतिरिक्त भूमि समझा जायगा और उसे धारा ११ की उपधारा (१) में दी हुई रीति से उस रूप में विज्ञापित किया जायगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति जारी हो जाने पर, इस अधिनियम के सभी उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे और प्रार्थी को धारा १७ के उपबन्धों के अनुसार अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर दिया जायगा।

शास्तिय

३१---जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी विधि संगत आदेश का उल्लंघन करेगा, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि का कब्जा लिए जाने में बाधा डालेगा, या धारा २६ की उपधारा (१) द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करेगा, या ऐसा कथन करेगा या विवरण भेजेगा, या कोई ऐसी सूचना देगा जो मिथ्या हो और जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास हो, वह अर्थ दंड से दण्ड्य होगा जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है।

कम्पनिय द्वारा अपराध।

३२---(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी स्वयं तथा साथ ही ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी के कार्य-संचालन के लिये उसका अवधायक हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध का दोषी समझा जायगा और धारा ३२ के अधीन दण्ड का भागी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से उक्त कोई व्यक्ति दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ या यह कि उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी यथोचित सावधानी बरती थी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से या उसकी मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और दण्ड का भागी होगा।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये:---

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और फर्म या व्यक्तियों की कोई अन्य संस्था भी इसके अन्तर्गत है।

(ख) फर्म के संबंध में "संचालक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

आपत्तियों की सुनवाई तथा उन के निस्तारण अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के अधिकार तथा अनुकरणीय प्रक्रिया

३३—इस अधिनियम के अधीन जांच करने या किसी आपत्ति की सुनवाई करने में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को व्यवहार न्यायालय के यथासंभव सब अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति विषयक वादों के परीक्षण तथा निस्तारण के लिये दी हुई है ।

अपीलीय न्यायालय के अधिकार तथा उसके द्वारा अनुकरणीय प्रक्रिया

३४—(१) इस अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई करने में और उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के सब अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अपीलों की सुनवाई तथा उनके निर्णय के लिये दी हुई है ।

(२) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपील की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा होनी हो, तो वह या तो स्वयं उस अपील को सुन सकता है या उसे सुनवाई के लिये अपने अधीनस्थ किसी व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को संक्रमित कर सकता है ।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

३५—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम के या सके अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण म सद्भावना से की गई हो या , सद्भावना से किये जाने क लिये अभिप्रेत हो ।

इस अधिनियम के अधीन किसी धनराशि की वसूली की रीति

३६—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय कोई धनराशि मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है ।

मालगुजारी के बकाया की वसूली ऐक्ट सं० १९, १८८३ ऐक्ट सं० १२, १८८४ यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९४९ उ० प्र० अधिनियम सं० ३१, १९५७

३७—ऐसी जोत या जोतों के सम्बन्ध में जिनके भाग इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, मालगुजारी या अबवाबों या अन्य आदेयों के सभी बकाया और लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ या एग्रीकल्चरल लोन्स ऐक्ट, १८८४ या १९४८ ई० का कृषि आयकर ऐक्ट या वृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उसके धारक (holder) द्वारा देय सभी धनराशियां, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय ३ के अधीन देय प्रतिकर की धनराशि में से अदत्त धनराशि की कटौती करके वसूल की जा सकती है ।

इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रवृत्ति ऐक्ट सं० ९, १९०८

३८---इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८, की धारा ५ तथा १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत अपील, प्रार्थना-पत्र तथा आपत्ति की कार्यवाहियां भी हैं, प्रवृत्त होंगे ।

नियम बनाने का अधिकार

३९--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के बाद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :--

(क) रीति जिसके अनुसार इस नियम के अधीन कोई नोटिस या आदेश तामील या प्रकाशित किया जा सकता है;

(ख) प्रक्रिया जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय कलेक्टर अनुसरण करेगा;

(ग) रीति तथा सिद्धान्त जिनके अनुसार धारा १२ की उपधारा (३) में उल्लिखित व्यय की गणना की जायगी ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी याचिका या अपील पर देय शुल्क, और

(ङ) विषय जो नियत करने हों और नियत किये जायं ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे, और यदि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय तो उक्त प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित होंगे ।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बन जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उस सत्र में करे, जिसमें वे इस प्रकार रखे जायें ।

निरसन उ० प्र० अधिनियम सं० ३१, १९५७

४०--(१) ३० जून, १९६० से उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, १९५७ निरस्त हो जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम सं० ३१, १९०४

(२) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ में किसी बात के होते हुये भी उपधारा (१) के अधीन निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगा :--

(क) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन अथवा तद्धीन की गई या करने दी गई कोई बात या;

(ख) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार अथवा दायित्व; या

(ग) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, जब्ती अथवा दंड; या

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व शास्ति, जब्ती अथवा दंड के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान विधिक कार्यवाही अथवा उपचार

और ऐसा कोई अनुसंधान, विधिक, कार्यवाही अथवा उपचार प्रारम्भ किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या प्रवर्तित किया जा सकता है और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती अथवा दंड आरोपित किया जा सकता है मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

अनुसूची
(धारा १७)
प्रतिकर की गणना की रीति
भाग १

[क्षेत्र जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है ।]

ऐसी कृषि भूमि के लिये जो जोत का भाग हो—

(क) भूमिधर	लागू मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का बालीस गुना अथवा देय मालगुजारी का अस्सी गुना इनमें जो भी अधिक हो, और यदि देय मालगुजारी लागू मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम हो तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(ख) सीरदार	लागू मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का बीस गुना और यदि देय मालगुजारी लागू मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम हो तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(ग) किसी गांव समाज अथवा स्थानीय प्राधिकारी का असामी ..	उसके द्वारा देय लगान का पांच गुना ।

स्पष्टीकरण—जोत के किसी ऐसे भाग के लिये, जो बंजर हो, लागू मौरूसी दर एक आना प्रति एकड़ समझी जायगी ।

भाग २

[क्षेत्र जिन में १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त नहीं होता है ।]

(क) दखीलकार काश्तकार, साकितुलमिल्कियत काश्तकार, मौरूसी काश्तकार और काश्तकार रियायती लगान ।	लागू मौरूसी दरों से अवधारित लगान का बीस गुना और यदि देय लगान इस प्रकार अवधारित लगान से कम हो तो दोनों के अन्तर के बीस-गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(ख) अन्य काश्तकार	उसके द्वारा देय लगान का पांच गुना ।

स्पष्टीकरण—जोत के किसी ऐसे भाग के लिये जो बंजर हो, लागू मौरूसी दर एक आना प्रति एकड़ समझी जायेगी ।

भाग ३
सरकारी पट्टेदार

सरकारी पट्टेदार को देय प्रतिकर का हिसाब भाग १ अथवा २ के, जैसी भी दशा हो, अन्तर्गत आने वाले उस खातेदार के लिये व्यवस्थित प्रतिकर के अनुसार लगाया जायगा, जिसके निबंधन और शर्तें सरकारी अनुदान की शर्तों के अधिकतम अनुरूप हों ।

भाग ४

भूमि से भिन्न सम्पत्ति के लिये--

(क) इमारतें	सकल वार्षिक भाटक-मूल्य का दस से बीस गुना तक इमारत की अवस्था तथा उसके प्रकार को देखते हुये जो भी निश्चित किया जाय, अथवा यदि भाटक-मूल्य ज्ञात न हो तो भाटक-मूल्य जो नियत रीति से निश्चित किया जाय ।

टिप्पणी--इमारत के प्रतिकर के अन्तर्गत उस भूमि का प्रतिकर भी होगा जिस पर इमारत स्थित हो ।

(ख) पक्के कुयें --

(१) जो प्रयोग में हों	उसी प्रकार का कुआं बनाने की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर ।
(२) जो प्रयोग में न हों	गोलाई (सिलिन्डर) और जगत की सामग्री की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर ।

(ग) वृक्ष--

(१) फलवाले वृक्ष	फल की फसलों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का का आठ गुना ।

टिप्पणी--बीस वर्ष के वार्षिक मूल्य के औसत को औसत समझा जायगा ।

(२) फल के उन नये वृक्षों के लिये जिनमें अभी फल न लगे हों।	पौधे की लागत और श्रम तथा रोपण पर व्यय ।
(३) ऐसे वृक्ष जिनका मूल्य मुख्यतया उनकी इमारती लकड़ी के कारण होता है ।	इमारती लकड़ी के खड़े वृक्षों का लकड़ी के परिमाण के अनुसार स्थानीय बाजारी मूल्य ।

उद्देश्य तथा कारण

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध कराकर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था करने और भूमि के प्राप्य साधनों का संरक्षण इस प्रकार बनाये रखने के विचार से कि राजकीय फार्मों में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती कर के उत्पादन में वृद्धि की जाय तथा कमी के वर्षों के लिये खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह बनाया जाय, यह इष्टकर है कि वर्तमान वृहत् जोतों पर उच्चतम सीमा आरोपित की जाय। यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण समुदायों के लिये उनकी सामूहिक आवश्यकताओं के लिये जैसे ईंधन और चारे के लिये भूमि की व्यवस्था की जाय । अतएव समाज के दुर्बल वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति करने तथा सार्वजनिक कल्याण के हेतु यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मंत्री ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ से सम्बन्धित वित्तीय ज्ञापन

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ के अधिनियमित हो जाने की दशा में उसके खंड ४,५,११,१७ तथा २२ में राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) से निम्नलिखित अनावर्त्तक व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा:--

(१) अतिरिक्त भूमि के अवधारण तथा अर्जन तथा उसके लिये देय प्रतिकर के निर्धारण व भुगतान के निमित्त कर्मचारी आदि पर होने वाला व्यय--

इसमें कर्मचारियों का वेतन, भत्ता तथा मानदेय (honoraria) एवं आकस्मिक व्यय है और इन पर १४,५०,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(२) अतिरिक्त भूमि के अर्जन के लिये देय प्रतिकर की धनराशि के भुगतान में होने वाला व्यय--

प्रतिकर और उस पर दिये जाने वाले ब्याज पर, जिनको अंशतः नकदी में व अंशतः हस्तांतरणी बंधों के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव है, कुल ९.५ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है।

हुकुमसिंह बिसेन,
न्याय मंत्री।

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश उच्चतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ के ऐसे उपबन्धों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है

विधेयक के विभिन्न खंडों के जिन उपखंडों में विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान के प्रस्ताव समाविष्ट हैं उनका तथा उनके क्षेत्र का उल्लेख नीचे किया जाता है :

क्रम-संख्या	खंड	उपखंड	विधायन-अधिकार
१	६	..	इसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण का आकार तथा उसमें दिये जाने वाले व्योरे नियत करे ।
२	७	(१)	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है — (१) उन व्यक्तियों की दशा में जो खंड ६ के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत न करें या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करें, नियत प्राधिकारी द्वारा तैयार कराये जाने वाले विवरण के व्योरे ।
		(२)	(२) ऊपर मद (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर विवरण की एक प्रति के सहित नोटिस तामील करने की रीति ।
३	१२	(२)	इसमें अतिरिक्त भूमि से एकत्रित न की गई फसल या वृक्षों के फलों या अन्य संपत्ति के कलेक्टर द्वारा हटाये जाने तथा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसके निस्तारण की रीति नियत करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है ।
४	१३	..	इसमें राज्य सरकार को, निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है —
		(३)	(१) पशुशाला, खाद के गड्ढों तथा खलिहान के सदृश प्रयोजन;
		(७)	(२) जड़ी-बूटी तथा भेषज्य रोपस्थलियों के समान रोपस्थलियों के प्रकार ;
		(११)	(३) गोसदनों तथा गोशालाओं को अभिज्ञात करने की शर्तें तथा रीति;
		(१७)	(४) कक्कुट-पालन, दुग्ध-व्यवसाय तथा चारा उगाने से सम्बद्ध विशेषित फार्मों के सदृश विशेषित फार्मों के प्रकार;
		(१८)	(५) उन विशेषित फसलों का प्रकार जिनके उत्पादन के लिये, या वह प्रयोजन जिसके लिये, इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् पट्टे पर दी गई कोई भूमि विमुक्त की जा सकती है तथा वह अवधि जब तक और विधायन तथा शर्तें जिन पर ऐसी भूमि विमुक्त रह सकती है ।

क्रम-संख्या	खंड	उपखंड	विधायन-अधिकार
५	१६	..	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है —
		(१)	(१) वे निबंधन तथा शर्तें जिन पर किसी व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि के भाग का बन्दोबस्त बाग लगाने के लिये उसके साथ किया जा सके तथा वह अवधि जिसके भीतर वह बाग लगाया जाय; तथा
		(२)	(२) उस अतिरिक्त भूमि के भाग को वापस लेने की रीति, जिस पर बाग लगाने की अनुमति दी गई थी किन्तु नियत अवधि के भीतर बाग नहीं लगाया गया ।
६	१९	..	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है —
		(१)	(१) वह आकार तथा रीति जिसके अनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण-तालिका तैयार की जायेगी; तथा
			(२) सम्बद्ध व्यक्ति पर नोटिस तथा प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका तामील करने की रीति ।
७	२२	(१)	इसमें राज्य सरकार को यह नियत करने का अधिकार दिया गया है कि प्रतिकर नकदी में दिया जायगा या बंधों के रूप में अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः बन्धों के रूप में; और कितना भुगतान नकदी में किया जायगा तथा कितनी अवधि में बंधों का रुपया चुकाया जायगा ।
८	२५	..	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है—
		(१)	(१) वे निबंधन तथा शर्तें जिन पर तथा रीति जिसके अनुसार अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त निबंधित (रजिस्ट्री कृत) सहकारी समिति के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ किया जा सके ;
		(२)	(२) वे प्रतिबंध जिनके अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी अर्जित यंत्रकृत फार्म के पूर्व धारक के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त समझे जाने पर उसके साथ शर्तें तय की जा सकें ;
		(३)	(३) कोई अन्य ऐसा सामुदायिक प्रयोजन जिसके लिये गांव के गांव समाज के साथ अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त किया जा सके ।
९	२९	..	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है —
		(१) (एक)	(१) वे सिद्धांत जिन के अनुसार लागू मौरूसी दरें निश्चित की जा सकें; तथा
		(१) (दो)	(२) पिछले बन्दोबस्त के पश्चात् हुए लक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखकर वर्तमान मौरूसी दरें सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा परिष्कृत करने की रीति ।

क्रम-संख्या	खंड	उप खंड	विधायन-प्रधिकार
१०	३९	(१)	इसमें राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं । राज्य सरकार ऐसे नियम निम्नलिखित के संबंध में बना सकती है— (१) खंड ६ में उल्लिखित नोटिस का आकार; (२) अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अपने पास रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणों की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय करने के लिये या ऐसे व्यक्तियों के लिये विवरण तैयार करने के निमित्त अपेक्षित सूचना का संग्रह करना [खंड ७ (१)] ; (३) सरकारी गजट में प्रकाशन के लिये अतिरिक्त भूमि की विज्ञप्ति का आकार [खंड ११(१)]; (४) असामी को प्रतिकर भुगतान करने की रीति [खंड १५ (२) ।]; (५) प्रतिकर अधिकारी से, प्रतिकर की धनराशि की मांग करने वाले न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में उक्त धनराशि रखने की प्रक्रिया [खंड २३] तथा (६) वह रीति तथा प्रकार जिसके अनुसार खंड ३७ में उल्लिखित मालगुजारी आदि का बकाया प्रतिकर से कटौती करके समायोजन के लिये संगृहीत किया जा सके ।
		(२)	इसमें राज्य सरकार को, विशेषकर निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है । (क) रीति जिसके अनुसार इस नियम के अधीन कोई नोटिस या आदेश तामील या प्रकाशित किया जा सके ; (ख) प्रक्रिया जिसका अनुसरण इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने में कलेक्टर करेगा ; (ग) रीति तथा सिद्धान्त जिनके अधीन धारा १२ की उपधारा (३) में उल्लिखित व्यय की गणना की जायगी; (घ) इस अधिनियम के अधीन किसी याचिका या अपील पर देय शुल्क; तथा (ङ) कोई अन्य विषय जिसे नियत करना हो या जो नियत किया जाय ।
११ अनुसूची का भाग ४			(क) इसमें राज्य सरकार को इमारतों का भाटक-मूल्य निश्चित करने की रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है ।

विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान के लिये उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य प्रकार के हैं ।

हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१२७एल० ए०—१९५९—८४५ ।